वार्षिक रिपोर्ट

2019 - 2020

(1 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2020)

भारत सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

विषय-सूची

अध्याय संख्या	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	संक्षिप्तियां	**iii-v**
1.	अवलोकन	**1**
2.	आयुष चिकित्सा पद्धतियां	**25**
3.	**केन्द्रीय आयुष पद्धति का संगठनात्मक ढांचा**	**40**
4.	आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थान	**48**
5.	शिक्षा नीति	**94**
6.	राष्ट्रीय आयुष मिशन	**108**
7.	मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा आयुष सेवाएं	**111**
8.	सूचना, शिक्षा और संचार	**122**
9.	आयुष में अनुसंधान	**125**
10.	**भारत में औषधीय पादपो के क्षेत्र को विकसित करना**	**148**
11.	औषध गुणवत्ता नियंत्रण	**153**
12.	भेषजसंहिता	**158**
13.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	**164**
14.	अन्य केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें	**178**
15.	योजना एवं मूल्यांकन	**181**
16.	आयुष पद्धति का विकास	**183**
17.	**लैंगिक सशक्तिकरण एवं समानता**	**186**
18.	**दिव्यांगजनों का सम्मान (अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्ति) का सशक्तिकरण**	**190**
19.	राजभाषा के रूप में हिंदी	**191**
20.	स्वच्छ भारत अभियान	**195**

संक्षिप्तियां

1.	एसीटी	-	आयुर्वेद नैदानिक परीक्षण
2.	एडीई	-	औषध प्रतिकूल मामला
3.	एडीआर	-	औषध प्रतिकूल प्रभाव
4.	एडीआर	-	औषध प्रतिकूल प्रभाव
5.	एआईआईए	-	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
6.	एएनसी	-	प्रसवोपरान्त परिचर्या
7.	एपी	-	आयुर्वेद भेषजसंहिता
8.	एपीसी	-	आयुर्वेदिक भेषजसंहिता समिति
9.	एएसयूडीसीसी	-	आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी औषध परामर्शदात्री समिति
10.	एएसयूडीटीएबी	-	आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड
11.	बिम्सटेक	-	बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल
12.	सीएएस	-	मौजूदा जागरूकता सेवा
13.	सीबीडी	-	जैवीय विविधता पर सम्मेलन
14.	सीसीएच	-	केंद्रीय होम्योपैथी परिषद
15.	सीसीआईएम	-	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद
16.	सीसीआरएएस	-	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद
17.	सीसीआरएच	-	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद
18.	सीसीआरएस	-	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद
19.	सीसीआरयूएम	-	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद
20.	सीसीआरवाईएन	-	केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद
21.	सीजीएचएस	-	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना
22.	सीएचसी	-	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
23.	सीएमई	-	अनवरत चिकित्सा शिक्षा
24.	सीओपीडी	-	जटिल प्रतिरोधी फेफड़े के रोग
25.	सीआरआई	-	केंद्रीय अनुसंधान संस्थान
26.	सीआरयू	-	नैदानिक अनुसंधान एकांश
27.	सीएसआईआर	-	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
28.	डीबीटी	-	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
29.	डीएच	-	जिला अस्पताल

30.	डीटीएलएस	-	औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं
31.	ईएमआर	-	बहिर्वर्ती अनुसंधान
32.	जीएयू	-	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय
33.	जीएलपी	-	उत्तम प्रयोगशाला पद्धतियां
34.	जीएमपी	-	उत्तम विनिर्माण पद्धतियां
35.	एचपीएल	-	होम्योपैथी भेषजसंहिता प्रयोगशाला
36.	आईआईआईएम	-	भारतीय समेकित चिकित्सा संस्थान
37.	आईएल एण्ड एफएस	-	अवसंरचना पट्टाकरण एवं वित्तीय सेवाएं
38.	आईएमपीसीएल	-	इंडियन मेडिसिन फॉर्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड
39.	आईपीडी	-	अंतरंग रोगी विभाग
40.	आईपीजीटीआरए	-	आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
41.	आईपीआर	-	बौद्धिक सम्पदा अधिकार
42.	आईएसएमएंडएच	-	भारतीय चिकित्सा पद्धतियां एवं होम्योपैथी
43.	एमडीएनआईवाई	-	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान
44.	**एमओईएफ और सीसी**	-	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
45.	एनएएम	-	राष्ट्रीय आयुष मिशन
46.	एनबीए	-	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण
47.	एनईआईएएच	-	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान
48.	एनईआईएफएम	-	पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान
49.	एनजीओ	-	गैर-सरकारी संगठन
50.	एनआईए	-	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
51.	एनएचआरआईएमएच	-	राष्ट्रीय मानव सवास्थ्य होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान
52.	एनआईएच	-	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान
53.	एनआईएन	-	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान
54.	एनआईएस	-	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान
55.	एनआईयूएम	-	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान
56.	एनआरएचएम	-	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
57.	ओपीडी	-	बहिरंग रोगी विभाग
58.	पीसीआईएमएंडएच	-	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता प्रयोगशाला
59.	पीईसी	-	परियोजना मूल्यांकन समिति
60.	पीजी	-	स्नातकोत्तर

61.	पीजीआईएमईआर	-	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
62.	पीएचसी	-	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
63.	पीएलआईएम	-	भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला
64.	पीपीपी	-	सार्वजनिक निजी भागीदारी
65.	क्यूसीआई	-	भारतीय गुणवत्ता परिषद
66.	आरएवी	-	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
67.	आरसीएच	-	प्रजनन बाल स्वास्थ्य
68.	आरईटी	-	विलुप्तप्राय, दुलर्भ और संकटयुक्त
69.	आरआरआई	-	क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान
70.	एससीपी	-	विशेष संगठक योजना
71.	एससीआरआईसी		केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
72.	एससीआरयूबी		सिद्ध क्लिनिकल रिसर्च यूनिट, बेंगलुरु
73.	एससीआरयूएनडी		सिद्ध क्लिनिकल रिसर्च यूनिट, नई दिल्ली
74.	एससीआरयूपी		सिद्ध क्लिनिकल रिसर्च यूनिट, पलायमकोट्टई
75.	एससीआरयूटी		सिद्ध क्लिनिकल रिसर्च यूनिट, तिरुपति
76.	एसडीआई	-	सूचना का चयनित प्रसार
77.	एसएमपीजीएमडी		सिद्ध औषधीय पादप उद्यान, मेट्टूर
78.	एसपीवी	-	विशेष प्रयोजन वाहन
79.	एसआरआरआईपी		क्षेत्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
80.	एसआरआरआईटी		क्षेत्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम
81.	टीकेडीएल	-	पारंपरिक ज्ञान अंकीय पुस्तकालय
82.	टीएससी	-	जनजातीय उप योजना
83.	यूजी	-	स्नातक-पूर्व
84.	डब्ल्यूएचओ	-	विश्व स्वास्थ्य संगठन
85.	डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ	-	दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय

अध्याय 1

i. अवलोकन

क. मंत्रालय की पृष्ठभूमि

1.1.1 विजन

1. आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा एवं होम्योपैथी नामक आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए अधिदेशित है।
2. मंत्रालय स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों को जीवन का लोकप्रिय अंश बनाने के उद्देश्य से कार्य करता है। यह उद्देश्य देश में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वाले संबंधित विशेषज्ञों की विचार प्रक्रियाओं से बना है।

1.1.2 मिशन

1.1.2.1 मंत्रालय ने आयुष कार्यकलापों के सात व्यापक विषयगत क्षेत्रों के संदर्भ में अपने मिशन की पहचान की है। विषयगत क्षेत्र इस प्रकार हैं:

(i) प्रभावी मानव संसाधन विकास

(ii) गुणवत्तायुक्त आयुष सेवाओं का प्रावधान

(iii) सूचना, शिक्षा और संचार

(iv) आयुष में गुणवत्ता अनुसंधान

(v) औषधीय पादप क्षेत्र का विकास

(vi) औषधि प्रशासन

(vii) आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएँ

1.2 उल्लेखनीय धाराएं

1.2.1 आयुष के प्रख्यात उपचारकों पर स्मारक टिकट

1.2.1.1 माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2019 को आयुष पद्धतियों के प्रख्यात उपचारकों पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस महान कार्य को उजागर करने के अपने उद्देश्य और आयुष प्रणालियों के महान प्रख्यात उपचारकों की उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इस आयोजन द्वारा 12 प्रसिद्ध स्मारक डाक टिकट जारी करके क्षेत्र में प्रख्यात विद्वानों और चिकित्सकों को सम्मानित करने की योजना क्रियान्वित की।

चित्र **1** माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी **30.08.2019** को आयुष के प्रख्यात उपचारकों पर स्मारक टिकट जारी करते हुए।

1.2.1.2 मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कॉमन योग प्रोटोकॉल (हिंदी और अंग्रेजी) की डीवीडी और प्रिंट बुकलेट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

1.2.2 योग पुरस्कार

1.2.2.1 30.08.2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग पुरस्कार तथा वर्ष **2018 और 2019 के लिए राष्ट्रीय योग पुरस्कार प्रदान किए।**

1.2.2.2 यह पुरस्कार चार श्रेणियों में स्थापित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय - व्यक्तिगत, अंतर्राष्ट्रीय-संस्थागत, राष्ट्रीय - व्यक्तिगत और राष्ट्रीय-संस्थागत।

1.2.2.3 वर्ष 2018 में यह पुरस्कार व्यक्तिगत-राष्ट्रीय श्रेणी में डॉ विश्वास वसंत मंडलीक और संस्थागत – राष्ट्रीय श्रेणी में द योग इंस्टीट्यूट, मुंबई को दिया गया।

चित्र **2** माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत श्रेणी में योग पुरस्कार, **2019** को श्रीमती एटनटेटा रोज़ी, इटली को भेंट किया

1.2.2.4 वर्ष 2019 के लिए, सभी चार श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया था। विजेता बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंगेर (संस्थागत - राष्ट्रीय श्रेणी), जीवन मिशन के स्वामी राजर्षि मुनि (व्यक्तिगत - राष्ट्रीय श्रेणी), जापान योग निकेतन (संस्थागत - अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी) और श्रीमती एटनटेटा रोज़ी, इटली (व्यक्तिगत-अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी) हैं।

1.2.3 वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019 का पुरस्कार केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) को मिला

1.2.3.1 केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और अनुसंधान कार्यकलापों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उम्रवृद्धि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान' श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 'वयोश्रेष्ठ सम्मान', 2019 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्वारा जराचिकित्सा देखभाल में प्रो वैद्य के.एस. धीमान, महानिदेशक, सीसीआरएएस को विज्ञान भवन, नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में 03 अक्टूबर, 2019 को आयोजित एक समारोह में दिया गया।

चित्र **3:** महामहिम राष्ट्रपति से वयोश्रेष्ठ सम्मान **2019** पुरस्कार सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदीय साइंसेज के वैद्य के.एस. धीमान, महानिदेशक, सीसीआरएएस ने **03** अक्टूबर, **2019** को नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्राप्त किया।

1.2.4 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के संबंध में समारोह

1.2.4.1 महात्मा गांधी के जन्म के 150 साल पूरे होने के अवसर पर, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ने गांधीवादी मूल्यों जैसे कि महात्मा गांधी के संबंध में सत्य, शांति और अहिंसा को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं,

1.2.4.2 एनआईएन ने गोवा में पहला वृहद प्राकृतिक चिकित्सा शिविर 30 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2019 तक आयोजित किया है। वृहद शिविर का विषय महात्मा गांधीजी का एक उद्धरण *"स्व:स्वास्थ्य निर्भरता के माध्यम से आत्म निर्भरता"* था।

1.2.4.3 आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाईक ने गोवा में इन कार्यक्रमों की श्रृंखला के रूप में आयोजित प्रकृति शिविर का उद्घाटन किया।

1.2.4.4 राष्ट्रपिता की 150 वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए, 2 अक्टूबर, 2019 से 1 अक्टूबर, 2020 तक एक वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में 150 वृहद प्राकृतिक चिकित्सा शिविरों के आयोजन की योजना है। मेगा शिविरों की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी।

i) महात्मा गांधी और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ उनके संबंधों पर प्रदर्शन;

ii) प्रकाशन और पत्रक;

iii) प्राकृतिक चिकित्सा परामर्श;

iv) योग और पोषण में परामर्श;

v) जागरूकता व्याख्यान;

vi) स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता अभ्यासों आदि पर सलाह।

चित्र **4:** श्री श्रीपाद येसो नाईक, माननीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने गोवा में प्रकृति शिविर का उद्घाटन किया, जो **30** सितंबर से **2** अक्टूबर **2019** तक प्रथम वृहद प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के दौरान आयोजित किए गए समारोह का एक अंग था।

1.2.5 डब्ल्यूएचओ कार्य समूह की बैठक

1.2.5.1 चालू वर्ष के दौरान आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ ने संयुक्त रूप से आईपीजीटी एंडआरए, जामनगर में दो प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए। आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म में अभ्यास के लिए बेंचमार्क स्थापना के विकास हेतु 26 से 29 नवंबर, 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ परामर्श बैठक (आईईसीएम) की और दूसरे, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध की शब्दावली के विकास हेतु 02 से 04 दिसंबर, 2019 तक डब्ल्यूएचओ कार्य समूह की बैठक (डब्ल्यूजीएम) आयोजित हुई।

1.2.5.2 पहली बैठक मे आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म के अभ्यास में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गयी, कार्यकारी दस्तावेज़ प्रारूप के कार्यक्षेत्र एवं संरचना व उसकी विषय-वस्तु की समीक्षा और विचार-विमर्श किया गया, आगे भी काम आने वाली सूचना/आंकडों के प्रकार, क्षेत्र एवं मानदंडों की पहचान की गई तथा उस दस्तावेज़ के और विकास हेतु काम करने की प्रक्रिया और समय सीमा पर चर्चा की गई।

1.2.5.3 डब्ल्यूएचओ वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स (डब्ल्यूजीएम) का उद्देश्य आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध में डब्ल्यूएचओ शब्दावली के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए तीन जीरो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंटों की समीक्षा, टिप्पणी और यथावश्यक पुनरीक्षा करना है। इन दस्तावेजों से संबंधित पद्धतियों की शब्दावली और उनकी परिभाषा की सूची मिलने की अपेक्षा है जिनमें शब्दावली के प्रासंगिक अर्थ तथा परिभाषाओं में शास्त्रीय उपयोग/संदर्भ दिए होंगे। एवं व्याख्या परिभाषाओं के शास्त्रीय उपयोग/संदर्भ प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

चित्र 5

1.2.6 आयुर्वेद दिवस

1.2.6.1 इस मंत्रालय द्वारा 2015 से धन्वंतरि जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में 24 और 25 अक्तूबर, 2019 को चौथा आयुर्वेद दिवस मनाया है। 24 अक्टूबर, 2019 को "दीर्घायु के लिए आयुर्वेद" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठनों और संस्थानों द्वारा देश भर में समारोहों के रूप मे आयुर्वेद दिवस मनाया गया। आयुर्वेद दिवस 35 से अधिक देशों में भी मनाया गया।

चित्र **6** लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला, **24** अक्टूबर **2019** को चौथे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए। इस उत्सव के दौरान श्री श्रीपाद येसो नाईक, माननीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय के सचिव, और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

1.2.6.2 25 अक्टूबर, 2019 को धन्वंतरि पूजन और "राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार-2019" समारोह का आयोजन श्री ओम बिरला, अध्यक्ष, लोकसभा की भव्य उपस्थिति में किया गया।

1.2.6.3 समारोह के दौरान प्रतिष्ठित आयुर्वेद चिकित्सकों को राष्ट्रीय आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किए गए।

1.2.7 यूनानी दिवस

1.2.7.1 यूनानी दिवस 11 और 12 फरवरी, 2019 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मनाया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आयोजन के मुख्य अतिथि महामहिम डॉ. नजमा हेपतुल्ला माननीय राज्यपाल, मणिपुर द्वारा किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी, माननीय एमओएस, पीएमओ डॉ. जितेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि थे। श्री श्रीपाद येसो नाईक, माननीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सचिव और अपर सचिव आयुष ने भी शोभा बढ़ाई। इस सम्मेलन में यूनानी चिकित्सा की विभिन्न श्रेणियों में नौ आयुष पुरस्कार वितरित किए गए।

1.2.7.2 श्री श्रीपाद येसो नाईक, माननीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार ने केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईयूएम), हैदराबाद के उन्नत रूप राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा त्वचा विकार अनुसंधान संस्थान (एनआरआईयूएमएसडी) का उद्घाटन किया।

चित्र **7** श्री श्रीपाद येसो नाईक, माननीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष और रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार ने त्वचा विकारों के लिए यूनानी चिकित्सा के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (एनआरआईयूएमएसडी) का उद्घाटन किया

1.2.8 सिद्ध दिवस

1.2.8.1. संत अगथियार को सिद्ध चिकित्सा का जनक माना जाता है इसलिए मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उनके जन्म दिवस को सिद्ध दिवस के रूप में मनाया जाए। दूसरा सिद्ध दिवस संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान और केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) द्वारा 26 दिसम्बर, 2018 को कलाईवन्नार आरंगम, चेन्नई में आयोजित किया गया। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग, तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रालय के अधिकारियों सहित सिद्ध विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

1.2.8.2. विभिन्न सिद्ध मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से कुल 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एनआईएस ने सिद्ध चिकित्सा के सवंर्धन के लिए सिद्ध दिवस से पूर्व अनेक कार्यकलाप जैसे जागरुकता अभियान, संगोष्ठियां आदि भी आयोजित किए गए।

चित्र **8** श्री श्रीपाद येसो नाईक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एससीआरयू के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देते हुए

1.2.9 प्राकृतिक चिकित्सा दिवस

1.2.9.1 18 नवंबर को प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर, 14.11.2018 से 18.11.2018 तक नई दिल्ली के सीसीआरवाईएन में पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रमुख संगठनों ने भाग लिया और पांच दिनों में पांच हजार से अधिक आगंतुकों ने प्रदर्शनी का दौरा किया। विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करके जनता के लाभ के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न विषयों पर व्याख्यान सत्र की भी व्यवस्था की गई थी।

1.3 मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

1.3.1 अंतर्राष्ट्रीय

1.3.1.1 भारत के माननीय राष्ट्रपति के गाम्बिया दौरे के दौरान 31 जुलाई, 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में सहयोग पर गाम्बिया गणराज्य की सरकार के साथ एक देश दर देश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

1.3.1.2 भारत के माननीय राष्ट्रपति की गिनी यात्रा के दौरान 2 अगस्त 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर गिनी गणराज्य सरकार के साथ एक देश से देश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

1.3.1.3 विदेश मंत्री की चीन यात्रा के दौरान 12 अगस्त 2019 को आयुष मंत्रालय और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पारंपरिक चीनी चिकित्सा के राष्ट्रीय प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन बीजिंग में हस्ताक्षरित किया गया।

1.3.1.4 सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइन्स के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में सहयोग पर देश दर देश समझौता ज्ञापन पर 11 सितंबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए जब सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइन्स 10 से 12 सितंबर, 2019 तक भारत के दौरे पर आए थे। आयुर्वेद पर अकादमिक सहयोग की स्थापना के अवसर पर 28.03.19 को बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एआईआईए), आयुष मंत्रालय और बोस्टन (यूएसए) में स्पाठल्डिंग रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, यूएसए का एक शिक्षण सहयोगी है, उनके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

1.3.1.5 आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एआईआईए) ने आयुर्वेद, योग और ध्यान में अकादमिक सहयोग की स्थापना के अवसर पर 31.10.2019 को फिज-फ्रैंकफर्टर इन्नोवेशन ज़ेंट्रम बायोटेक्नोलॉजी जीएमबीएच, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

जीनोमिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, एआई एंड मशीन लर्निंग द्वारा समर्थित साक्ष्य के आधार पर दिशानिर्देश विकसित करने तथा ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

1.3.1.6 आयुर्वेद में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय और न्यूरोलॉजी और पूरक चिकित्सा विभाग, लूथर्न, हॉस्पिटल हैटिंगन, जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन पर 03.04.2019 को हस्ताक्षर किए गए।

1.3.1.7 आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) ने प्रात: 10:00 बजे आयुष मंत्रालय के सचिव कार्यालय नई दिल्ली में 31.10.2019 को आयुर्वेद, योग और ध्यान में एक अकादमिक सहयोग की स्थापना के अवसर पर फिज-फ्रैंकफर्टर इन्नोवेशन ज़ेंट्रम बायोटेक्नोलॉजी जीएमबीएच, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

1.3.1.8 आयुर्वेद में अकादमिक सहयोग की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया में एक निकाय कॉरपोरेट पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय (डब्ल्युएसओ), पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय अधिनियम 1997 (एनएसडब्ल्यू) सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के तहत 21 नवंबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए। यह ज्ञापन 3 वर्षों तक वैध होगा।

1.3.1.9 आयुर्वेद में अकादमिक सहयोग के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और शिमाने विश्वविद्यालय, जापान के बीच 16 दिसंबर, 2019 को एक समझौता हस्ताक्षर किया गया।

1.3.1.10 आयुष मंत्रालय ने 05.07.2019 को डब्ल्यूएचओ के साथ सामान्य योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) को प्रदर्शित करने के लिए एम-योग पर एंड्रॉइड आधारित एप्लिकेशन विकसित करने के लिए डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन (आईटीयू) के □बी हेलथी बी मोबाइल□ पहल के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

1.3.2 राष्ट्रीय

1.3.2.1 23 मई, 2019 को एआईआईए और डाबर रिसर्च फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

1.3.2.2 01 सितंबर, 2019 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के साथ समझौता ज्ञापन।

1.3.2.3 11 फरवरी 2019 को केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और जामिया हमदर्द, नई दिल्ली के बीच विज्ञान भवन, नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

1.3.2.4 6 नवंबर, 2019 को केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं इनवेस्ट इंडिया फॉर अग्नि (नवीन भारत की नवाचार परियोजना के संवर्धन का गतिवर्द्धन, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यकलाप) के बीच विज्ञान भवन, नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

1.3.2.5 18 फरवरी 2019 को औषधीय पादपों के क्षेत्र में सहयोग पर एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

1.3.2.6 18 फरवरी 2019 को आयुष सेवाओं के संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एनएमपीबी और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

1.3.2.7 15 मई, 2019 को सीसीआरएस ने तमिल नाडु सरकार के भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी निदेशालय (डीआईएम एंड एच), के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया।

1.3.2.8 नए भारत के नवाचारों (एजीएनएलआई) की त्वरित वृद्धि के साथ व्यावसायीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में, सीसीआरएस ने 6 नवंबर, 2019 को इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

1.3.2.9 सीसीआरएच और एम्स, नई दिल्ली के बीच "गठिया में इस्तेमाल होम्योपैथिक औषधों की औषधीय जांच" के लिए समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ है।

1.3.2.10 सीसीआरएच और एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड स्टेम सेल रिसर्च, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा के बीच "प्रमुख जीन और प्रोटीन पर होम्योपैथिक औषधों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हार्मोन निर्भरता और स्वतंत्र स्तन और प्रोस्टेट कैंसर में सेल प्रसार और सेल के अंत को नियंत्रित करने हेतु" समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ है।

1.3.2.11 "इन विट्रो और कृंतक मॉडल में मानव अस्थि मज्जा व्युत्पन्न मेसेनकाइमल स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके सिम्फाइटम ऑफ़िसिनले के ओस्टोजेनिक प्रभाव को कम करने हेतु" सीसीआरएच और एम्स, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ है।

1.3.2.12 सीसीआरएच और पीजी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वाणी विहार, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ है।

1.4 मिशन पर बल और योजनाएँ

1.4.1 प्रस्तावना

1.4.1.1 मंत्रालय अपने अधिदेश को क्रियान्वित करने में एक प्रभावी मानव संसाधन विकास, लोगों को गुणवत्तायुक्त आयुष सेवाओं का प्रावधान, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पर बल देने वाले कार्यकलापों का प्रसार, आयुष में गुणवत्ता अनुसंधान, आयुष औषधों का विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली औषध प्रशासक, औषधीय पादप क्षेत्र में वृद्धि सुनिश्चित करने और आयुष संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के जरिए आयुष ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुस्तरीय रणनीति के साथ काम करता है।

1.4.2 शिक्षा नीति और मानव संसाधन विकास

1.4.2.1 मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों संबंधी शिक्षा के मानक स्थापित करने में सीसीआईएम और सीसीएच नामक दो सांविधिक विनियामक निकायों के साथ कार्य करता है। मंत्रालय इन परिषदों द्वारा की गई कॉलेजों की सिफारिश पर उन्हें खोलने की अनुमति देता है और इस समय देश में आयुर्वेद के 401, सिद्ध के 11 और यूनानी के 53 कॉलेज 59 विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं। इन कॉलेजों में से 140 आयुर्वेद कॉलेजों, 12 यूनानी कॉलेजों और तीन (3) सिद्ध कॉलेजों में विभिन्न विशेषताओं में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान की जाती है।

1.4.2.2 होम्योपैथी शिक्षा के गुणवत्ता मानकों में सुधार के उद्देश्य से सरकार ने एक नया कानून होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2018 बनाया है जिसे 13 अगस्त, 2018 को भारत के राजपत्र में 2018 का अधिनियम 23 के रूप में

प्रकाशित किया गया है। नए विधायी ढांचे के अंतर्गत 176 कॉलेजों, जिनमें 13 नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, में बीएचएमएस पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी गई है। मौजूदा दो स्नातकपूर्व कॉलेजों में 75 स्नातकपूर्व सीटों की भर्ती क्षमता को बढ़ाने की भी अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, 10 मौजूदा होम्योपैथी कॉलेजों में 152 सीटों सहित नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने की भी अनुमति दी गई है।

1.4.2.3 भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के तहत सरकार द्वारा 13 नए पाठ्यक्रमों को मान्यता दी गई है।

1.4.2.4 आयुष चिकित्साभ्यासियों के पंजीकरण की प्रणाली भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन सांविधिक परिषदों द्वारा आयोजित एक अनवरत कार्यकलाप है और 2018-19 के दौरान असम, झारखंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल (यूनानी) की भारतीय चिकित्सा केंद्रीय पंजिका को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

1.4.2.5 आयुष चिकित्साभ्यासियों के लिए अनवरत चिकित्सा शिक्षा की प्रणाली को 11वीं पंचवर्षीय योजना से 'अनवरत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) की स्कीम' नामक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत आरंभ किया गया है। वर्ष के दौरान विभिन्न आयुष संस्थाओं/कॉलेजों को 53 सीएमई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवंटित कुल 300.00 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। ऐसे सीएमई कार्यक्रमों में कुल 1031 आयुष व्यावसायिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

1.4.3 राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)

1.4.3.1 एनएएम प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित मिशन है जिसके माध्यम से जन स्वास्थ्य सेवाओं के एक भाग के रूप में आयुष सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। एमएएम में एकमात्र आयुष अस्पतालों और औषधालयों की संख्या में वृद्धि और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के माध्यम से आयुष सेवाओं तक बेहतर पहुंच की परिकल्पना की गई है। एनएएम आयुष औषधों और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

1.4.3.2 मिशन के अंतर्गत 13 नए 50 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता दी गई है।

चित्र 9 क्षेत्रीय स्तर की समीक्षा बैठक 27 सितंबर, 2019 को तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित की गई

1.4.3.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 ने इंटीग्रेटिव हेल्थकेयर की बहुलवादी प्रणाली के भीतर आयुष प्रणालियों की क्षमता को मुख्यधारा में लाने की वकालत की है।

1.4.3.4 30 जनवरी, 2019 को पीएमओ में बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि कुल 12,500 स्वास्थ्य एवं स्वस्थता केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) के 10%यानी 1,250 एचडब्ल्यूसी, आयुष्मान भारत के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) केअंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय इस निर्णय के कार्यान्वयन पर तेजी से नज़र रख रहा है और वर्तमान वर्ष के लिए 1037 आयुष एचडब्ल्यूसी को मंजूरी दी गई है।

1.4.3.5 हरियाणा के दस आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को 30 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन से डिजिटल रूप से शुरू किया गया।

1.4.3.6 वर्ष 2019-20 के दौरान, आयुष सेवाओं, आयुष शैक्षिक संस्थानों, आयुर्वेद, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ़ आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) और औषधीय पौधों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को मिशन निदेशालय द्वारा मंजूरी दी गई है एवं 31 दिसंबर, 2019 तक 363.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

1.4.4 सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)

1.4.4.1 मंत्रालय आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के लिए केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम लागू कर रहा है।

1.4.4.2 आयुष संबंधी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन के लिए 19 संगठनों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई थी। मंत्रालय ने अभी तक अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के जरिए विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित 29 स्वास्थ्य मेलों में भाग लिया है।

1.4.4.3 आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन और प्रचारप्रसार के लिए म-ंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल है आरोग्य मेलों का आयोजन, जिन्हें वर्ष 2001 में आरंभ किया गया था।

1.4.4.4 वर्ष के दौरान मंत्रालय ने राज्य स्तर के आरोग्य मेलों का 9 राष्ट्रीय स्तर और 2 आयोजन किया।

1.4.5 आयुष में अनुसंधान

1.4.5.1 मंत्रालय के तहत संबंधित केंद्रीय परिषदों और संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान किया जाता है।

1.4.5.2 विभिन्न आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए 5 अनुसंधान परिषदें हैं।

1.4.5.3 चार शोध परिषदें अर्थात केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीयूएम), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) और केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) नई दिल्ली में स्थित हैं। केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषध (सीसीआरएस) चेन्नई में स्थित है।

1.4.6 आयुष औषधों का औषध प्रशासन

1.4.6.1 आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधों के विनियामक और गुणवत्ता नियंत्रण प्रावधानों को लागू करने के लिए औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ है। औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा एएसयू एंड एच औषधों से संबंधित मामलों पर कार्य करता है।

1.4.6.2 राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के जरिए वर्ष 2018-19 के लिए 15 राज्यों में औषध गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु 2638.82 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए हैं।

1.4.6.3 आयुष उत्पादों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के लगभग 590 संदर्भ भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत (जीएएमए) से प्राप्त हुए हैं।

1.4.6.4 आम लोगों के लिए 100 प्रमुख समाचार पत्रों में चेतावनी जारी की गई है कि वे सरकारी विभागों का नाम लेकर चलाए जा रहे एएसयू एंड एच औषधों के विज्ञापनों और फर्जी कॉल पर ध्यान न दें।

1.4.7 औषधीय पादपों का संवर्धन

1.4.7.1 औषधीय पादप क्षेत्र का विकास कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में सांविधिक बोर्ड राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) करता है।

1.4.7.2 एनएमपीबी इस समय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए 200.00 करोड रुपये के बजट परिव्यय सहित "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" की केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है।

1.4.7.3 एनएमपीबी की पहल में "ई-चरक": शामिल है जो औषधीय पादपों, अधिक मांग वाले औषधीय पादपों के मंडी मूल्यों का संग्रहण और अन्य आईसीटी सक्षम सेवाओं के लिए एक आभासी बाजार है।

चित्र 1: ईचरक का लोगो-

1.4.8 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1.4.8.1 मंत्रालय ने भारत और इक्वेटोरियल गिनी, क्यूबा, जापान की कनागावा प्रीफेक्चुरल सरकार, बोलिविया का बहुराष्ट्रीय राज्य के बीच देश-दर-देश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित किया है।

चित्र 11 श्री पी एन रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय प्रतिनिधियों के साथ

1.4.8.2 मंत्रालय ने भारत में अनुसंधान संस्थानों और विभिन्न देशों में निम्नलिखित अनुसंधान संस्थानों/सुविधाओं के बीच अनुसंधान सहयोग पर समझौतों के लिए सुविधा प्रदान की।

i. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, यूएसए

ii. न्यूरोलॉजी और पूरक चिकित्सा विभाग, लूथर्न, अस्पताल हैटिंगन, जर्मनी

iii. पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय (डब्ल्यूएसयू),

iv. शिमाने यूनिवर्सिटी, जापान

1.4.8.3 मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों अर्थात स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ईरान, थाईलैंड, श्रीलंका, नीदरलैंड, बेल्जियम, सूरीनाम, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील, जर्मनी, म्यांमार में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 17 बार प्रतिनिधि मंडल/विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त किया।

1.4.8.4 निम्नलिखित कार्यक्रमों में शामिल किए गए महत्वपूर्ण विषयों की एक झलक जिसमें विदेश में प्रतिनिधियों ने भाग लियाः

i. 24-25 जनवरी, 2019 को, नाएप्यीटॉ (म्यांमार) में पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय बिम्सटेक टास्क फोर्स में भाग लेने के लिए तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की नियुक्ति की गई।

ii. अतिरिक्त सचिव, आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अबू धाबी (यू.ए.ई.) में 3-4 अप्रैल, 2019 को भाग लिया।

iii. आयुष मंत्रालय के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश के ढाका में 16 से 17 जून 2019 तक आयोजित पारंपरिक चिकित्सा में समन्वय के राष्ट्रीय केंद्रों के बिम्सटेक नेटवर्क की चौथी बैठक में भाग लिया।

iv. मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ एसेंशियल हर्बल मेडिसिन लिस्ट, हर्बल मेडिसिन (आईपीएचएम) के इंटरनेशनल फार्माकोपिया, आयुर्वेद, यूनानी, पंचकर्म और डब्ल्यूएचओ की शब्दावली के लिए डब्ल्यूएचओ बेंचमार्क दस्तावेज़ का काम देखने के लिए टीसीआई यूनिट, डब्ल्यूएचओ, जिनेवा में दो वालंटियर/एक्सपर्ट्स की प्रतिनियुक्ति की है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी (एएसयू) में दोनों स्वयंसेवक 09.09.2019 को डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, जिनेवा में शामिल हो गए हैं।

v. 06.11.2019 को ला प्रडेरा, हवाना, क्यूबा में एक पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन किया गया।

1.4.8.5 कई विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने आयुष पद्धतियों और पारंपरिक चिकित्सा के अन्य क्षेत्रों पर संबंधों को मजबूत करने के लिए हमारे देश का दौरा किया। इस अवधि के दौरान विभिन्न देशों में आयुष की सभी प्रणालियों के अधिकारियों के साथ नौ बैठकें की गई हैं।

1.4.8.6 आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय चीनी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनआरआईसीएम), ताइपेई, ताइवान में आयुष सूचना प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि आयुष चिकित्सा के बारे में प्रामाणिक जानकारी का प्रसार किया जा सके और ताइवान में आयुर्वेद अभ्यास को प्रोत्साहित किया जा सके।

1.5 बजट

1.5.1.1 मंत्रालय के पास वर्ष 2019-20 के लिए ₹939.76 करोड़ रुपये का कुल बजट अनुमान (बीई) और ₹857.00 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान (आरई) है। 03.02.2020 तक ₹272.16 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

1.5.1.2 बजट में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की एकल केंद्र प्रायोजित परियोजना (सीएसपी) के लिए 656.00 करोड़ रुपये (33.02%) का बजट था। संशोधित आवंटन में राशि 500.00 करोड़ रुपये (27%) है, और वास्तविक व्यय 360.07 करोड़ रुपये (28.3%) के अनुपात में था।

1.5.1.3 पांच अनुसंधान परिषदों को बजटीय व्यय का अधिकतम हिस्सा 549.91 करोड़ रुपये (33.8%), संशोधित बजट 608.97 करोड़ रुपये (36.0%) दिया गया और 591.64 करोड़ रुपये (39.0%) की धनराशि का व्यय हुआ।

1.5.1.4 राष्ट्रीय संस्थानों को 376.69 करोड़ रुपये (19.4%) की बजट राशि दी गई जिसमें संशोधित बजट 476.63 करोड़ रुपये (25.7%) का था और वास्तविक व्यय 252.65 करोड़ रुपये (19.9%) हुआ।

बजट एवं संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय 2019-20*

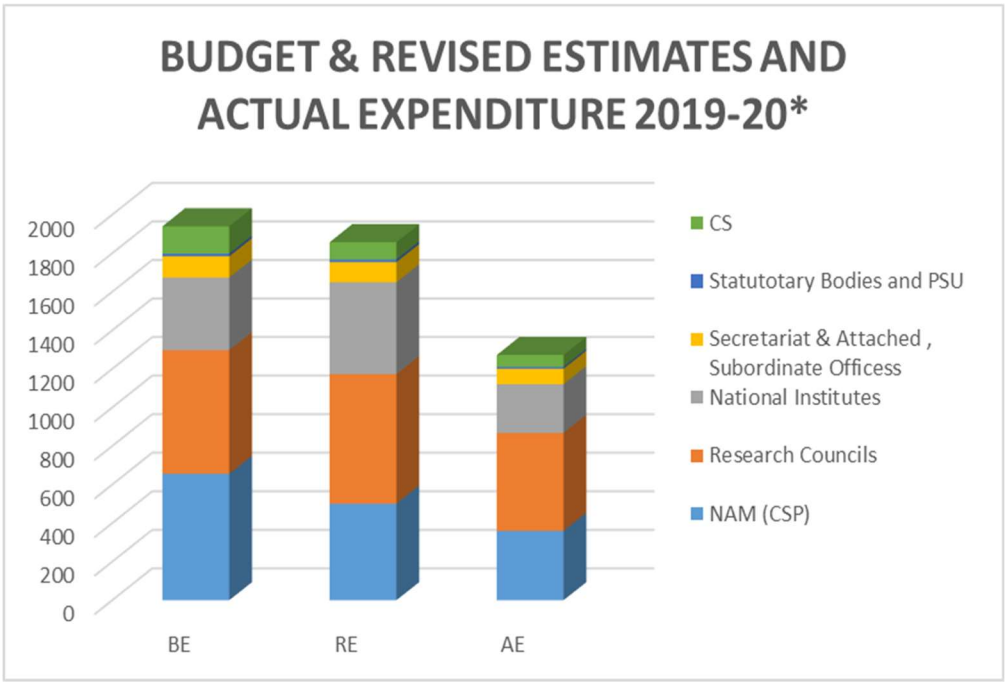

केन्द्रीय स्कीम

सांविधिक निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सचिवालय एवं संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय संस्थान

अनुसंधान परिषदें

राष्ट्रीय आयुष मिशन (सीएसपी)

चित्र 12: बजट के आंकड़े करोड़ रुपये में।

1.5.1.5 शेष राशि मंत्रालय द्वारा दो वैधानिक निकायों, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र में स्थापना पर खर्च की जाती है। विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और व्यय विवरण				
क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम	2019-20		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	03.02.2020 के अनुसार व्यय (नकद) (अनंतिम)
1	2	3	4	5
	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें			
क	**केंद्र के व्यय की स्थापना**	**110.04**	**104.21**	**80.22**
1	सचिवालय - आयुष विभाग	**40.29**	**35.91**	**29.74**
2	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	**59.50**	**59.50**	**45.08**
3	भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	**4.75**	**4.00**	**2.23**
4	होम्योपैथी भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	**5.50**	**4.80**	**3.17**
ख	**सांविधिक संस्थाएं**	**8.90**	**9.40**	**6.48**
1	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली को अनुदान	**5.50**	**5.75**	**4.15**
2	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली को अनुदान	**3.40**	**3.65**	**2.33**
ग	**स्वायत्त निकाय**	**1022.49**	**1153.35**	**763.42**
1	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान	**292.31**	**288.50**	**239.69**
2	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान	**152.65**	**159.54**	**114.49**
3	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान	**118.53**	**128.83**	**97.12**
4	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली	**40.00**	**79.30**	**25.00**
5	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता को अनुदान	**50.00**	**87.61**	**37.49**
घ	**अन्य स्वायत्त निकाय**	**369.00**	**409.57**	**249.63**
1	एएसयू की भेषजसंहिता समितियां और भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम) का सुदृढ़ीकरण	**4.48**	**4.40**	**2.67**
2	स्नातकोत्तर शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर को अनुदान	**35.00**	**36.50**	**26.20**
3	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान	**93.50**	**122.00**	**70.11**
4	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को अनुदान	**8.50**	**9.00**	**3.97**
5	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, तमिलनाडु को अनुदान	**38.00**	**51.81**	**31.02**
6	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरू को अनुदान	**40.00**	**45.72**	**28.45**
7	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान	**18.00**	**16.38**	**14.77**

8	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान	**26.00**	**11.55**	**9.92**
9	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग	**18.02**	**12.99**	**4.81**
10	पूर्वोत्तर आयुष/लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट	**8.50**	**2.57**	**0.91**
11	केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान	**41.35**	**62.45**	**29.28**
12	राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान	**1.00**	**1.20**	**0.00**
13	राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान	**0.15**	**0.00**	**0.00**
14	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान	**36.50**	**33.00**	**27.52**
ख	**आयुष सेवा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण**	**142.33**	**89.44**	**61.97**
1	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (आईएमपीसीएल, मोहान, उत्तराखण्ड)	**0.01**	**0.00**	**0.00**
2	सूचना, शिक्षा और संचार	**52.60**	**44.50**	**35.23**
3	आयुष एवं जन स्वास्थ्य	**5.00**	**4.95**	**2.11**
4	आयुष शिक्षा/औषधि विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में कार्यरत गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्ट केंद्रों को सहायता	**5.00**	**5.00**	**3.52**
5	अनुसंधान संस्थाओं आदि के जरिए बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं	**6.00**	**6.00**	**3.38**
6	आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/अनवरत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई)	**3.50**	**3.50**	**0.84**
7	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	**16.00**	**22.37**	**15.05**
8	आयुष उद्योग समूहों हेतु साझा सुविधाओं का विकास	**1.00**	**0.33**	**0.00**
9	मेलों में भाग लेने/बाजार सर्वेक्षण कराने के लिए उद्योग को प्रोत्साहन	**1.80**	**2.68**	**1.75**
10	एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल	**1.41**	**0.11**	**0.09**
11	चैंपियन क्षेत्रक स्कीम	**50.01**	**0.00**	**0.00**
	कुल : सीएस	**1283.76**	**1356.40**	**912.09**
	<u>केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें</u>			
1	राष्ट्रीय आयुष मिशन	**656.00**	**500.60**	**360.07**
	कुल : सीएसएस	**656.00**	**500.60**	**360.07**
	कुल योग :	**1939.76**	**1857.00**	**1272.16**
	कुल : सीएस	**1283.76**	**1356.40**	**912.09**

अध्याय 2

2. आयुष चिकित्सा पद्धतियां

2.1 प्रस्तावना

2.1.1.1 आयुष चिकित्सा पद्धतियों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी शामिल है। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी तथा सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धतियों का संक्षिप्त नाम आयुष है। आयुर्वेद का अपना 5000 से भी अधिक वर्षों की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति का दस्तावेजी इतिहास है जबकि होम्योपैथी का प्रचलन पिछले लगभग 100 वर्षों से हुआ है। इन चिकित्सा पद्धतियों का देश में लोगों की अलग-अलग प्राथमिकताओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अनुसार चिकित्साभ्यास किया जा रहा है। आयुर्वेद केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और ओडिशा में ज्यादा प्रचलित है। यूनानी चिकित्सा पद्धति आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। होम्योपैथी का उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात और उत्तर-पूर्वी राज्यों में व्यापक अभ्यास किया जाता है और सिद्ध चिकित्सा पद्धति का तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल में अभ्यास किया जाता है। हाल ही में मान्यता प्राप्त सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम सहित हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सोवा-रिग्पा के कुछ शैक्षणिक संस्थान विद्यमान हैं। कुल मिलाकर देश में आयुष सेवाएं सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं और इनके प्रचलन का स्तर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है।

2.2 आयुर्वेद प्रणाली

2.2.1.1 आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ "जीवन का विज्ञान" है। आयुर्वेद जीवन, रोग और स्वास्थ्य के बारे में आधारभूत दर्शन की व्याख्या करने वाले विभिन्न वैदिक

श्लोकों के आधार पर विकसित हुआ है। 2500 ई. पू. के आस-पास विकसित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के मुख्य ग्रंथ हैं, जो आज पूरी तरह उपलब्ध हैं। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य को जीवन के लक्ष्यों अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने की पूर्वापेक्षा माना जाता है। आयुर्वेद मनुष्यों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं और इन पहलुओं के बीच पारस्परिक संबंधों के बारे में समेकित अवधारणा पर आधारित है।

2.2.1.2 आयुर्वेद का दर्शन पंचमहाभूतों (पांच आदि तत्व) के सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी अवधारणा है कि सभी जीव और सजीव निकाय पांच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से मिलकर बने हैं। इन पांच तत्वों का संयोजन त्रिदोष अर्थात वात (आकाश + वायु), पित्त (अग्नि) और कफ (जल + पृथ्वी) के रूप में निरूपित किया जाता है। ये तीन दोष प्राणियों में शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी इकाइयां हैं, जबकि सत्व, रजस्व और तमस मानसिक अभिव्यक्तियां हैं। मानव शरीर का अवसंरचनात्मक अस्तित्व रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र पर आधारित है। आयुर्वेद इन अवसंरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों को संतुलित अवस्था में रखता है जो अच्छे स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। किन्हीं आंतरिक अथवा बाह्य कारकों के कारण असंतुलन उत्पन्न होने से रोग की उत्पत्ति होती है और विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाओं, उपचारों, औषधियों और जीवनशैली प्रबंधन के द्वारा इस संतुलन को कायम रखने के लिए व्यक्ति का उपचार किया जाता है।

2.2.1.3 आयुर्वेद मानव को एक सूक्ष्म ब्रह्मांड मानता है, जो समस्त कायनात (यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे) का एक अंश है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में समग्र उपचार उपलब्ध है तथा यह वैयक्तिक होता है। आयुर्वेद के निवारक पहलू को स्वास्थ्यवृत्त कहते हैं, जिसमें वैयक्तिक स्वच्छता, नियमित दैनिक कार्य, समुचित सामाजिक व्यवहार और रसायन का प्रयोग शामिल है। उपचारात्मक पहलुओं में तीन प्रमुख श्रेणियां (i) औषधि (ii) पंचकर्म और शल्य चिकित्सा सहित विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाएं तथा (iii) सत्व वज्य (मस्तिष्क नियंत्रण पद्धतियां(सम्मिलित हैं।

2.2.1.4 चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुर्वेद का अभ्यास आईएमसीसी अधिनियम, 1970 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। आयुर्वेद की शिक्षा केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम) नामक एक सांविधिक निकाय द्वारा संचालित की जाती है। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 आयुर्वेदिक औषधों के विनिर्माण और विक्रय को संचालित करता है। संहिता काल (1000 ई.पूर्व) के दौरान, आयुर्वेद की 8 शाखाएं अथवा विशेषज्ञताएं विकसित हुई थीं, जिसके कारण इसे अष्टांग आयुर्वेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद में नैदानिक चिकित्सा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:--

i. कायचिकित्सा (आंतरिक चिकित्सा)
ii. कौमार भृत्य (बाल रोग चिकित्सा)
iii. ग्रहचिकित्सा (मनोरोग)
iv. शालाक्य (नेत्र, ईएनटी और दंत चिकित्सा)
v. शल्य तंत्र (सर्जरी)
vi. अगद-तंत्र (विष विज्ञान)
vii. रसायन (इम्यूनो-मॉड्यूलेशन और जेरोन्टोलॉजी)
viii. वाजीकरण (प्रजनन क्षमता और स्वस्थ संतान का विज्ञान)

2.2.1.5 उपरोक्त 8 शाखाएं समय गुजरने के साथ-साथ विशेषत: पिछले 50 वर्षों के दौरान स्नातकोत्तर शिक्षा के 22 विषयों में विस्तारित हो गई हैं। ये इस प्रकार हैं:

i. आयुर्वेद सिद्धन्त (आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत)
ii. आयुर्वेद संहिता
iii. शरीर रचना (एनाटॉमी)
iv. क्रिया शरीर (फिजियोलॉजी)
v. द्रव्य गुण विज्ञान (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी)
vi. रस-शास्त्र और भैषज्य कल्पना (खनिज और धातुओं का उपयोग करने वाले फार्मास्यूटिकल्स)
vii. कौमार भृत्य - बाल रोग (बाल चिकित्सा)
viii. प्रसूति-तंत्र एवं स्त्री रोग (प्रसूति और स्त्री रोग)

ix. स्वस्थ-वृत्त (सामाजिक और निवारक चिकित्सा)

x. कायचिकित्सा (आंतरिक चिकित्सा)

xi. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान (निदान और रोग विज्ञान)

xii. शल्य तंत्र (सामान्य) (जनरल सर्जरी)

xiii. शल्य तंत्र - क्षार कर्म एवं शास्त्र कर्म (क्षार कर्म और अर्ध-शल्य प्रक्रिया)

xiv. शल्य तंत्र (अस्थि, संधि)

xv. शालक्य तंत्र - नेत्र रोग

xvi. शालक्य तंत्र- शिरो-नासा - कर्ण एवं कंठ रोग (ईएनटी)

xvii. शालक्य तंत्र – दांत एवं मुख रोग (दंत चिकित्सा)

xviii. मनोविज्ञान एवं मानस रोग (मनोरोग)

xix. पंचकर्म

xx. अगद तंत्र विधि वैद्यक (विष विज्ञान और न्यायशास्त्र)

xxi. संज्ञाहरण (एनेस्थिसियोलॉजी)

xxii. छाया एवं विकिरण विज्ञान (रेडियोलॉजी)

2.2.1.6 आयुर्वेद में स्नातक, स्नातकोत्तर और वाचस्पति की उपाधियां देने के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

2.2.1.7 980 सम्मिश्रित औषध योगों वाली भारतीय आयुर्वेदिक फार्मूलरी के 03 खंड, एकल औषधों पर 600 मोनोग्राफों वाली भारतीय आयुर्वेदिक भेषज संहिता भाग 1 के 8 खंड और सम्मिश्रित औषध योगों और 152 मोनोग्राफों वाली भारतीय आयुर्वेदिक भेषज संहिता भाग 03 के तीन खंड प्रकाशित हो चुके हैं।

2.3 होम्योपैथी

2.3.1.1 बुकरात के समय (लगभग 400 ई.पू.) से लेकर अब तक के चिकित्सकों ने यह महसूस किया है कि कुछ पदार्थ स्वस्थ लोगों में रोग के वही लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, जिस रोग से दूसरे लोग पीड़ित हैं। जर्मन चिकित्सक, डा. क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हनीमैन ने इस तथ्य की वैज्ञानिक रूप से जांच की और होम्योपैथी के आधारभूत सिद्धांतों को कूटबद्ध किया। भारत में होम्योपैथी को यूरोपीय

मिशनरियां 1810 ई. के आसपास लाईं और 1948 में संविधान सभा द्वारा और तदनुपरांत संसद द्वारा पारित एक संकल्प द्वारा इसे आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई।

2.3.1.2 होम्योपैथी के पहले सिद्धांत 'सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर' के अनुसार जो औषधि किसी स्वस्थ व्यक्ति में जो लक्षण उत्पन्न करती है, वही औषधि उस रोग विशेष से वास्तविक रूप से पीडित व्यक्ति का उपचार करने में भी समर्थ है। इसके दूसरे सिद्धांत 'सिंगल मेडीसिन' में कहा गया है कि किसी रोगी विशेष का उपचार किए जाने के दौरान उसे एक समय में एक ही दवा दी जानी चाहिए। इसका तीसरा सिद्धांत 'मिनिमम डोज' या न्यूनतम दवा की मात्रा में बताया गया है कि किसी औषध की न्यूनतम खुराक, जिससे किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना उपचारात्मक क्रिया शुरू हो जाती है, दी जानी चाहिए। होम्योपैथी इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी रोग की उत्पत्ति मुख्यतः बाह्य कारकों, यथा बैक्टीरिया और विषाणुओं आदि की क्रिया के अलावा किसी व्यक्ति के किसी रोग विशेष से शीघ्र प्रभावित अथवा पीडित होने संबंधी अभिवृत्ति पर निर्भर करती है।

2.3.1.3 होम्योपैथी ऐसी औषधियां खिलाकर रोगों के उपचार का एक तरीका है, जो प्रयोगों के आधार पर स्वस्थ मानवों पर इसी प्रकार के लक्षण पैदा करने की शक्ति सिद्ध कर चुकी हैं। होम्योपैथी में उपचार, जो समग्र प्रकृति का होता है, रोगी के एक विशिष्ट पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया पर केंद्रित होता है। होम्योपैथिक औषधियां मुख्यतः पादप, खनिज और पशु मूलक, नोसोडेस एवं सार्कोडेस आदि प्राकृतिक पदार्थों से तैयार की जाती हैं। होम्योपैथिक औषधियों का कोई विषाक्त दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा, होम्योपैथिक उपचार किफायती होता है और यह उपचार अनेक लोगों को स्वीकार्य है।

2.3.1.4 होम्योपैथी की उपचारात्मक क्षमता के अपने कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं और यह एलर्जी, स्वःरोग प्रतिरोधक विकार और विषाणु संक्रमणों के उपचार के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। शल्य चिकित्सा, स्त्री रोग, प्रसूति संबंधी अनेकों समस्याओं और बाल

रोग, नेत्र, नाक, कान, दांत, त्वचा, यौन अंगों आदि को प्रभावित करने वाले रोगों का होम्योपैथी उपचार के द्वारा कामयाब इलाज किया जाता है। होम्योपैथी में व्यवहारगत विकारों, तन्तु तंत्रिका संबंधी समस्याओं और चयापचयी व्याधियों का प्रभावी समाधान उपलब्ध है। उपचारात्मक पहलुओं के अलावा होम्योपैथिक औषधियों का उपयोग निवारक और संवर्धनात्मक स्वास्थ्य परिचर्या में भी किया जाता है। हाल ही में पशुओं के उपचार, कृषि सम्बन्धी समस्याओं और दंत रोगों आदि में होम्योपैथिक औषधियों के उपयोग के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा का विकास स्नातकोत्तर शिक्षण में 7 विशेषज्ञताओं, अर्थात मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी, चिकित्सा अभ्यास, बाल रोग, फार्मेसी और मनोरोग में हुआ है।

2.4 प्राकृतिक चिकित्सा

2.4.1.1 प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य और उपचार का विज्ञान है और एक सुस्थापित दर्शन के आधार पर औषध रहित उपचार है। इसकी स्वास्थ्य और रोग के प्रति अपनी संकल्पना तथा उपचार के सिद्धांत हैं। प्राकृतिक विज्ञान उपचार की एक ऐसी पद्धति है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर प्रकृति के सकारात्मक सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाकर रहने का समर्थन किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य संवर्धन और स्वास्थ्य बहाली तथा रोग निरोधात्मक और उपचारात्मक क्षमता है।

2.4.1.2 प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, दुर्घटना अथवा शल्य-चिकित्सा को छोड़कर रोग का मूल कारण प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है और प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के प्रभाव निम्नलिखित हैं:

i. शक्ति की कमी;
ii. रक्त की असामान्य संरचना; और
iii. शरीर में दूषित सामग्री का संचय

2.4.1.3 प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान हमें सिखाता है कि रोग प्रकृति द्वारा शरीर के स्वास्थ्य की बहाली के लिए शरीर से दूषित पदार्थ को समाप्त करने का प्रयास है। इसलिए,

हमें बुखार, खांसी, अतिसार आदि जैसे रोगों के बाह्य लक्षणों को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि शरीर से संक्रमित सामग्री को निकालने की प्रक्रिया में प्रकृति के साथ सहयोग करना चाहिए।

2.4.1.4 प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ बुनियादी संकल्पनाएं इस प्रकार हैं:

(i) प्राकृतिक चिकित्सा में रोग की एकता और उपचार की एकता की संकल्पना में विश्वास किया जाता है। इसके अनुसार, सभी रोगों का मूल कारण एक है, अर्थात शरीर में दूषित सामग्री का इकठ्ठा हो जाना और इसका उपचार भी एक है, अर्थात शरीर से ऐसी विषाक्त सामग्री को हटाना।

(ii) प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत बैक्टीरिया और वायरस को रोग के गौण कारण माना जाता है। रोग का मूल कारण शरीर के अंदर दूषित सामग्री का जमा हो जाना है। शरीर में दूषित सामग्री के इकठ्ठा हो जाने से रोगाणुओं को फलने-फूलने का अनुकूल वातावरण मिल जाता है। अत: रोग का मूल कारण शरीर में दूषित सामग्री है और रोगाणु रोग का केवल गौण कारण है।

(iii) गंभीर रोग शरीर द्वारा स्व-उपचार के प्रयास हैं। इसलिए, इन्हें मित्र माना जाता है, शत्रु नहीं। चिरकालिक रोग गलत उपचार और गंभीर रोगों को दबाने का परिणाम है।

(iv) मानव शरीर में स्वत: ही उल्लेखनीय स्वास्थ्यकर शक्ति होती है। प्रकृति सबसे अच्छा उपचार है। मानव शरीर स्वत: ही उपचार की मशीन है। इसमें रोगों को रोकने और रुग्ण होने पर स्वस्थ हो जाने की अंतर्निहित शक्ति है।

(v) प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी उपचार के केंद्र में होता है और शरीर की शक्ति बढ़ने और उसकी विषाक्तता समाप्त हो जाने से रोग का स्वत: ही उपचार हो जाता है।

(vi) प्राकृतिक चिकित्सा में समग्र उपचार पर बल दिया जाता है। इसमें प्रभावित विशिष्ट अंग के बजाय पूरे शरीर का उपचार किया जाता है। इसके अलावा, इसके अंतर्गत मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर भी उपाय किये जाते हैं।

(vii) प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अनुसार, "खाद्य ही औषधि

(viii) प्राकृतिक चिकित्सा में प्रार्थना को उपचार का एक तरीका माना जाता है। गांधीजी के अनुसार 'राम नाम सर्वोत्तम प्राकृतिक उपचार है' अर्थात रोगी के विश्वास के अनुसार प्रार्थना करना उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

2.4.1.5 प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण उपचार/तरीके, जो न केवल बीमारियों के उपचार के लिए बल्कि उनके निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए अपनाए जाते हैं, वे इस प्रकार हैं-

(i) उपवास चिकित्सा (उपवास चिकित्सा)
(ii) आहार चिकित्सा (आहार चिकित्सा)
(iii) मिट्टी चिकित्सा (मड थेरेपी)
(iv) जल चिकित्सा (हाइड्रोथेरेपी)
(v) मालिश चिकित्सा (मसाज थेरेपी)
(vi) सूर्य किरण चिकित्सा (हेलीओथेरेपी)
(vii) वायु चिकित्सा (वायु चिकित्सा)
(viii) योग चिकित्सा (योग थेरेपी)

2.5 सिद्ध प्रणाली

2.5.1.1 सिद्ध चिकित्सा पद्धति भारत की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, यह द्रविड़ संस्कृति के साथ अत्यन्त निकट से जुड़ी हुई है। सिद्ध शब्द से अभिप्रेत है उपलब्धि और सिद्ध वे लोग होते है जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त की हुई है। बताया जाता है कि इस चिकित्सा पद्धति के व्यवस्थित विकास में सिद्धों 18 ने अपना योगदान दिया और तमिल भाषा में अपने अनुभवों को दर्ज किया।

2.5.1.2 सिद्ध चिकित्सा प्रणाली अपने उपचार के लिए रोगी, पर्यावरण, उम्र, लिंग, जाति, आदतों, मानसिक संरचना, निवास स्थान, आहार, भूख, शारीरिक स्थिति, रोगों के शारीरिक क्रिया विज्ञान के गठन पर जोर देती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग प्रकृति होती है। रोगों का निदान नाड़ी, मूत्र, आंखों, आवाज का अध्ययन, शरीर के रंग, जीभ की जांच और प्रत्येक रोगी की पाचन संबंधी स्थिति को देखकर किया जाता है।

2.5.1.3 इस पद्धति में धातुओं और खनिजों को औषधियों में परिवर्तित करने के लिए एक अनोखा खजाना है और कई संक्रामक रोगों का उपचार विशिष्ट रूप से संसाधित पारा, चांदी, आर्सेनिक, सीसा, सल्फर वाली औषधियों से बिना किसी दुष्परिणाम के किया जाता है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति की क्षमता सोरियासिस, वातरोग विकारों, जीर्ण यकृत विकारों, बिनाइन प्रोस्ट्रेट हाइपरट्रोफी, खूनी बवासीर, गैर सोरियाटिक प्रकृति के-चर्म विकारों के विभिन्न प्रकारों सहित पेप्टिक अल्सर के मामले में अत्यधिक प्रभावशाली उपचार प्रदान करने में है।

2.5.1.4 चिकित्सा की एक पद्धति के रूप में सिद्ध की शिक्षा और अभ्यास को आईआईएमसी अधिनियम, 1970 के तहत मान्यता दी गई है। सिद्ध की शिक्षा को सांविधिक निकाय केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सिद्ध दवाओं के निर्माण और बिक्री को औषध और सामग्री अधिनियम, 1940 द्वारा विनियमित किया जाता है।

2.5.1.5 सिद्ध के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

2.6 सोवा रिग्पा

2.6.1.1 सोवा रिग्पा अपने 2500 वर्षों से भी अधिक के इतिहास के साथ विश्व की प्राचीनतम जीवंत स्वास्थ्य परंपरा है। इसका प्रचलन और व्यापक अभ्यास संपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों विशेषत: लेह और लद्दाख (जम्मू-कश्मीर), हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग आदि में किया जाता है। सोवा-रिग्पा जीर्ण रोगों, यथा दमा, ब्रोंकाइटिस, ऑर्थराइटिस आदि के उपचार में असरदार है। सोवा-रिग्पा के आधारभूत सिद्धांत की विवेचना (i) उपचार के बिंदु पथ के रूप में मन और शरीर (ii) प्रतिकारक अर्थात् उपचार (iii) प्रतिकारक के द्वारा उपचार पद्धति (iv) रोगों का उपचार करने वाली औषधियों और अंतत: (v) भेषज गुण विज्ञान के रूप में की गई है। सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति में मानव शरीर की रचना में पंच महाभूत तत्वों, विकारों की प्रकृति और उपचारात्मक उपायों के महत्व पर जोर दिया गया है।

2.7 यूनानी चिकित्सा

2.7.1.1 यूनानी चिकित्सा पद्धति का उद्गम यूनान देश में हुआ था। मध्यकालीन युग के दौरान भारत में कदम जमाने के पूर्व यह अन्य कई देशों से होकर गुजरी। यह सकारात्मक स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण से संबंधित भली-भांति संस्थापित ज्ञान और अभ्यासों पर आधारित है। यूनानी चिकित्सा पद्धति का अविर्भाव प्राचीन सभ्यताओं, अर्थात मिस्र, अरब, ईरान, चीन, सीरिया और भारत के पारंपरिक ज्ञान के समेकन से हुआ। इसमें अधिकांशतः प्राकृतिक जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है और इसमें पशु, समुद्र और खनिज मूल की औषधियां भी उपयोग में लाई जाती हैं। इस चिकित्सा पद्धति को शेख बू-अली सीना (अवीसीना) (980-1037 ई.) द्वारा उत्कृष्ट चिकित्सा शास्त्र अल-कानून, राजी (850-923 ई.) और यूनानी चिकित्सकों द्वारा लिखी गईं अन्य कई पुस्तकों में प्रलेखित किया गया है।

2.7.1.2 यूनानी चिकित्सा पद्धति मिजाज संबंधी सिद्धांत अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में मौजूद रक्त, बलगम, पीले पित्त और काले पित्त पर आधारित है। किसी व्यक्ति विशेष का मिजाज इन गुणों की मौजूदगी और उनके सम्मिश्रण के आधार पर आशावादी, बलगमी, पित्त प्रकृति और निराशावादी हो सकता है। यूनानी सिद्धांत के अनुसार मिजाज और औषधों के द्वारा व्यक्ति की मनोवृत्तियां निर्धारित होती हैं। मिजाज की मात्रा और गुणवत्ता में होने वाले किसी परिवर्तन से मानव शरीर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आता है। स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए मिजाज का यथोचित संतुलन आवश्यक है।

2.7.1.3 उपचार में चार घटक, अर्थात निवारक, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वासात्मक शामिल हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति अनेकों विकारों, विशेषतः जीर्ण और उपजनन विकार जैसे गठिया, पीलिया, फाइलेरियासिस, खुजली, साइनुसाइटिस और दमा रोग में प्रभावकारी पाई गई है।

2.7.1.4 रोग के निवारण और स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति जीवन की 6 आवश्यक पूर्वापेक्षाओं (आसाब-ए-सित्ता जुरूरिया) अर्थात् - (i) शुद्ध वायु (ii) भोजन और पेय पदार्थ (iii) शारीरिक श्रम और विश्राम (iv) मानसिक श्रम और

विश्राम (v) निद्रा और जागृत अवस्था (vi) शरीर में उपयोगी तत्वों का ठहराव और व्यर्थ पदार्थों के उत्सर्जन पर जोर देती है।

2.7.1.5 यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपचार की चार किस्में, यथा (i) रेजीमेनल थरेपी (इलाज बित-तदवीर) (ii) डाइटोथिरेपी (इलाज बिल-घिज़ा) (iii) फार्माकोथिरेपी, रेजीमेंटल थिरेपी (इलाज बिद-दवा) और (iv) सर्जरी (इलाज बिल-यद) शामिल हैं। रेजीमेन थिरेपी (इलाज बित-तदवीर) उपचार का एक विशेष तरीका है, जिसके तहत विशेष और जटिल रोगों का इलाज करने के लिए उपचार की विभिन्न पद्धतियां उपयोग में लाई जाती हैं।

2.7.1.6 आईएमएमसी अधिनियम 1970 के अंतर्गत यूनानी शिक्षा तथा पद्धति को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यूनानी शिक्षा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम), एक सांविधिक निकाय द्वारा विनियमित की जाती है। यूनानी औषधियों का निर्माण एवं विक्रय औषध एवं प्रसाधन संबंधी अधिनियम 1940 द्वारा विनियमित किया जाता है।

2.7.1.7 पिछले 50 वर्षों के दौरान 10 स्नातकोत्तर स्तर की विशेषज्ञताएं यथा (i) कुल्लियात (यूनानी चिकित्सा पद्धति के आधारभूत सिद्धांत) (ii) मुनाफील अज़ा (शरीर विज्ञान), (iii) इल्लमुल अदविया (भेषजगुण विज्ञान) (iv) अमराज- ए-निसवां (स्त्री रोग विज्ञान) (v) अमराज-ए-अतफाल (बाल रोग) (vi) तहफ्फुजी व समाजी तिब्ब (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) (vii) मुआलीजात (चिकित्सा) (viii) जराहियात (शल्य चिकित्सा) (ix) इलाज बिद तदबीर (रेजीमेन थिरेपी) और (x) इल्मुल सादिया (यूनानी फार्मेसी) विकसित की गई हैं।

2.7.1.8 1228 सम्मिश्रित औषध योगों वाली राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा फार्मूलरी के 6 खंड और एकल औषधों से संबंधित 298 मोनोग्राफों वाली भारतीय यूनानी भेषज संहिता के 6 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। 100 सम्मिश्रित औषधों वाले सम्मिश्रित औषधयोगों पर भेषजसंहिता के 2 खण्ड भी प्रकाशित हो चुके हैं।

2.7.1.9 यूनानी में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

2.7.1.10 भारत सरकार ने यूनानी चिकित्सा के प्रचार एवं विकास के लिए केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप विश्वविद्यालय में यूनानी पीठ सृजित की है

2.7.1.11 यूनानी चिकित्सा क्षेत्र में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वाली पद्धति, अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों और औषधि निर्माण उद्योगों की दृष्टि से विस्तृत अवसंरचनात्मक ढांचे के साथ भारत को यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी के माना जाता है।

2.8 योग

2.8.1.1 योग मूलतः आध्यात्मिक है और यह स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है, जिसमें शरीर और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया जाता है। 'योग' शब्द के दो अर्थ हैं। पहले अर्थ का मूल 'यूजिर' अर्थात 'एकात्म' है और दूसरा अर्थ 'युजा' मूल से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'समाधि' – मस्तिष्क की चरम स्थिति और नितांत ज्ञान। सुविख्यात संस्कृत व्याकरणविद 'पाणिनि' के अनुसार योग शब्द के ये दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ हैं।

2.8.1.2 योग का अभ्यास स्वस्थ जीवन शैली के एक भाग के रूप में किया जा रहा है और यह हमारी आध्यात्मिक धरोहर का एक हिस्सा बन चुका है। योग आज के युग में पूरे विश्व में लोकप्रिय है, क्योंकि इसके आध्यात्मिक मूल्य हैं, इसकी उपचार क्षमता है, रोगों के निवारण, स्वास्थ्य संवर्धन तथा जीवनशैली से जुड़े विकारों के उपचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक नैदानिक अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि जीवनशैली से जुड़े रोगों अथवा मनोविकारों के उपचार में योग बहुत सक्षम है। इस पद्धति की एक विशेषता यह है कि इसका स्वास्थ्य परिचर्या की अन्य किसी भी पद्धति के साथ विरोध नहीं है।

2.8.1.3 योग का लक्ष्य सभी प्रकार के दु:खों को समाप्त करना है और मोक्ष अथवा मुक्ति प्राप्त करना है। योग के मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, प्रसन्नता, सामन्जस्य, आध्यात्मिक खोज, व्यक्तित्व का विकास आदि है।

2.8.1.4 योग इतना प्राचीन है जितनी हमारी मानव सभ्यता। योग के अस्तित्व का प्रथम पुरातत्वीय साक्ष्य सिंधु घाटी से खोद कर निकाले गए पाषाण मुहरों में पाया जाता है। योग सिंधु घाटी सभ्यता (3000 ई.पू.) की एक विशेषता थी। वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, ग्रंथों, पुराणों, आगमों, तंत्रों आदि में योगिक साहित्य पाया गया है। मध्ययुगीन, आधुनिक और समकालीन साहित्य में भी योग के समृद्ध स्रोत उपलब्ध हैं।

2.8.1.5 वैदिक और उपनिषदीय साहित्य में संदर्भित साहित्य तीन महत्वपूर्ण कृतियों में परिलक्षित है, जिन्हें प्रस्थानत्रेयी कहा जाता है:

i. वेदांत - उपनिषद (उपदेश प्रस्थान)
ii. बदरायण के वेदांत सूत्र (न्याय प्रस्थान)
iii. भगवत गीता (साधना प्रस्थान)

2.8.1.6 इन कृतियों में योग के विभिन्न रूपों जैसे ज्ञान योग: कर्म योग: भक्ति योग: ध्यान योग आदि का उल्लेख है।

2.8.1.7 योग में संदर्भित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार हैं:

(i)	पतंजलि योग सूत्र	(ii)	भगवत गीता
(iii)	वशिष्ट संहिता	(iv)	हठ प्रदीपिका
(v)	घेरांड संहिता	(vi)	हठ तत्व कौमुदी
(vii)	सिद्ध सिद्धांत पद्धति	(viii)	गौ-रक्षा सत्काम
(ix)	शिव संहिता	(x)	हठ रत्नावली
(xi)	अमानस्क योग	(xii)	योग बीज
(xii)	योग तारावली	(xiv)	गो-रक्षा पद्धति
(xv)	शिव स्वरोदय आदि		

2.8.1.8 तथापि, शास्त्रीय योग, जो कि शाद दर्शनों में से एक है, का 200 ई.पू. में रहने वाले महान संत पतंजलि द्वारा समर्थन किया गया है। पतंजलि ने योग सूत्र नामक एक पुस्तक की रचना की, जिसमें 195 सूत्र हैं। पतंजलि ने अष्टांग योग, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रचलित है, का समर्थन

(i)	यम	(आत्म-नियंत्रण)
(ii)	नियम	(पालन)
(iii)	आसन	(मनो-शारीरिक मुद्रा)
(iv)	प्राणायाम	(श्वास नियंत्रण)
(v)	प्रत्याहार	(इंद्रीय नियंत्रण)
(vi)	धारणा	(ध्यान केंद्रण)
(vii)	ध्यान	(चिंतन)
(viii)	समाधि	(समाहरण अथवा मुक्ति की स्थिति)

2.8.1.9 योग उपचार में निम्नलिखित सिद्धांतों और संकल्पनाओं को अपनाया जाता है:

(i) उपनिषदों में उल्लिखित पंचकोष (पांच आवरण) का सिद्धांत।

(ii) पतंजलि योग सूत्र में उल्लिखित चित्त-वृत्तिनिरोध, क्रियायोग और अष्टांग का सिद्धांत।

(iii) पतंजलि योग सूत्र और हठ योग में उल्लिखित विभिन्न प्रकार की शुद्धियों का सिद्धांत।

(iv) हठ योग और कुंडलिनी योग में उल्लिखित वायु और प्राण (नाड़ीशुद्धि) के बंद मार्गों, पद्मों और चक्रों, कुंभक प्राणायाम, मुद्राओं और दृष्टियों को खोलने का सिद्धांत।

(v) पतंजलि योग सूत्र, मंत्र योग और हठ योग की भांति मस्तिष्क से कार्य करना।

(vi) भगवत गीता में उल्लिखित कर्म, ज्ञान, भक्ति के अनुसार कार्य करना।

(vii) तंत्र योग के कतिपय पहलु भी योग के विभिन्न अभ्यासों के साथ समाहित हो जाते हैं।

2.8.1.10 रोगों के निवारण और उपचार के लिए निम्नलिखित योगाभ्यास किए जा रहे हैं:

i. षटकर्म: योग में ये छः शुद्धिकरण तकनीकें हैं, जिनका इस्तेमाल शरीर के आंतरिक अवयवों और प्रणालियों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसे विषरहित करने की प्रक्रिया कहा जाता है। षटकर्म हैं: नेति, धौति, बस्ति, कपालभाति, नौलि, त्राटक।

ii. योगासन: ये शरीर के विशेष आसन हैं, जो शरीर के स्थिर खिंचाव के माध्यम से मस्तिष्क को शांत कर देते हैं। योगासन मनो-शारीरिक प्रकृति के होते हैं। ये शरीर की तंत्रिका-पेशीय और ग्रंथीय प्रणालियों को दुरुस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में 84 से भी अधिक आसनों का उल्लेख है।

iii. प्राणायाम: प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है, जिससे श्वसन नियंत्रण के माध्यम से ऊर्जा को विनियमित करने में मदद मिलती है।.

iv. मुद्रा: ये आसन और प्राणायाम के संयोजन से बनने वाली विशेष मुद्राएं/तकनीक हैं और इनका इस्तेमाल प्राण बल की वाहिका के रूप में किया जाता है।

v. ध्यान: ध्यान का अर्थ है किसी चीज पर ध्यान केंद्रित रखना। ध्यान योगभ्यास का एक अभिन्न अंग है और मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए लाभकारी है और इससे स्वास्थ्य संवर्धन में भी सहायता मिलती है।

2.8.1.11 अनेक प्रमुख योग संस्थान अपनी-अपनी गुरू-शिष्य परंपरा के अनुसार योग के संवर्धन और प्रचार कार्य में संलग्न हैं। बहुत सी संस्थाएं, विश्वविद्यालय योग के विभिन्न पहलुओं में प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

अध्याय 3

3. केंद्रीय आयुष चिकित्सा पद्धति का संगठनात्मक ढांचा

3.1.1 मंत्रालय का गठन

3.1.1.1. आयुष मंत्रालय का नेतृत्व माननीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री श्रीपाद येसो नाईक करते हैं। सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक वैद्य राजेश कोटेचा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव बने हुए हैं। भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के दो अधिकारी भी तैनात हैं, इनमें से एक वित्तीय मामलों पर सलाह देने के लिए अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं।

3.1.1.2. दो संयुक्त सचिवों के अलावा, तकनीकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी हैं जैसे योजना और मूल्यांकन के लिए उप महानिदेशक। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी पद्धतियों के लिए सलाहकार हैं। अधिकारियों में चार निदेशक/उप सचिव या समकक्ष ग्रेड के अधिकारी और छः अवर सचिव या समकक्ष ग्रेड अधिकारी भी हैं जो मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) नाम से मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय भी है जो औषधीय पादप रोपण को प्रोत्साहन देता है। इसका अध्यक्ष एसएजी ग्रेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कुल स्वीकृत पद, भरे हुए पद और रिक्तियां परिशिष्ट-I में दी गई हैं। मंत्रालय का पूरा संगठन चार्ट परिशिष्ट-II में दिया गया है।

3.1.1.3. गत वर्षों में, मंत्रालय ने व्यापक सांस्थानिक ढांचा विकसित कर लिया है जिसमें सांविधिक नियामक निकाय, शीर्ष अनुसंधान निकाय, शीर्ष शैक्षिक संस्थाए शामिल हैं। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन

इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) नाम से एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम भी है।

3.2 सांविधिक नियामक निकाय

3.2.1. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम)

3.2.1.1. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग -2 के खंड 3 (ii) दिनांक 10.08.1971 द्वारा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अंतर्गत किया गया था। इस केंद्रीय परिषद के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तिब. और सोवा रिग्पा के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना;
ii. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में/से चिकित्सा अर्हता की मान्यता (शामिल करने/वापस लेने) से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना;
iii. भारतीय चिकित्सा का केंद्रीय रजिस्टर रखना और रजिस्टर को समय-समय पर संशोधित करना;
iv. चिकित्सकों द्वारा पालन किए जाने के लिए व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नीति शास्त्र के मानक निर्धारित करना।
v. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के नए कॉलेज स्थापित करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना और भारत सरकार की सिफारिशें प्रस्तुत करना जिससे कि स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या बढ़ायी जा सके और नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या अतिरिक्त विषय प्रारंभ किए जा सकें।

3.2.1.2. वर्ष 1971 में इसकी स्थापना के बाद से इस केंद्रीय परिषद ने कई विनियम बनाए और लागू किए हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तिब और सोवा रिग्पा जैसी के लिए स्नातक और स्नात्कोत्तर स्तर पर कार्यक्रम और पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा प्रवृत्त विनियम परिशिष्ट III में सूचीबद्ध हैं।

3.2.2. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच)

3.2.2.1. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर रखने और उससे संबद्ध अन्य मामलों के लिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का गठन किया गया है। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 में पिछली बार 13 अगस्त, 2018 को संशोधन किया गया था, जिसके प्रावधान 18 मई, 2018 से लागू किए गए थे। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने की तारीख से, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय परिषद को हटाकर केंद्रीय परिषद की शक्तियों का उपयोग और कार्य करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया है। 18.5.2019 से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के गठन के बाद, परिषद का उत्तरदायित्व कार्यकारी समिति और शिक्षा समिति निभा रही हैं।

3.2.2.2. परिषद निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करती है:

i. केंद्रीय रजिस्टर का रख-रखाव;
ii. विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए होम्योपैथी शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करती है;

iii. भारत में विश्वविद्यालयों, बोर्डों या संस्थाओं द्वारा दी गई चिकित्सा अर्हता को मान्यता देने या उनकी मान्यता वापस लेने की सिफारिश केंद्र सरकार करती है;

iv. पारस्परिक आधार पर होम्योपैथी में चिकित्सा अर्हता को मान्यता देने संबंधी स्कीम स्थापित करने के लिए भारत के बाहर किसी राष्ट्र या देश के ऐसे प्राधिकारियों के साथ वार्ता करती है, जिनके पास उस राष्ट्र या देश के कानून द्वारा होम्योपैथी चिकित्सकों का रजिस्टर रखने का प्राधिकार है;

v. धारा 12 क की उप-धारा (2) के खंड(ख) के अंतर्गत केंद्र सरकार को नए कॉलेज खोलने, सीटों की वृद्धि करने और नए या उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति के लिए स्कीम के निर्धारित रूप में, स्कीम प्रस्तुत करने की रीति और स्कीम के साथ संदेय शुल्क की सिफारिश करती है;

vi. होम्योपैथी चिकित्सकों द्वारा पालन किए जाने के लिए व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नीति शास्त्र के मानक निर्धारित करती है;

3.2.2.3. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (1) के खंड (i), (ञ) और (ट) और धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस केंद्रीय परिषद ने होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा को उचित स्तर पर पहुंचाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए, जिसके लिए इसने केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक विनियम लागू किए ताकि अखिल भारतीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा की एकरूपता बनाई रखी जा सके। लागू किए गए नियम परिशिष्ट IV में दिए गए हैं।

3.2.2.4. केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जारी रखा गया है और इसे डिजिटाइज़ करके वेबसाइट पर रखा गया है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अहर्ता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सकों को 498 सीधे पंजीकरण के 498 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

3.2.2.5. इस केंद्रीय परिषद ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 298 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण किया और नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने के लिए 17 निरीक्षण किए गए हैं।

3.2.2.6. इस परिषद ने 20 दिसंबर, 2019 को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में निरीक्षकों/आगंतुकों का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और निष्पक्ष निरीक्षण करना है, ताकि कॉलेज होम्योपैथी में बेहतर शिक्षा हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाएं (एमएसआर) विनियमावली 2013 का पालन करें।

3.2.2.7. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 (दिसंबर 2019 तक) के दौरान, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 12क के तहत निम्नलिखित हेतु अनुमति दी गई है: -

3.2.2.8. नए बीएचएमएस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 10 नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोले गए।

3.2.2.9. मौजूदा चार स्नातकपूर्व कॉलेजों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि की गई।

3.2.2.10. 37 सीटों वाले मौजूदा दो होम्योपैथी कॉलेजों में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, फार्मेसी और साइकियाट्री विषयों में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खोले गए। इस दौरान अहर्ता प्राप्त 1518 होम्योपैथिक चिकित्सकों को सीधे पंजीकरण के प्रमाण पत्र जारी किए गए।

3.2.2.11. इस अवधि के दौरान 37 उम्मीदवारों के संबंध में स्नातकोत्तर डिग्री धारियों को योग्यता केंद्रीय रजिस्टर में जोड़ी गई। तीन (3) डुप्लीकेट प्रमाणपत्र भी जारी किए गए थे।

3.3 शीर्ष अनुसंधान निकाय

3.3.1. आयुष में अनुसंधान

3.3.1.1. आयुष में अनुसंधान कार्य पाँच केंद्रीय परिषदों के मार्गदर्शन में किया जाता है। मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय संस्थान भी आयुष पद्धतियों की समग्र प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

3.3.2. केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), नई दिल्ली

3.3.2.1. केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुर्वेद शास्त्र विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने का कार्य करती है। यह राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली और अन्य शोध संस्थानों के साथ मिलकर काम करती है।

3.3.3 केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), नई दिल्ली

3.3.3.1. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान करने का कार्य करती है। इसकी नैदानिक अनुसंधान इकाइयों का पूरा देश में एक नेटवर्क है और यह एनआईयूएम, बैंगलोर के साथ भी सहयोग करती है।

3.3.4 केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएच), नई दिल्ली

3.3.4.1. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् होम्योपैथी में अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करती है।

3.3.5. केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरवाईएन), नई दिल्ली

3.3.5.1. वर्ष 1978 में स्थापित केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरवाईएन), योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान और विकास के लिए एक स्वायत्त संस्थान है।

3.3.5.2. यह परिषद् पूर्णतः मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और परिषद के उद्देश्यों में योग व प्राकृतिक चिकित्सा का अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और अन्य कार्यक्रम शामिल हैं।

3.3.5.3. प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञान के स्नातक (बीएनवाईएस) अपने-अपने राज्यों में पंजीकृत हैं और बीएनवाईएस स्नातकों के केंद्रीय पंजीकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे उन्हें अपने राज्यों से बाहर चिकित्साभ्यास (प्रैक्टिस) के विनियमन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

3.3.5.4. सरकार ने आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा संवर्धन और विकास बोर्ड (एनबीपीडीवाईएन) का गठन किया है। बोर्ड ने 13 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी पहली बैठक में निर्णय लिया था कि योग व प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों का पंजीकरण केंद्रीय और संबंधित राज्य स्तर पर किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि बीएनवाईएस स्नातकों का केंद्रीय पंजीकरण तुरंत शुरू किया जाए।

3.3.5.5. मंत्रालय ने योग व प्राकृतिक चिकित्सा को पंजीकरण प्रदन करने के लिए केंद्रीय कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरवाईएन) को अधिकृत किया। केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरवाईएन) ने योग और प्राकृतिक चिकित्सकों के ऑनलाइन केंद्रीय पंजीकरण के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए टाटा कंसेल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय पंजीकरण के लिए प्रति उम्मीदवार से 2500/- रू. का थोड़ा सा शुल्क लिया जा रहा है।

3.3.5.6. तदनुसार, केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरवाईएन) ने प्राकृतिक चिकित्सा व योग विज्ञान स्नातकों (बीएनवाईएस) के लिए मई, 2017 से ऑनलाइन केंद्रीय पंजीकरण शुरू

किया है और अब तक 1600 से अधिक प्राकृतिक चिकित्सा व योग विज्ञान स्नातक (बीएनवाईएस) पंजीकृत हो चुके हैं।

3.3.6. केंद्रीय सिद्ध चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस), चेन्नई

3.3.6.1. केंद्रीय सिद्ध चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस) सिद्ध चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान करती है और उसके पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण आयोजित करती है।

अध्याय 4

4. आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थान

4.1 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर

4.1.1. प्रस्तावना

4.1.1.1 वर्ष 1976 में स्थापित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष मंत्रालय के अधीन आयुर्वेदिक शिक्षण का एक प्रमुख संस्थान है और यह संस्थान मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है। यह संस्थान आयुर्वेद चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा स्नातक (बीएएमएस) पाठ्यक्रम (100 सीटें), 14 विशेषज्ञताओं में एमडी/एमएस (आयुर्वेद) के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (104 सीटें) तथा 14 विशेषज्ञताओं में पीएचडी (आयुर्वेद) के पोस्ट-डॉक्टोरल पाठ्यक्रम (28 सीटें), एक वर्षीय पंचकर्म तकनीशियन पाठ्यक्रम (28 सीटें) सहित आयुष परिचर्या (नर्सिंग) और भेषजी (फार्मेसी) डिप्लोमा (30 सीटें) तथा आयुर्वेद के विभिन्न विषयों पर 12 लघु अवधि पाठ्यक्रम संचालित करता है।

चित्र 1 सचिव, आयुष मंत्रालय एनआईए, जयपुर में 4वें आयुर्वेद दिवस पर भाषण देते हुए

4.1.1.2 इस संस्थान में अंतरंग रोगी विभाग (आईपीडी) और बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) तथा स्नातकोत्तर और पीएचडी अनुसंधान हेतु आवश्यक औषधि निर्माण के लिए सुसज्जित जीएमपी फार्मेसी है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, फार्मेसी ने लगभग लगभग 332 लाख रूपए मूल्य की 475 प्रकार की औषधियों का निर्माण किया।

4.1.1.3 यह संस्थान नियमित रूप से एक ऑनलाइन पीयर रिव्यूड जर्नल, जर्नल ऑफ आयुर्वेद, एक द्विमासिक न्यूज़लैटर और विभिन्न प्रकार की आईईसी सामग्री प्रकाशित करता है। संस्थान के शिक्षकों ने अंतरराष्ट्रीय और पीयर रिव्यूड राष्ट्रीय जर्नल्स में कई पुस्तकें, शोध लेख और शोध-पत्र प्रकाशित किए।

4.1.2. शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण

.4.1.2.1 संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रदान करता है

i. बीएएमएस स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम (125 सीटें)

ii. एमडी/एमएस (आयु) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (14 विशिष्टताओं में 104 सीटें)

iii. पीएचडी (आयु) के लिए नियमित फैलोशिप (14 विशिष्टताओं में 28 सीटें)

iv. आयुष नर्सिंग और फार्मेसी कोर्स में डिप्लोमा (30 सीटें)

v. 1 वर्ष का पंचकर्म तकनीशियन कोर्स (30 सीटें)

vi. अल्पकालिक पाठ्यक्रम:

vii. आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए पंचकर्म में सर्टिफिकेट कोर्स

viii. क्षारसूत्र सर्टिफिकेट कोर्स

ix. सर्टिफिकेट कोर्स स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट मेटीरियल

x. ट्रेनिंग फॉर ब्यूटि केयर इन आयुर्वेद में अग्रिम सर्टिफिकेट कोर्स

xi. सर्टिफिकेट कोर्स ऑन ट्रेनिंग फॉर ब्यूटि केयर थ्रो आयुर्वेद

xii. सर्टिफिकेट कोर्स ऑन ट्रेनिंग ऑन आयुर्वेदिक मेथड्स ऑफ कुकिंग

xiii. सर्टिफिकेट कोर्स ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रो किचन स्पाइस एंड लोकल प्लांट्स

xiv. सर्टिफिकेट कोर्स ऑन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स इन आयुर्वेद

xv. सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री रोग स्थानिक चिकित्सा

4.1.3. परवर्ती विस्तार

4.1.3.1. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने एनआईए के विस्तारित केंद्र के रूप में हरियाणा के पंचकूला में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है और इसे मंजूरी दी है। दिनांक 12.02.2019 को प्रस्तावित संस्थान का शिलान्यास माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह घटना संस्थान के इतिहास में एक मील का पत्थर है और आयुर्वेदिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोगी देखभाल के क्षेत्र में तथा एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इकाई के रूप में विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन के लिए संस्थान को अपनी एक अलग पहचान प्रदान करता है। पंचकूला के श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा लीज पर 20 एकड़ जमीन पहले ही एनआईए को सौंप दी गई है। मैसर्स वैप्कोस लिमिटेड, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय जो भारत सरकार का एक उपक्रम है उसे प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। सैन्य प्राधिकारियों को प्रस्तावित एनआईए के निर्माण के लिए एनओसी प्रदान किया गया है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है।

4.1.3.2. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने प्रत्याख्यान श्रेणी के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है और यूजीसी ने इस उद्देश्य के लिए पहले ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है तथा इस समिति ने एक बैठक भी आयोजित की और संस्थान के आवेदन पर सिफारिश करने के लिए संस्थान की गतिविधियों की जांच की।

4.1.3.3. संस्थान के 280 बेड वाले कैम्पस अस्पताल को पहले ही एनएबीएच प्रत्यायन प्रदान किया जा चुका है। संस्थान की फार्मेसी, जो अपने मरीजों में मुफ्त वितरण और अनुसंधान के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करती है, एक जीएमपी प्रमाणित फार्मेसी है। एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल की अस्पताल रसोई को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन (एफएसएसएआई) मिला है। संस्थान की अस्पताल प्रयोगशाला को आईएसओ प्रमाणन मिला है। संस्थान ने एनएएसी प्रत्यायन, नेशनल इंस्टिट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सर्टिफिकेशन (एनआईआरएफ) और एनएबीएल प्रमाणन के लिए भी आवेदन किया है। ये संबंधित एजेंसियों के सक्रिय विचारार्थ हैं।

4.1.3.4. संस्थान की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, आयुष मंत्रालय ने संस्थान को विभिन्न कार्यक्रम आवंटित किए हैं जैसे कि इंटर्मीडियरी फार्माको-विजिलेंस सेंटर, आयुटेक के लिए नोडल एजेंसी, रीजनल रॉ ड्रग रेस्पोसिटरी, राष्ट्रीय संस्थानों और मंत्रालय के अधीन कार्यरत अन्य संगठनों के भर्ती नियमों की समीक्षा, आयुर्वेद पर बेंचमार्क दस्तावेजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किए जाने के लिए टास्क फोर्स (भारत के खाद्य और संबंधित पारंपरिक विविधता का संग्रह), वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए आयुष और आरएनटीसीपी सहयोग हेतु तकनीकी कार्य समूह, पश्चिमी क्षेत्र के लिए रीजनल रॉ ड्रग रेस्पोसिटरी आदि। संस्थान इन कार्यकलापों और जिम्मेदारियों के संबंध में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।

4.1.3.5. आयुष मंत्रालय ने संस्थान को राष्ट्रीय स्तर के चौथे आयुर्वेद दिवस के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों में कवि सम्मेलन, फूड फेस्टिवल (हिताहार), विशेष चिकित्सा शिविर, नुक्कड़ नाटक, मैराथन (रन फॉर आयुर्वेद), दीर्घायु के लिए आयुर्वेद पर संगोष्ठी और राष्ट्रीय धनवंतरि पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया गया। श्री ओम बिरला, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, श्री ज्ञानेंद्र सिंह, माननीय केंद्रीय मंत्री जल शक्ति, श्री श्रीपाद यसो नाईक, माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रीरामचरण बोरा, माननीय सांसद, श्री रघुवर शर्मा, आयुर्वेद मंत्री, राजस्थान, श्री महेश जोशी, विधायक, श्री अशोक लाहोटी, विधायक, वैद्य श्री राजेश कोटेचा, सचिव (आयुष), श्री पी के पाठक, अपर सचिव (आयुष), श्री रोशन जग्गी, संयुक्त सचिव (आयुष), डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), वैद्य के एस धीमान, महानिदेशक, सीसीआरएएस आदि गणमान्य व्यक्ति थे। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, विद्वान, शोधकर्ता, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और छात्रों सहित लगभग 2000 लोगों ने इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

4.1.3.6. केंद्रीय संस्थानों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के साथ बीएएमएस के यूजी कोर्स की वार्षिक इंटेक क्षमता को 125 तक बढ़ाया गया था। संस्थान के शिक्षकों द्वारा पीएचडी करने के लिए विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। 1 साल का पंचकर्म टेक्निशियन कोर्स शुरू किया गया है। 3 दिनों से लेकर 45 दिनों तक के एक दर्जन से अधिक लघु-अवधि के पाठ्यक्रम भी लॉन्च किए गए हैं, जोकि आम जनता, पेशेवरों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को व्यापक रूप से आकर्षित कर रहे हैं।

4.1.3.7. यूजी, पीजी और पीएचडी में आयुर्वेदिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेशियों की बहुत ज्यादा मांग है जिसके परिणास्वरूप

निकारागुआ, त्रिनिदाद और टोबैगो, ईरान, सूरीनाम, थाईलैंड, रूस, तंजानिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि के छात्र इन पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं।

4.1.3.8. स्पाइन डायग्नोसिस, चरकसंहिता और शिक्षण पद्धति पर कौशल विकास कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कृमि रोग पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विभिन्न विषयों पर 8 राष्ट्रीय कार्यशालाओं, सीएमई का भी आयोजन किया गया। एनो-रेक्टल सर्जिकल प्रक्रियाओं पर एक सजीव प्रदर्शन कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।

4.1.3.9. संस्थान ने आयुष मंत्रालय, मलेशिया के यूनिवर्सिटि टुंकू अब्दुल रहमान और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, सीसीआरएएस, दत्तामेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा, डीवाई पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी, मुंबई, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बीवीजी लाइफ साइंस लिमिटेड, पूणे, हिमालय ड्रग कंपनी, बीओएचईसीओ मुंबई, श्री धूतपापेश्वर लिमिटेड आदि जैसे संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन किया है। संस्थान को इन अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 450 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं।

4.1.3.10. रोगी देखभाल कार्यकलाप उत्कृष्ट रूप से जारी रहे और ओपीडी में कुल 310260 रोगियों का इलाज किया गया। 69,715 रोगियों का आईपीडी स्तर पर इलाज किया गया। (जनवरी-दिसंबर 2019)

4.1.3.11. संस्थान ने एससी-एसपी योजना के तहत राजस्थान के एक दर्जन एससी आबादी वाले जिलों में नियमित चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए। जयपुर शहर और उसके आसपास स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के साथ चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 83 शिविरों का आयोजन किया गया तथा जिसमें 45,976 मरीजों (जनवरी-दिसंबर 2019) का इलाज किया गया था, परामर्श और चिकित्सा जांच की गई और निशुल्क दवाइयां वितरित की

गईं। एससी-एसपी योजना के तहत, योजना के तहत आबादी वाले लोगों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए, जयपुर जिले के जमवारामगढ़ में सितंबर 2019 में ओपीडी सेवाओं वाला एक अस्पताल शुरू किया गया।

4.1.3.12. संस्थान की जीएमपी प्रमाणित फार्मेसी अस्पतालों के लिए आवश्यक औषधियों का उत्पादन करती है और पीजी के अनुसंधान कार्यकलापों, फैलोशिप कार्यक्रमों और शिक्षकों के अनुसंधान की जरूरतों को भी पूरा करती है। संस्थान अस्पतालों और अनुसंधान की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन को साल-दर-साल बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

4.1.3.13. 7 फरवरी 1976 को स्थापित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का एक सर्वोच्च संस्थान है जो शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी देखभाल के उच्च मानकों को विकसित करने के लिए एक मॉडल संस्थान के रूप में आयुर्वेद की प्रगति और विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के ज्ञान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लागू करने के लिए निरंतर कार्यरत है।

4.1.3.14. संस्थान में एक शासी निकाय है जिसमें 15 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय करते हैं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अवर सचिव स्थायी वित्त समिति के अध्यक्ष हैं और एक संस्थागत आचार समिति भी है।

4.1.3.15. संस्थान स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर शिक्षण, चिकित्सा और अनुसंधान में लगा हुआ है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से शैक्षणिक और परीक्षा प्रयोजनों के लिए संबद्ध है और यह विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का अनुसरण करता है।

4.1.3.16. संस्थान ने एससी-एसपी योजना के तहत राजस्थान के एक दर्जन एससी आबादी वाले जिलों में नियमित चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए। जयपुर शहर और उसके आसपास स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के साथ चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 83 शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसमें 45,976 मरीजों (जनवरी-दिसंबर 2019) का इलाज किया गया था, परामर्श और चिकित्सा जांच की गई और निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। एससी-एसपी योजना के तहत, योजना के तहत आबादी वाले लोगों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए, जयपुर जिले के जमवारामगढ़ में सितंबर 2019 में ओपीडी सेवाओं वाला एक अस्पताल शुरू किया गया।

4.1.3.17. संस्थान की जीएमपी प्रमाणित फार्मेसी अस्पतालों के लिए आवश्यक औषधियों का उत्पादन करती है और पीजी के अनुसंधान कार्यकलापों, फैलोशिप कार्यक्रमों और शिक्षकों के अनुसंधान की जरूरतों को भी पूरा करती है। संस्थान अस्पतालों और अनुसंधान की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन को साल-दर-साल बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

4.1.3.18. पुस्तकालय को स्वचालन सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है जिसमें लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर सिस्टम आरएफआईडी स्टाफ स्टेशन, थर्मल प्रिंटर, लाइब्रेरी सिक्योरिटी गेट सिंगल आइल, अपने-आप चिपकने वाला आरएफआईडी टैग के साथ पुस्तकों के लिए लोगो स्टिकर, आरएफआईडी हैंड हैल्ड रीडर फॉर शेल्फ मैंएजमैंट आदि से लैस है। यह सुविधा पुस्तकों और प्रकाशनों का उचित और सुरक्षित संचालन प्रदान करेगा और पुस्तकों और प्रकाशनों की किसी भी गड़बड़ी, चोरी और कुप्रबंधन को भी विफल करेगा।

4.1.3.19. परिसर में नए ओपीडी भवन और पशु भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के पूरा होने पर, संस्थान पशु सदन का उपयोग करते हुए ड्रग ट्रायल, अनुसंधान आदि प्रारंभ करेगा और रोगियों के लाभ के लिए नई ओपीडी बिल्डिंग की सुविधा ओपीडी और आईपीडी से संबंधित सेवाओं का विस्तार करने में सहायक होगी।

4.1.3.20. हाल ही में आयुर्वेद के लिए ऑडियो-विजुअल म्यूज़ियम ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री एवं पांडुलिपि इकाई को स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की अवधारणाओं को सीखने के तरीके को बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में उन्नत वैज्ञानिक विकास का लाभ उठाकर आयुर्वेद और संस्कृति के इतिहास के सही सार का प्रचार करना, सीखने के घटक और कुछ मौजूदा शिक्षण विधियों के थकाऊ और यांत्रिक पहलुओं को कम करने के लिए, आयुर्वेद अनुसंधान के चरण-वार वैज्ञानिक विकास की खोज और छात्रों, आगंतुकों और विदेशी लोगों के लिए आयुर्वेद के वैज्ञानिक इतिहास के विश्व प्रथम ऑडियो-विजुअल संग्रहालय की स्थापना करना है। पांडुलिपि इकाई पांडुलिपियों के लिपियों, संरक्षण, संरक्षण, महत्वपूर्ण संस्करणों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए पूर्णतः सुसज्जित राष्ट्रीय मानक पांडुलिपि इकाई है। आयुर्वेद स्कॉलर के लिए पांडुलिपि पर नियमित 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी जल्द ही शुरू किया जाएगा।

4.1.3.21. संपूर्ण एनआईए परिवार जोकि 1500 से अधिक की संख्या में है, जिसमें शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्वान, छात्र और रोगी शामिल थे, ने हमारे 40 प्यारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने पुलवामा हमले में अपना जीवन बलिदान किया। संस्थान में आयोजित एक स्मृति समारोह में कें.रि.पु.ब., जयपुर डिवीजन के कमांडर को शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्वानों और छात्रों से एकत्र किए गए 5 लाख रुपए श्रद्धांजलि स्वरूप भेंट किए गए।

4.2. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता

4.2.1 प्रस्तावना

4.2.1.1. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना 1975 में कोलकाता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। यह संस्थान 2003-04 के सत्र तक कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था और 2004-05 से पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता से संबद्ध है।

4.2.1.1. इस संस्थान का उद्देश्य होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना तथा होम्योपैथी के पूर्वस्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों और अनुसंधान विद्वानों को उच्चतम पेशेवर मानकों के अनुसार प्रशिक्षित करना है।

4.2.2. प्रबंध

4.2.2.1. संस्थान का शासी निकाय इसका सर्वोच्च निकाय होता है, जिसकी अध्यक्षता माननीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र) करते हैं। यह शासी निकाय समग्र वित्तीय पहलुओं और नियोजन का निरीक्षण करने के लिए एक स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की नियुक्ति करता है। आर.12011/11/2018-एनआई (एनआईएच) दिनांक 18.2.2019 के द्वारा शासी निकाय का पुनर्गठन किया गया है।

4.2.2.2. आयुष मंत्रालय इस संस्थान के संपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की निगरानी और व्यवस्था करता है। संस्थान का निदेशक इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।

4.2.3 शैक्षणिक कार्यकलाप

4.2.3.1. संस्थान होम्योपैथी में दो पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये पाठ्यक्रम केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पहला है वर्ष 1987 से आयोजित किया जाने वाला 5½ वर्षीय 'अंडर ग्रेजुएट बैचलर ऑफ़ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी'

(बी.एच.एम.एस.) और दूसरा है वर्ष 1998 से पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कोलकाता से संबद्धता के तहत आयोजित किया जाने वाला 3 वर्षीय 'डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी' [एम.डी. (होम.)]। वर्तमान में एनआईएच, कोलकाता में 93 पूर्व स्नातक सीटें और 36 स्नातकोत्तर सीटें उपलब्ध हैं। 63 सीटों के लिए राष्ट्रीय प्रवेश एवं पात्रता परीक्षण (एन ई ई टी) के जरिए दाखिले किए जाते हैं, 14 सीटें केंद्र सरकार के उम्मीदवारों के लिए, 10 सीटें श्रीलंका सरकार के उम्मीदवारों के लिए, 05 सीटें बिम्सटेक के उम्मीदवारों के लिए और एक (1) सीट अन्य विदेशी नागरिकों के लिए रखी गई है।

4.2.3.2. वर्तमान में छह विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन, औषध-विज्ञान (मटेरिया मेडिका), रोगी-विवरण लेना (केस टेकिंग) और रीप्रिटोराइजेशन। इनमें से प्रत्येक विषय के लिए नौ (9) सीटें हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और बाल-चिकित्सा (पेडियाट्रिक्स) प्रत्येक के लिए तीन (3) सीटे हैं। दो सीटें बिम्सटेक देशों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं, छह सीटें केंद्रीय सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों के लिए नियत हैं। वर्ष 2018-21 के सत्र में एम.डी. (होम) पाठ्यक्रम में 34 छात्रों (09 पुरुषों और 25 महिलाओं) और बीएचएमएस पाठ्यक्रम में 88 छात्रों (33 पुरुषों और 55 महिलाओं) को एनआईएच में दाखिला दिया गया है।

4.2.3.3. मार्च में हृदयपुर (बरासत), गोपीबल्लभपुर (झारग्राम), पंचपोथा (सुकिया) में, दिनांक 08.03.2019 को केशियारी (मिदनापुर) में तथा दिनांक 09.03.2019 को शांतिनगर मोड (टॉलीगंज) में ये पाँच नए पीओपीडी खोले गए।

4.2.3.4. जून 2019 के प्रथम सप्ताह में बेलताला पार्क और नियामतपुर में दो और पीओपीडी खोले गए।

चित्र 14 दिनांक 16.12.2019 को आयोजित 21वीं शासी निकाय की बैठक

4.2.3.5. 64वाँ एसएफसी 19.08.2019 को कोलकाता में आयोजित किया गया था।

4.2.3.6. मरीजों में फलों का वितरण करके तथा पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) के तहत "पोषणमाह" के अवसर पर दिनांक 26.09.2019 को प्रस्तुति और नाटक आयोजित करके जागरूकता पैदा की गई।

4.2.3.7. जल शक्ति और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के साथ एनआईएच ने स्वच्छता ही सेवा पर जागरूकता फैलाने तथा एकल प्रयोग प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने और स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए दिनांक 30.09.2019 को जागरूकता अभियान चलाया।

4.2.3.8. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर एनआईएच अस्पताल परिसर में दिनांक 31.10.2019 को सुबह 10.00 बजे से "आत्म स्वास्थ्य विश्वास के द्वारा आत्म विश्वास" कार्यक्रम आयोजित किया गया।

4.2.3.9. दिनांक 21.12.2019 को 21वीं शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई।

4.2.3.10. दिनांक 12.01.2019 को स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनायी गयी।

4.2.3.11. दिनांक 26.01.2019 को 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर एनआईएच के डॉक्टरों, संकायों, कर्मचारियों और छात्रों की उपस्थिति में संयुक्त निदेशक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय गान हुआ।

4.2.3.12. दिनांक 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा, जम्मू-कश्मीर में हुए हमले के अवसर पर, 15 फरवरी 2019 को एनआईएच में मोमबत्तियाँ जलाई गईं और दो मिनट का मौन रखा गया।

4.2.3.13. डॉ. सी. एफ. सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर दिनांक 10.04.2019 को एनआईएच के छात्रों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माला पहनाई गयी तथा उसके बाद वैज्ञानिक सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

4.2.3.14. सभी डॉक्टर, संकाय, कर्मचारी और छात्र योग गुरु की देखरेख में योग का अभ्यास करते हैं। दिनांक 21.06.2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

4.2.3.15. "टुगेदर अगेंस्ट करप्शन" विषय पर दिनांक 04.7.2019 को सामाजिक भ्रष्टाचार विरोधी अंतरराष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

4.2.3.16. एनआईएच के सभी पेंशनरों की शिकायतों के निवारण के लिए दिनांक 23.08.2019 को पेंशन अदालत आयोजित की गई थी।

4.2.3.17. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 का आयोजन दिनांक 28.10.2019 से दिनांक 02.11.2019 तक किया गया था।

4.2.3.18. स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर दिनांक 16.10.2019 से दिनांक 31.10.2019 तक परिसर की सफाई, निबंध एवं नारा, सस्वर पाठ, गीत, वाद-विवाद और ड्राइंग प्रतियोगिता, पास के स्कूल में जागरूकता फैलाने आदि के साथ एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

4.2.3.19. नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस 2019 के अवसर पर, देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए दिनांक 31.10.2019 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती आयोजित की गई।

4.2.3.20. "संविधान दिवस" 26 नवंबर 2019 को मनाया गया और डॉ. अंबेडकर की जयंती दिनांक 26 नवंबर 2019 से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक मनाई जाएगी, जो संस्थान परिसर में मौलिक कर्तव्यों पर केंद्रित है।

4.2.3.21. संस्थान में दिनांक 15.08.2019 को 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, संयुक्त निदेशक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, इसके बाद डॉक्टरों, संकायों, कर्मचारियों और छात्रों की उपस्थिति में राष्ट्रगान गाया गया।

4.2.3.22. 45वां स्थापना दिवस समारोह 2019 वैज्ञानिक सत्र आयोजित करके मनाया गया और

4.2.3.23. दिनांक 10.12.2019 को स्थापना दिवस समारोह 2019 का उद्घाटन कार्यक्रम मनाया गया। उसके बाद दोपहर का भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम अयोजित किया गया।

4.2.3.24. इस संस्थान में दिनांक 11.12.2019 को एनआईएच रिक्रिएशन क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था।

4.3 राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), बैंगलोर

4.3.1. प्रस्तावना

4.3.1.1. राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान वर्ष 1984 में आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (अब आयुष मंत्रालय), भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।

समय के साथ-साथ विकासक्रम में एनआईयूएम ने अपने अस्पताल को एनएबीएच प्रमाणित अस्पताल का दर्जा दिलाकर एक इतिहास रचा है। अब एनआईयूएम अस्पताल और इसकी सभी संबद्ध प्रयोगशालाएँ एनएबीएच प्रमाणित हैं।

4.3.1.2. संस्थान में दस विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। मोआलजत (चिकित्सा), इल्मुलअदविया (औषधशास्त्र), तहफ्फुजिवास्माजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा), क़बालतवाअमरेज़ निस्वान (प्रसूति एवं स्त्री रोग), इल्मुलसैदला (यूनानी फार्मेसी), कुल्लियातउमूर तबिया (यूनानी चिकित्सा पद्धति के मूल सिद्धांत) लल्ज बित तदबीर (रेजिमेंटल थेरेपी) इल्मुलजराहत (शल्यचिकित्सा), महियातुलअमरेज़ (पैथोलॉजी) और अमराजएज़िल्द-वा-ताज़यीनियत (त्वचा और सौन्दर्य प्रसाधन)। संस्थान मोआलजत और इल्मुलअदविया में भी पी.एच.डी. कोर्स करवाता करता है।

4.3.1.3. संस्थान ने विभिन्न बीमारियों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न दिवस मनाए और समय-समय पर विभिन्न स्वास्थ्य शिविर भी लगाए। संस्थान ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल जैसे विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में रोगों के रोगनिवारक पहलुओं से संबंद्ध विचार क्षेत्र पर प्रमुखता से प्रकाश डाला गया। संस्थान के अकादमिक विभाग यूनानी अवधारणाओं को प्रमाणित करने और यूनानी औषधियों की संरक्षा और प्रभावकारिता संबंधी डाटा तैयार करने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। पूर्व-नैदानिक और नैदानिक अध्ययन, यूनानी चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांत और सर्वेक्षण अध्ययन अनुसंधान के मुख्य विषय हैं। संकाय सदस्य और स्नातकोत्तर विद्वान मानक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में नियमित रूप से अपने शोध पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। संस्थान का अपना एक बहुत अच्छा पुस्तकालय है जिसमें स्नातकोत्तर विद्वानों, शोधकर्ताओं

और संकाय सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

चित्र 2 प्रो. अब्दुल वदूद यूनानी दिवस के अवसर पर एक दिवसीय सीएमई के दौरान दर्शकों के साथ बातचीत करते हुए।

4.3.2. प्रमुख उपलब्धियां

4.3.2.1. संस्थान दस विषयों अर्थात मोलज्जत (चिकित्सा), इल्मुल अदवा (फारमैकोलॉजी), तहफ्फुजी वा समाजी तिब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा), क़बलात वा अमराराम निस्वां (प्रसूति और स्त्री रोग), इल्मुल सईदला (यूनानी चिकित्सा), कुल्लू तबिया (यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धांत), इलाज बिद तदबीर (रेजिमेंटल थेरेपी), इल्मुल जराहत (सर्जरी), महियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) और अमराज़े जिल-वा-ताजिनियात (त्वचा और कॉस्मेटोलॉजी) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान मोलज्जत और इल्मुल सलाहिया में पीएचडी पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। देश और विदेश के छात्र संस्थान के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखा रहे हैं।

4.3.2.2. संस्थान में 180 बेड अस्पताल के साथ-साथ पैथोलॉजी और बायो-केमिस्ट्री यूनिट, ई.सी.जी. प्रयोगशाला, रेडियोलॉजी यूनिट, न्यूरोलॉजी और पुनर्वास इकाई अस्पताल से जुड़ी हैं। अस्पताल त्वचा रोगों, जीआईटी और हेपाटो-बिलियरी विकारों, न्यूरोलॉजिकल विकारों, मनोचिकित्सा और जेरिएट्रिक देखभाल के लिए सामान्य और विशेष ओपीडी से रोगियों को नैदानिक सेवाएं प्रदान करता है। यह परिवार नियोजन, मोटापे के लिए पोषण संबंधी सलाह, उच्च रक्तचाप और मधुमेह के रोगियों, टीकाकरण और डॉट्स की सुविधाएं भी प्रदान करता है। एक अलग रेजिमेनल थेरेपी यूनिट, हमाम, ऑपरेशन थिएटर और एक मातृत्व इकाई भी काम कर रही है। संस्थान की अपनी फार्मेसी है और ओपीडी और आईपीडी रोगियों की औषधियों की अधिकतम जरूरतों को पूरा करती है।

4.3.2.3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान एनआईयूएम संकाय सदस्यों और शोध विद्वानों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में 21 शोध-पत्र प्रकाशित किए।

4.4. राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई

4.4.1. प्रस्तावना

4.4.1.1. वर्ष 2004 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई को, भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत शुरू किया गया है।

4.4.1.2. संस्थान सिद्ध चिकित्सा पद्धति की जिन आठ विशेष शाखाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करवाता है वे हैं – (1) पोथुमारुथुवम (2) गुनपदम (3) सिरप्पुमारुथुवम - पुरा मारुथुवम (4) वर्मा मारुथुवम (5) सिद्धर योग मारुथुवम (6) कुझंथाईमारुथुवम (7) नोईनादल और (8) नानजुमारुथुवम जिनमें से प्रत्येक शाखा में दाखिले के लिए 2-8 सीटों की

संख्या परिवर्तनीय है तथा सीटों की कुल संख्या 48 है जिनमें दूसरे देशों के उम्मीदवारों से भरी जाने वाली एक (1) सीट भी शामिल है।

4.4.1.3. अंतिम परीक्षा के लिए उपस्थित हुए 41 छात्रों में से, 36 छात्रों ने वर्ष 2018-19 के दौरान एमडी (सिद्ध) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया और उन्हें तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई द्वारा डिग्री प्रदान की गई।

4.4.1.4. 2018-19 के दौरान, 45 छात्रों (सिद्ध स्नातकों) को उपर्युक्त आठ (8) शाखाओं में अखिल भारतीय आयुष - स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (एआई-पीजीईटी) में उनकी योग्यता के आधार पर एम.डी (सिद्ध) पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश दिया गया और उसके बाद एन आई एस में एक ही केंद्र पर उनकी काउंसलिंग की गई।

4.4.1.5. यह संस्थान शैक्षणिक और परीक्षागत प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय, चेन्नई से संबद्ध है और विश्वविद्यालय द्वारा यथा स्वीकृत केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्य विवरण और पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। एन आई एस सिद्ध संकाय सदस्यों के, जिन्हें गाइड के रूप में मान्यता दी गई है, मार्गदर्शन में पीएचडी कार्यक्रम के संचालन के लिए तमिलनाडु के डॉ. एम.जी.आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय से भी मान्यता प्राप्त है। इस पीएचडी कार्यक्रम के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रत्येक विशेष-विषय के लिए दो एसआरएफ को वजीफा दिया जाता है।

4.4.1.6. संस्थान नैदानिक और पूर्व नैदानिक अध्ययन, सिद्ध औषधियों के भौतिक-रासायनिक विश्लेषण और मौलिक शोध में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। स्नातकोत्तर छात्रों और पीएचडी विद्वानों के शोध की गुणवत्ता पर मार्गदर्शन के अलावा संस्थागत आचार समिति और संस्थागत पशु आचार समिति द्वारा भी नजर रखी जाती है।

4.4.1.7. एनआईएस में 88 कर्मचारी हैं, जिनमें से 40 महिलाएं हैं।

4.4.1.8. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भर्ती की क्षमता 46 है।

4.4.2. प्रमुख उपलब्धियां

4.4.2.1. एनआईएस ने देश में रोगियों की देखभाल और कल्याण की एकीकृत और सहयोगात्मक प्रणाली विकसित करने के संबंध में आयुष की अवधारणाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से 24-25 सितंबर, 2018 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू), नई दिल्ली द्वारा भेजे गए 15 केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

4.4.2.2. राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान ने 12-16 फरवरी, 2018 और 11-15 फरवरी, 2019 के दौरान प्रयोगशालागत पशु देखरेख और बुनियादी अनुसंधान तकनीक विषय पर दो प्रशिक्षण सह कार्यशालाएं आयोजित की। इन कार्यशालाओं में कुल 56 स्नातकोत्तर छात्रों ने भाग लिया और वे औषधियों की खोज और विकास संबंधी अनुसंधान के उद्देश्य के लिए पशु देखभाल संबंधी प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए।

4.4.2.3. अयोथीदास पंडितहर अस्पताल, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान के नए ओपीडी ब्लॉक के निर्माण के लिए और सीसीआरएस मुख्यालय के निर्माण के लिए, 2 मई 2018 को एनआईएस परिसर में शिलान्यास समारोह आयोजित किए गए थे। श्री श्रीपाद येसो नाईक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने शिलान्यास किया और मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित किया। पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय, श्री एस.आर.राजा, माननीय विधान सभा सदस्य, प्रो. डॉ. वी. भानुमथी, निदेशक, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, प्रो. डी.आर.

रामासामी, महानिदेशक, सीसीआरएस और प्रो. वैद्य धीमान, महानिदेशक, सीसीआरएएस ने भी इस आयोजन में भाग लिया।

4.4.2.4. नोईनदाल विभाग ने 16.04.2018 से 20.04.2018 तक राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान में एमएडी (सिद्ध) स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए शोध कार्यप्रणाली और जैव सांख्यिकी विषय पर एक पांच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन प्रो. डॉ. वी. भानुमथी, निदेशक ने किया तथा माननीय थिरु न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन, न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय ने 20/04/2018 को राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान के सभागार में आयोजित किए गए समापन सत्र में समापन भाषण दिया और "रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स मैनुअल" जारी किया।

4.4.2.5. आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल अध्ययन - 2015-16 (योजना) के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल में आयुष द्वारा मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में ग्रामीण महिलाओं में किशोरावस्था में होने वाले पांडुरोग (एनीमिया) के लिए सिद्ध मध्यस्थता को बढ़ावा देने का कार्य जारी है और इस परियोजना के विस्तार के लिए आयुष मंत्रालय की मंजूरी के अनुसार अगस्त, 2019 तक अध्ययन पूरा होने की उम्मीद है।

4.4.2.6. दिनांक 16.9.2018 से 15.9.2021 की अवधि के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए अयोथीदास पंडितहर अस्पताल को एनएबीएच प्रमाणन प्राप्त हुआ।

4.4.2.7. एक द्विवार्षिक पीयर रिव्यूड "जर्नल ऑफ सिद्ध" का प्रकाशन पुनः प्रारंभ किया गया है और माह जनवरी 2018 में नए अंक का प्रकाशन किया गया। राष्ट्रीय सिद्ध चिकित्सा संस्थान (एनआईएस) ने 2018 के दौरान और 31 मार्च, 2019 तक वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 30 से अधिक शोध-पत्र प्रकाशित किए हैं।

4.4.2.8. राष्ट्रीय सिद्ध चिकित्सा संस्थान में 21-10-2018 **से** 22-10-2018 **तक आयुष पेशेवरों के लिए आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यशाला आयोजित की गई। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली हेतु विविध कम्प्यूटरीकृत मॉड्यूल सीखने के लिए सभी परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों के कुल** 39 **प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉ. लीला वी. छत्रे, विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी), आयुष-ग्रिड परियोजना, आयुष मंत्रालय ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आयुष मंत्रालय के महत्व और दृष्टि पर बल दिया। राष्ट्रीय सिद्ध चिकित्सा संस्थान ने अयोथीदास पंडितहर अस्पताल में चरणबद्ध तरीके से ए-एचएमआईएस के कार्यान्वयन की शुरुआत की है।**

4.4.2.9. मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होमियोपैथी भेषज-गुण सतर्कता केंद्रों का नेटवर्क विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भेषज-गुण सतर्कता केंद्र के अंतर्गत सिद्ध चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय सिद्ध चिकित्सा संस्थान को अंतरवर्ती भेषज-गुण सतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2018 **के दौरान तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में सिद्ध चिकित्सा के लिए नौ परिधीय भेषज-गुण सतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय सिद्ध चिकित्सा संस्थान, चेन्नई में** 30 **नवंबर से** 1 **दिसंबर** 2018 **के दौरान परिधीय भेषज-गुण सतर्कता केंद्रों (पीपीवीसी) और सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सिद्ध चिकित्सा भेषज-गुण सतर्कता से संबंधित प्रक्रिया, परिणाम और प्रभाव आकलन के लिए सीएमई आयोजित की गई। भेषज-गुण सतर्कता की निगरानी और मूल्यांकन के अंतर्गत वैज्ञानिक समुदाय और जनता के लिए औषधियों की सुरक्षा को उजागर करने के लिए दुष्प्रभावों, प्रतिकूल घटनाओं, गंभीर प्रतिकूल घटनाओं आदि के निष्पक्ष तरीके से प्रलेखन की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। अंतरवर्ती भेषज-गुण सतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) और परिधीय भेषज-गुण सतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) भ्रामक**

विज्ञापनों की निगरानी करेंगे और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे।

4.5 राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे

4.5.1. परिचय

4.5.1.1. राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जो पुणे के मातोश्री रमाबाई अंबेडकर रोड स्थित "बापू भवन" नामक एक ऐतिहासिक स्थान पर स्थित है। "बापू भवन" का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। पूर्व में यह स्थान स्वर्गीय डॉ. दिनेशा के. मेहता द्वारा संचालित "नेचर क्योर क्लिनिक एंड सैनिटोरियम" के रूप में जाना जाता था। इस केंद्र में ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट स्थापित किया गया था और महात्मा गांधी इसके स्थायी अध्यक्ष बने। यह संस्थान गांधीजी के जीवन से प्राप्त प्रेरणा और मार्गदर्शन की पवित्र विरासत के रूप में काम करता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे दिनांक 22.12.1986 को अस्तित्व में आया।

4.5.1.2. राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान गांधीवादी मूल्यों के प्रचार के उद्देश्य से काम करता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा और योग को सभी के लिए सुलभ बनाता है और प्राकृतिक चिकित्सा और योग के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान करता है।

4.5.2. उद्देश्य

4.5.2.1. राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. मौजूदा ज्ञान के मानकीकरण और प्रसार तथा प्राकृतिक चिकित्सा और योग के क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग के लिए सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करना
ii. नेचर क्योर यूनिवर्सिटी की स्थापना करके प्राकृतिक चिकित्सा और योग के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण/शिक्षण की सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना

iii. मानव स्वास्थ्य से जुड़े सभी पहलुओं में अनुसंधान कार्यों को संचालित करना, उसे सुविधाजनक बनाना और प्रोत्साहन प्रदान करना

iv. फेलोशिप एवं अन्य डॉक्टोरल कार्यक्रमों के माध्यम से गांधीवादी विचारों के संबंध में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना

v. स्वस्थ भारत के संबंध में गांधीजी की विचार दृष्टि पर आधारित स्वास्थ्य सेवा मॉडल विकसित करना

vi. गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना

4.5.3. उपलब्धियां

4.5.3.1. राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे की 200 करोड़ रुपए की लागत वाली निसर्ग ग्राम परियोजना की आधारशिला पुणे स्थित सर्वे नंबर 8 येवलवाडी, पुणे में श्री श्रीपाद येसो नाईक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री अनिल शिरोले, संसद सदस्य (लोकसभा), श्री विजय शिवतारे, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, महाराष्ट्र सरकार, श्री गिरीश बापट, संरक्षक, पुणे के मंत्री और श्री योगेश तिलेकर, विधायक, पुणे की उपस्थिति में 10 मार्च, 2019 को रखी गई।

4.5.3.2. यह परियोजना 250 बेड (आईपीडी) के अस्पताल और प्रतिदिन 500 मरीज ओपीडी सुविधा के साथ शुरू हुई है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक-बीएलवाईएस/परास्नातक-एम.डी./ पीएच.डी./फेलोशिप/पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। अनुसंधान एकक तथा महात्मा गांधी के जीवन और कार्यकलापों के संबंध में एक जीवंत मेमोरियल/संग्रहालय की स्थापना इस परियोजना के महत् उद्देश्यों में शामिल है।

4.5.3.3. राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) विभिन्न सूचना पुस्तिकाओं, पाठ्य पुस्तकों, प्रशिक्षण पुस्तिकाओं आदि का प्रकाशन करता है। इस वर्ष एनआईएन ने निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की हैं:

i. प्राकृतिक चिकित्सा दिवस प्रोटोकोल - हिंदी और अंग्रेजी

ii. निसर्गोपचार वार्ता – विशेषांक

iii. नैदानिक प्राकृतिक चिकित्सा - योग - चिकित्सकों और छात्रों के लिए एक मैनुअल

iv. प्रैक्टिकल हाइड्रोथेरेपी

v. हार्ट ऑफ मेडिसिन

vi. निसर्गोपचार वार्ता का विमोचन- (मराठी संस्करण न्यूज़ लेटर)

vii. एक्यूप्रेशर मैनुअल

4.6 राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली

4.6.1. परिचय

4.6.1.1. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ संबंधित मंत्रालय के अधीन एक पंजीकृत सोसायटी तथा स्वायत्तशासी संगठन है। इस विद्यापीठ की स्थापना आयुर्वेद के ज्ञान के संरक्षण तथा भारतीय परंपरागत पद्धति अर्थात 'गुरु-शिष्य परंपरा' के माध्यम से प्रख्यात विद्वानों और पारंपरिक वैद्यों से नई पीढ़ी को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका अभीष्ट उद्देश्य आयुर्वेद के ग्रंथों, क्लीनिकल प्रैक्टिसेज और आयुर्वेदिक फार्मेसी के क्षेत्र में विशेषज्ञों का समूह तैयार करना है।

4.6.1.2. विद्यापीठ का प्रशासनिक कार्य धन्वंतरी भवन, रोड नंबर 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026 से संचालित हो रहा है। पूरे देश में विद्यापीठ द्वारा नामांकित इसके कई प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

4.6.1.3. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के शासी निकाय का पुनर्गठन 20 दिसंबर, 2019 को 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

4.6.2. उपलब्धियां

.4.6.2.1 दीक्षांत समारोह में आर्युर्वेद के ग्यारह (11) प्रसिद्ध विद्वानों को 'राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ फेलो' से सम्मानित किया गया और इस क्षेत्र

के चार (04) प्रतिष्ठित व्यक्तियों को 'लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

4.6.2.2. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने वर्ष 2018-2019 से नए छात्रों के लिए पारंपरिक शिष्योपनयनीय संस्कार शुरू किया है।

4.6.2.3. विद्यापीठ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक आयुर्वेद की पुस्तकें और उन पुस्तकों का अनुवाद भी प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने अपने 24वें राष्ट्रीय सेमिनार में 'रोल ऑफ आयुर्वेदा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन' विषय पर एक पुस्तक प्रकाशित की है।

4.7. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली

4.7.1. परिचय

4.7.1.1. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) आयुष मंत्रालय के अधीन संचालित तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी संगठन है। एमडीएनआईवाई वर्ष 1998 में तत्कालीन केंद्रीय योग अनुसंधान संस्थान (सीआरआईवाई) के उन्नयन के माध्यम से अस्तित्व में आया, जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी।

4.7.1.2. संस्थान का उद्देश्य सर्वजन के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के निमित्त लोगों में प्राचीन योगसिद्ध परंपराओं पर आधारित योग दर्शन और योगाभ्यास की गहरी समझ विकसित करना है।

4.7.1.3. एमडीएनआईवाई की दृष्टि योग के माध्यम से सर्वजन के स्वास्थ्य, खुशहाली और सद्भाव को परिपुष्ट करने पर केंद्रित है तथा यह वर्तमान समय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए योग के आकांक्षी, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को योग शिक्षा, प्रशिक्षण, थेरेपी और अनुसंधान की सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के जज़्बे के साथ काम करता है।

4.7.2. उद्देश्य

4.7.2.1. संस्थान के उद्देश्य निम्नवत हैं:

i. **योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में कार्य करना;**

ii. **योग दर्शन, योग विज्ञान और योग कला का विकास, प्रचार और प्रसार करना; तथा**

iii. **उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योग शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा और अनुसंधान के संबंध में अपेक्षित सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करना।**

4.7.3 उपलब्धियां

4.7.3.1. एमडीएनआईवाई पिछले 4 वर्षों से पारंपरिक चिकित्सा (योग) के सहयोग केंद्र के रूप में नामित है। इसने अभी तक 4 कार्यकलाप संपन्न कर लिए हैं और अब इसे अगले चार वर्षों (2017-2021) के लिए "गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के नियंत्रण हेतु प्रमाण सम्मत योगाभ्यास को बढ़ावा देने के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयास में योगदान" हेतु टर्म्स ऑफ़ रेफेरेंस (टीओआर) से जुड़े सहयोग केंद्र के रूप में कार्य करने हेतु पुनः नामित किया गया है।

4.7.3.2. एमडीएनआईवाई ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शानदार आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतिष्ठित योग विशेषज्ञों और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के परामर्श से संस्थान द्वारा कॉमन योग प्रोटोकॉल बुकलेट्स और डीवीडी तैयार और मुद्रित किए गए थे। संस्थान ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को योग विशेषज्ञ भी उपलब्ध कराए, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष 1, 23,616 लोग लाभान्वित हुए हैं।

4.7.3.3. संस्थान माह के प्रथम शनिवार को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञों, योग के प्रख्यात विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं को आमंत्रित करते हुए मासिक आधार पर कुल 07 नैदानिक योग चिकित्सा कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

4.7.3.4. एमडीएनआईवाई संस्थान के संकाय सदस्यों और छात्रों के लिए माह के प्रथम शुक्रवार को योग के प्रख्यात विद्वानों और शोधकर्ताओं को आमंत्रित करते हुए मासिक आधार पर कुल 10 ओरिएंटेशन लेक्चर आयोजित कर रहा है।

4.7.3.5. संस्थान ने तिहाड़ जेल प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

4.7.4 शैक्षिक निकायों/मंत्रालयों/विभागों के साथ सहयोग

4.7.4.1. संस्थान ने योग संबंधी दो पुस्तिकाओं- (i) "योग: ए हेल्दी वे ऑफ़ लिविंग" उच्च प्राथमिक स्तर के लिए और (ii) योग: ए हेल्दी वे ऑफ़ लिविंग" माध्यमिक स्तर के लिए, को प्रकाशित करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) के साथ संपर्क स्थापित किया है।

4.7.4.2. संस्थान ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के साथ उसके 13 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में भागीदारी की है, जिसमें योग को पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

4.7.4.3. संस्थान विभिन्न योग प्रोटोकॉल में तालमेल बनाने के लिए सभी अग्रणी योग संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है।

4.7.4.4. संस्थान यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, सीबीएसई, इग्नू, आईसीसीआर, एमएच एंड एफ़डब्ल्यू, एमवाईए एंड एस, एमईए, एमआई एंड बी, एमडब्ल्यू एंड सीडब्ल्यू, एमआर तथा ऐसे अन्य निकायों और मंत्रालयों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

4.7.5. प्रकाशन

4.7.5.1. संस्थान प्रत्येक वर्ष आईडीवाई के कॉमन योग प्रोटोकॉल (हिंदी और अंग्रेजी) बुकलेट की मुद्रित प्रति के साथ ही साथ उसकी डीवीडी भी तैयार कर रहा है।

4.7.5.2. एमडीएनआईवाई 'बच्चों के लिए योग', 'किशोरों के लिए योग', 'गर्भवती महिलाओं के लिए योग' और 'स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए योग' से संबंधित 4 मॉड्यूल तैयार कर रहा है।

4.7.5.3. संस्थान ने आम लोगों के लिए योग की 20 से अधिक आईईसी पुस्तकें (हिंदी और अंग्रेज़ी में) प्रकाशित की हैं और उनकी डीवीडी भी तैयार की है।

4.7.5.4. संस्थान योग और योगाभ्यासों के मूलभूत पहलुओं के साथ-साथ आम जनता के लाभ के लिए विभिन्न रोगों पर पुस्तिकाएं, पत्रक, सूचनात्मक ब्रोशर आदि प्रकाशित कराता है।

4.8 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली

4.8.1. प्रस्तावना

4.8.1.1. स्थापना के कुछ ही समय के भीतर, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी व्यापक पहचान बनाई है। आयुर्वेद के उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में वैज्ञानिक जानकारी में अंतराल को कम करने के उद्देश्य से, गुणवत्ता अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से और अन्य संस्थानों के लिए आयुर्वेदिक शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा के मानक विकसित करने के लिए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

4.8.1.2. संस्थान की ऐसी परिकल्पना(विज़न) है जिससे वह आयुर्वेद तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए उत्कृष्ट केंद्र बन सकता है और मानवता के लाभ के लिए आयुर्वेद के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान और

रोगी देखभाल के उच्चतम मानकों को निर्धारित कर सकता है। इसका मिशन आयुर्वेद में स्नातकोत्तर और पोस्ट-डॉक्टरल शिक्षा के लिए मानक स्थापित करके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम स्तर की आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच बनाकर रोल मॉडल बनना है, आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आयुर्वेद की प्राचीन ज्ञान की मान्यता पर केंद्रित अंतःविषय अनुसंधान करना है।

4.8.2. उपलब्धियां

4.8.2.1. एआईआईए - द्वितीय चरण, सरिता विहार नई दिल्ली के निर्माण का कार्य जोरशोर से चल रहा है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक अतिआधुनिक ऑडिटोरियम, आयुष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फार्मेसी यूनिट, केंद्रीय पुस्तकालय, पंचकर्म विंग, अंतरराष्ट्रीय गेस्ट हाउस, आवासीय परिसर, लड़कों और लड़कियों का छात्रावास आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान निर्माण कार्य पर 21.236 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

4.8.2.2. धारगल, पेरनाम तालुका, गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है और वर्ष के दौरान 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

4.8.2.3. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने प्रत्येक बुधवार को आईआईटी दिल्ली अस्पताल में उपग्रह (सैटेलाइट) ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं।

4.8.2.4. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को एएसयू और एच औषधियों के लिए राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस समन्वय केंद्र के रूप में नामित किया गया है।

4.8.2.5. संस्थान आयुर्वेद मामले की केस रिपोर्ट (आयुकेयर) जारी कर रहा है, जो केस रिपोर्ट्स के लिए एक विशेष जर्नल है और केस स्टडीज के प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पत्रिका है।

4.8.2.6. एआईआईए में 13 मई 2019 से 17 मई 2019 तक नर्स सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया।

4.8.2.7. संकायों ने विभिन्न सहकर्मियों द्वारा समीक्षा की गई पत्रिकाओं में लगभग 28 जनरल लेख, 0 वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए हैं।

4.8.2.8. संस्थान में 33 कार्मिक हैं, जिनमें से 17 महिलाएँ हैं। नौ समूह क संकाय हैं, जिनमें से 7 महिलाएं हैं।

4.8.2.9. कुल 581 व्यक्तियों (पुरुष 267 और महिला 314) ने एआईआईए द्वारा आयोजित 40 तकनीकी कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों/कार्यशालाओं में भाग लिया।

4.8.2.10. एआईआईए ने वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीएमई कार्यक्रमों का संचालन किया।

i. दिनांक 15 जुलाई, 2019 को घुटने और टखने की चोट के संदर्भ में खेल चोट प्रबंधन पर सीएमई।
ii. 22-27 जुलाई, 2019 से शिक्षकों के लिए स्वास्थ्यवृत्त में सीएमई।
iii. शल्य तंत्र द्वारा 21-26 अक्टूबर, 2019 को आयोजित चिकित्सा अधिकारियों के लिए सीएमई।
iv. दिनांक 18 से 23 नवंबर, 2019 तक कायचिकित्सा और द्रव्यगुण विभाग में शिक्षकों के लिए सीएमई।

v. दिनांक 22 नवंबर, 2019 को एआईआईए और आईजीआईबी-सीएसआईआर द्वारा सीएमई-प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशाला में एकीकृत चिकित्सा में अवसर और चुनौतियां विषय पर आयोजित की गई।

vi. दिनांक 4 दिसंबर, 2019 को शालक्य तंत्र के सामान्य नेत्र रोग विभाग पर सीएमई।

vii. दिनांक 4 -9 नवंबर, 2019 से संहिता सिद्धांत के शिक्षकों के लिए सीएमई।

4.8.2.11. एआईआईए ने वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाओं/ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का संचालन किया।

i. हरियाणा राज्य, सीएचओ का ओरिएंटेशन प्रशिक्षण (19 से 22 अगस्त, 2019) और आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के तहत आशा (19 से 20 अगस्त, 2019)।

ii. 25 से 26 सितंबर, 2019 तक "आयुर्वेद आहार" पर दो दिनों की कार्यशाला: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सहयोग से मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विनियमन के एक सेट को अंतिम रूप देने के लिए आयुष मंत्रालय का एक कार्यक्रम।

iii. आयुर्वेद दिवस समारोह के तहत, "दीर्धायु", अयूर्फेस्ट - 2019, 15 - 16 अक्टूबर, 2019, विभिन्न प्रतियोगिता जैसे वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला और खाना पकाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन एआईआईए और दिल्ली – एनसीआर कॉलेजों के संकाय और कर्मचारियों के लिए किया गया।

iv. 17 अक्टूबर, 2019 को स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर कार्यशाला।

v. 14 वीं-15वीं नवंबर, 2019 से डाइबटीज़ मेलेटस (टाइप -2) के प्रबंधन और जन जागरूकता कार्यक्रम पर कार्यशाला।

vi. एआईआईए के संकाय, स्टाफ और पीजी स्कॉलर्स के लिए 26 दिसंबर, 2019 को टीम वर्क, टीम प्रबंधन और तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई थी।

vii. 06 दिन की कार्यशाला "चरक संहिता विमर्श" का आयोजन 23 – 28 सितंबर, 2019 को विभाग द्वारा किया गया।

4.8.2.12. विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित संकाय को नामित किया गया।

i. डॉ. महापात्र अरुण कुमार, डॉ. प्रमोद यादव और डॉ. शिवकुमार हर्ति ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18.11.2019 से 20.11.2019 तक आयोजित "उपयोगकर्ताओं के लिए ई ऑफिस में क्षमता निर्माण कार्यक्रम" में भाग लिया।

ii. डॉ. महापात्र अरुण कुमार ने चार सप्ताह (04) के आयुष प्रोफेशनल हेतु आईटी पाठ्यक्रम, सीडीएसी, पुणे, महाराष्ट्र में भाग लिया - 29.07.2019

iii. डॉ. राजगोपाल एस ने दिसंबर 2019 में "पल्लव – 2019, कौमारभृत्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" एसबीएमकेएएम, केएलई एएचई, बेलागवी, के दौरान कौमारभृत्य पाठ्यक्रम और एमएसआर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच, आयुर्वेद बाल रोग (आई-लैप) के अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों में भाग लिया।

iv. डॉ. राजगोपाल एस ने दिसंबर 2019 में "पल्लव – 2019, कौमारभृत्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यशाला" एसबीएमकेएएम, केएलई एएचई, बेलागवी, में भाग लिया।

v. डॉ. राजगोपाल एस और डॉ. महापात्र अरुणकुमार ने एआईआईए, नई दिल्ली में जुलाई 2019 में आयोजित "आयुष खेल उपचार के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने" पर एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

vi. डॉ. मीरा के भोजाणी, सहायक प्रो., संहिता विभाग ने 5 अगस्त से 10 अगस्त, 2019 तक आईपीजीटी एंड आरए, जामनगर में सीएमई में भाग लिया।

vii. डॉ. मीरा के भोजाणी, सहायक प्रो., संहिता विभाग को 20 से 26 नवंबर, 2019 तक "अयूर्गेनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन फॉर वेलनेस" कार्यशाला के लिए नामित किया गया।

4.8.2.13. एआईआईए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष हेतु 58 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ एमडी/एमएस (आयु) पाठ्यक्रम में शिक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में संस्थान में 47 पुरुष और 160 महिला छात्र नामांकित हैं।

4.9 नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन (एनईआईएफएम), पासीघाट

4.9.1. परिचय

4.9.1.1. अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में स्थित नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन (एनईआईएफएम) मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय संस्थान है। इसे अन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ

संपर्क और सहयोग के साथ लोक चिकित्सा के सभी पहलुओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र और सर्वोच्च अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

4.9.1.2. भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विविध वनस्पतियों और जीवों में समृद्ध व संपन्न है, जिसमें पारंपरिक लोक चिकित्सा पद्धतियों, उपचारों और उपचारों की समृद्ध और विशाल विरासत है। एनईआईएफएम का लक्ष्य और उद्देश्य इन स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनर्जीवित करने, बढ़ावा देने और दोहन करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में प्रचलित लोक चिकित्सा पद्धतियों, उपचारों और उपचारों का सर्वेक्षण, दस्तावेज और सत्यापन करना है।

4.9.1.3. एनईआईएफएम लोक चिकित्सा की उचित समझ उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक/लोक चिकित्सा चिकित्सकों और अनुसंधान संस्थानों के बीच एक अंतराफलक (इंटरफ़ेस) तैयार करेगा। यह कौशल को उन्नत करने और पारंपरिक/लोक चिकित्सा चिकित्सकों की क्षमताओं को बनाने और बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करेगा। जहां संभव होगा, वैध लोक चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

4.9.1.4. संस्थान को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है और इसका अध्यक्ष एक निदेशक होता है।

4.9.2. उपलब्धियां

4.9.2.1. डॉ. (श्रीमती) टी. बोराह ने 31 दिसंबर 2019 (अपराह्न) ने संस्थान के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

4.9.2.2. संस्थान के जूलॉजिस्ट ने 5-9 अगस्त, 2019 के दौरान सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, हैदराबाद में साइंटिस्ट एंड टे

स पर इमोशनल इंटेलिजेंस पर पांच दिनों के कार्यक्रम में भाग लिया।

चित्र

4.9.2.3. संस्थान के चिकित्सा अधिकारी 5-7 मार्च, 2019 के दौरान सिद्ध राष्ट्रीय संस्थान में आयुष-एचआईएमएस हेतु आयुष कार्मिकों के निर्माण विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए।

4.9.2.4. संस्थान के चिकित्सा अधिकारी 15-19 अक्टूबर, 2019 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली में आयोजित आयुर्वेद मॉड्यूल 1 और 2 पर छह दिनों के सीएमई कार्यक्रम में शामिल हुए।

4.10. उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), शिलांग

4.10.1. परिचय

4.10.1.1. उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनईआईए एच), शिलांग भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। संस्थान का औपचारिक रूप से उद्घाटन श्री श्रीपाद येसो नाईक, माननीय राज्य मंत्री (आईसी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर, 2016 को किया गया था।

4.10.1.2. संस्थान की स्थापना स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टोरल और पोस्ट-डॉक्टोरल शिक्षण, अनुसंधान सुविधाओं और चिकित्सा के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रणालियों के तहत सेवाओं में गुणवत्ता की देखभाल के लिए की गई है। यह 100-बिस्तर वाले आयुर्वेद अस्पताल और 50-बिस्तर वाले होम्योपैथी अस्पताल की क्षमता के साथ स्थापित किया गया था।

4.10.1.3. प्रथम चरण परियोजना के तहत अस्पताल और महाविद्यालय भवनों का निर्माण (कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, आयुर्वेद अस्पताल, होम्योपैथी अस्पताल, लाइब्रेरी ब्लॉक) शिलांग स्थित मावदियांगदियांग में उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी स्वास्थ्य और

चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस) के निकट 20 एकड़ जमीन पर पूरा किया गया है।

4.10.2. उपलब्धियां

4.10.2.1. एक केंद्रीय पुस्तकालय 2016 से पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है और वर्तमान में पुस्तकालय में 1832 पुस्तकें और आयुर्वेद, होम्योपैथी, आधुनिक और सामान्य क्षेत्रों से संबंधित 14040 प्रतियाँ हैं।

4.10.2.2. संस्थान बी.ए.एम.एस छात्रों को पढ़ाने और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से और अस्पताल में उपयोग के लिए आवश्यक आयुर्वेदिक औषधियोम और औषधीय तेल उपलब्ध कराने के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय, रस शास्त्र विभाग के तहत स्वयं की एक फार्मेसी स्थापित करने की प्रक्रिया में भी है।

4.10.2.3. संस्थान अपने बी.ए.एम.एस और बी.एच.एम.एस छात्रों को प्रायोगिक निदर्शन देने के उद्देश्य से औषधीय पादप बोर्ड, वन और पर्यावरण विभाग, मेघालय सरकार के साथ सहयोग कर रहा है।

4.10.2.4. संस्थान प्रतिवर्ष आई.एस.एस.एन (2349-2422) सूचकांक और द्वि-वार्षिक पीयर-रिव्यू रिसर्च जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी अर्थात "आयुहोम" को प्रकाशित कर रहा है।

4.10.2.5. संस्थान को नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनएचईयू), शिलांग, मेघालय द्वारा परीक्षा केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है।

4.10.2.6. सीएमई/सेमिनार/कार्यशाला/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी (एनईआईएएच), मावदयांगियांग, शिलांग ने आयुर्वेद और कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के संकाय सदस्यों को नामित/प्रतिनियुक्त किया है।

4.10.2.7. फैकल्टी ने 23-25 अक्टूबर, 2019 को लीमा पेरू में "बुजुर्गों की सक्रिय और स्वस्थ आयु वृद्धि का शक्तिकरण" शीर्षक से आयुर्वेद पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

4.10.2.8. संस्थान ने मार्च-अप्रैल, 2019 माह में असम राज्य के चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) हेतु और अगस्त-सितंबर, 2019 माह में मिज़ोरम राज्य के चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के लिए पंचकर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें संकाय ने अतिथि वक्ताओं के रूप में भाग लिया।

4.10.2.9. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) के साथ आयुष कार्मिकों के लिए एक महीने का आईटी कोर्स जुलाई- अगस्त, 2019 को पुणे में आयोजित किया गया।

4.10.2.10. संस्थान ने शनिवार, 21 दिसंबर, 2019 को संस्थान के पहले निदेशक, स्वर्गीय प्रो. (डॉ.) एस.पी. भट्टाचार्जी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर 4वें स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया है।

4.10.2.11. संस्थान ने 26 नवंबर, 2019 को भारत के संविधान दिवस को मनाया और प्रस्तावना का पाठ किया।

4.10.2.12. संस्थान ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 से 2 नवंबर, 2019 तक मनाया जिसमें वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और पर्चे के वितरण आदि का आयोजन किया।

4.10.2.13. संस्थान ने वार्षिक कॉलेज सप्ताह दिनांक 11 नवंबर, 2019-14 नवंबर, 2019 और 4वें फ्रेशर्स मीट को 15 नवंबर, 2019 को बड़े ही धूमधाम और सम्मान के साथ मनाया जिस दौरान वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, खेलकूद आदि का आयोजन किया गया।

4.10.2.14. संस्थान ने 22 दिसंबर, 2019 रविवार को चौथा स्थापना दिवस मनाया।

4.10.2.15. एनईआईएएच ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रत्येक बीएएमएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रम में 63 छात्रों को प्रवेश दिया है, पिछले वर्षों में प्रत्येक में 50 छात्रों को प्रवेश दिया गया था। दोनों पाठ्यक्रम नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू), शिलांग, मेघालय से संबद्ध हैं।

4.10.2.16. एक वर्ष का पंचकर्म थैरेपिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स (सत्र 2019-20) का प्रवेश पूरा हो गया है और कक्षाएं 21 अक्टूबर, 2019 से प्रारंभ हो गई हैं।

4.10.2.17. अस्पताल:

4.10.2.18.

4.11 आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईपीजीटी एवं आरए)

4.11.1. परिचय

4.11.1.1. भारत सरकार ने 1952 में औषधियों की स्वदेशी प्रणाली में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआईआरआईएसएम) धन्वंतरि मंदिर, जामनगर, और 20 जुलाई, 1956 को आयुर्वेद में पीजी अध्ययन और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। बाद में, 1962 में इन दोनों संस्थानों का विलय करके आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान (आईएएसआर) बनाया गया। आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केंद्र (पीजीटीसीए) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे "आयुर्वेद में उच्चतर प्रवीणता (एचपीए)" शुरू किया गया। 1967 में पुन: स्नातकोत्तर केंद्र गुजरात

आयुर्वेद विश्वविद्यालय का अभिन्न हिस्सा बन गया और इसे आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईपीजीटी एंड आरए) का नाम दिया गया।

4.11.1.2. वर्तमान में, यह संस्थान केंद्रीय वित्त स्कीम के तहत के तहत भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधिनियमों और संविधि द्वारा नियंत्रित होता है और आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान बोर्ड इसका शासकीय निकाय है।

4.11.1.3. इस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया कार्यबल भारत में आयुर्वेद शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रशासन का आधार है। यह संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक औषधियों (आयुर्वेद) के समन्वय केंद्र के रूप में नामित किया गया है। 40 से अधिक देशों के अनेक छात्र इस संस्थान में आते हैं और आयुर्वेद की विभिन्न विशेषज्ञता में प्रशिक्षण प्राप्त करते है।

4.11.1.4. अब तक 1857 से अधिक स्नातकोत्तर और 338 चिकित्सकों ने इस संस्थान से परीक्षा उत्तीण की है जो भारत में और विदेशों में आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

4.11.1.5. सर्वोत्कृष्ट आयुर्वेद संस्थान और अंततः राष्ट्रीय महत्व के स्तर का संस्थान होने के नाते इस संस्थान का मिशन है कि यह विश्व स्तर के शिक्षक, व्यवसायी और अनुसंधानकर्ता तैयार करे और संस्थान इसी मिशन से कार्य करता है। यह अपने अनुप्रयुक्त पहलुओं के साथ आयुर्वेद की विशिष्ट जानकारी के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने और आयुर्वेद के प्रवर्धन और प्रचार के साथ शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार और अनुसंधान के लिए सक्षम मानव संसाधन तैयार करने के लिए कार्य करता है। संस्थान का परम लक्ष्य पूरे विश्व में आयुर्वेद का प्रचार करना है।

4.11.2 उद्देश्य

4.11.2.1. संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. आधारभूत-विज्ञान के विकास कार्यों को शामिल करते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना।
ii. विश्वव्यापी स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता को पूरा करना।
iii. आयुर्वेद के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में कार्य करना।
iv. पारंपरिक दावों और सिद्धांतों को फिर से वैध बनाने के लिए सहयोगपूर्ण अनुसंधान करना।
v. साक्ष्य आधारित अनुसंधान के माध्यम से औषधालयों को समृद्ध बनाना।
vi. सार्वजनिक स्वास्थ्य में आयुर्वेद को शामिल करना।
vii. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सहयोग करना और उसके समृद्ध बनाना।

4.11.3. बुनियादी सुविधाएं

4.11.3.1. संस्थान में तीन छात्रावासों की व्यवस्था है जैसे लड़कों का छात्रावास (110 एकल कक्ष), लड़कियों का छात्रावास (69 एकल कक्ष) और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रावास (40 एकल कक्ष जिसमें एसी लगे हैं और रसोई साथ में है)। संस्थान में 300 सीट की क्षमता वाला वातानुकूलित ऑडिटोरियम है जिसमें मल्टी मीडिया (ऑडियो – वीडियो विजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर) सुविधा है। ओपीडी/आईपीडी/छात्रावास और संस्थान के भवन में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है। संस्थान के अलग-अलग श्रेणियों के 90 स्टाफ क्वार्टर भी हैं।

4.11.3.2. आने वाले अतिथियों के रहने के लिए कैंपस में विभिन्न श्रेणियां के (वीआईपी, एसी, एसी रहित) 30 कक्षों वाला अतिथि-गृह है और इसकी व्यवस्था संस्थान द्वारा की जा रही है।

4.11.3.3. विश्वविद्यालय की परिसर में अपनी फार्मेसी भी है जहां अपेक्षित औषधियां बनाई जाती हैं और यह आई पी जी टी और आर ए अस्पतालों तथा अनुसंधान कार्य की जरूरतों को पूरा करती है। फार्मेसी में लगभग एक करोड़ रू. की लागत वाली मशीनरी लगी है जो भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से लगाई गई है।

4.11.4. उपलब्धियां

4.11.4.1. प्रारंभ से ही, संस्थान अनुसंधान से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है और इसने इसमें विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

4.11.4.2. भारत सरकार के विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय के सहयोग से, आईपीजीटी एंड आरए, जामनगर में 26-29 नवंबर 2019 और 2-4 दिसंबर, 2019 के दौरान लगातार दो कार्यकारी समूह की बैठकें आयोजित की।

4.11.4.3. आयुर्वेद एवं यूनानी और पंचकर्म अभ्यास में प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए बेंचमार्क हेतु डब्ल्यूएचओ परामर्श समिति की बैठक (26-29 नवंबर, 2019)।

4.11.4.4. आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म अभ्यास दस्तावेजों के लिए बेंचमार्क हेतु डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञ परामर्श बैठक 26 नवंबर से 29 नवंबर 2019 के दौरान आयोजित की गई। इस बैठक के उद्घाटन समारोह में, श्री. प्रमोद पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, अनूप ठाकर, माननीय प्रो. कुलपति, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, डॉ. किम सुंगचोल, क्षेत्रीय सलाहकार, पारंपरिक चिकित्सा, डब्ल्यूएचओ (एसईएआरओ), और डब्ल्यूएचओ मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड से डॉ. गीता कृष्णन पिल्लई उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म अभ्यास और प्रशिक्षण दस्तावेजों के ड्राफ्ट पर गंभीर रूप से अध्ययन और विशेषज्ञ राय प्रदान करना था।

4.11.4.5. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधियों के अलावा, भारत, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, रूस, स्पेन, अमेरिका, इटली, तंजानिया, मॉरीशस, यूएई, जर्मनी और मलेशिया जैसे 22 विभिन्न देशों के 53 विशेषज्ञ (आयुर्वेद 22, पंचकर्म 15 और यूनानी 16) ने लगातार चर्चा

की और अपनी संबंधित औषधि प्रणाली के प्रारूप को अद्यतन करने में योगदान दिया। इस उद्देश्य के लिए, तीन अलग-अलग कार्यकारी समूह समितियों का गठन किया गया था। चार दिवसीय बैठक के अंत में, प्रत्येक समूह के प्रतिनिधि ने अपने विचार प्रस्तुत किए और इसके आधार पर डब्ल्यूएचओ आयुर्वेद, पंचकर्म और यूनानी चिकित्सा पद्धति के अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए अंतिम दस्तावेजों का मसौदा तैयार करेगा।

4.11.4.6. डब्ल्यूएचओ की कार्यकारी समिति की बैठक में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी की शब्दावली के लिए 2-4 दिसंबर 2019 के दौरान बैठक हुई।

4.11.4.7. डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के प्रयासों से आईपीजीटी एवं आरए में दिनांक 2 से 4 दिसंबर, 2019 के दौरान आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध की मानक शब्दावली दस्तावेजों पर तीन दिवसीय डब्ल्यूएचओ कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के उद्घाटन समारोह में श्री पी. एन. रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने आयुष के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी और बैठक की सफलता की कामना की तथा आशा व्यक्त की कि इस प्रयास के परिणामों से वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा की स्थिति को उन्नत करने में मदद मिलेगी, प्रो. अनूप ठाकर, माननीय गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के कुलपति ने सभी विशेषज्ञों का स्वागत किया और संस्थान के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी।

4.11.4.8. डॉ. किम सुंगचोल, क्षेत्रीय सलाहकार, पारंपरिक चिकित्सा, डब्ल्यूएचओ (एसईएआरओ), नई दिल्ली ने परिचयात्मक अभ्युक्ति दी और डॉ. गीता कृष्णन पिल्लई, डब्ल्यूएचओ मुख्यालय जिनेवा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस बैठक में डब्ल्यूएचओ के 47 विशेषज्ञों के अतिरिक्त, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, कनाडा, डेनमार्क, घाना, जापान, ईरान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड जैसे 15 देशों के आयुर्वेद (18), यूनानी (15) और सिद्ध (14) के विशेषज्ञ शामिल हुए।

4.11.4.9. फार्माकोविजिलेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन; आयुसुरक्षा 2019

4.11.4.10. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित, 8-10 नवंबर, 2019 को आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए फार्माकोविजिलेंस (आयुसुरक्षा 2019) और सोसायटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस, भारत के 18वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहली बार, एएसयू एवं एच औषधियों के फार्माकोविजिलेंस पहलुओं पर चर्चा करने के लिए औषधियों की पारंपरिक व आयुष प्रणाली दोनों क्षेत्रों से संबंधित प्रणाली का एक सम्मेलन का आयोजन फार्माकोविजिलेंस सोसाइटी, भारत तथा आयुष मंत्रालय के सहयोग से किया गया।

4.11.4.11. दिनांक 8 नवंबर 2019 को डॉ. पी.एम. मेहता ऑडिटोरियम, आईपीजीटी एंड आरए भवन, जामनगर जिसमें 7 ज्ञान स्रोत्र व्यक्तियों ने फार्माकोविजिलेंस के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी और संपूर्ण भारत में 10 अलग-अलग सत्रों में कुल 220 प्रतिनिधियों सहित 52 फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, 42 कार्यक्रम सहायकों को प्रशिक्षित किया।

4.11.4.12. "कोम्पेंडियम ऑफ इंवाइटेड आर्टिकल्स ऑन फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी" पर 65 आमंत्रित लेखों के योगदान के साथ और " जर्नल ऑफ फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी" के विशेषांक में 19 लेख और 43 सार शामिल किए गए।

4.11.4.13. कार्यक्रम को चार सत्रों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें सात ज्ञान स्रोत व्यक्तियों ने फार्माकोविजिलेंस से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपना भाषण दिया। इन वैज्ञानिक सत्रों के पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय समन्वयक और निदेशक, एएसयू एवं एच के लिए नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेल के साथ एएसयू एवं एच औषधियों के लिए फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के समन्वयक और कार्यक्रम सहयोगी की बैठक आयोजित की गई।

4.11.4.14. दो दिनों के सम्मेलन कार्यक्रम को फार्माकोविजिलेंस के विभिन्न पहलुओं के अनुसार सात संगोष्ठियों में वर्गीकृत किया गया था।

सभी में 18 आमंत्रित व्याख्यान, 33 मौखिक और 42 पोस्टर प्रस्तुतियाँ थीं। इस सम्मेलन में देश भर के साथ-साथ विदेशों से भी कुल 320 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें राज्य और केंद्र आदि से बहु-विषयक शिक्षाविद, स्नातकोत्तर विद्वान, शोधकर्ता, विषय विशेषज्ञ, एएसयू एवं एच के फार्मास्यूटिकल उद्योग से संबंधित व्यक्ति, चिकित्सक, सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति, चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए।

4.11.4.15. संगोष्ठी-I में (जॉन ऑटियन ओरियन)-कुल 12 और अभिनव एवं नैदानिक अध्ययन पर पेपर प्रस्तुतियाँ इस संगोष्ठी में प्रस्तुत की गईं। संगोष्ठी II को नियामक पहलुओं के रूप में आयोजित किया गया था। संगोष्ठी III को उद्योग के दृष्टिकोण के लिए आरक्षित किया गया था, जहां फार्माकोविजिलेंस अवलोकन, संभावित चुनौतियां और आगे की राह को ध्यान में रखते हुए उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा फाइटोस्यूटिकल्स से न्यूट्रास्यूटिकल्स तक के संदर्भ में फार्माकोविजिलेंस के महत्व, प्रोप्रायटरी (एएसयू एवं एच) के लिए फार्माकोविजिलेंस मामलों की आवश्यकता तथा औषधीय सतर्कता के संदर्भ में उद्योग का दृष्टिकोण आदि विषयों पर भाषण दिए गए। इस संगोष्ठी में कुल छह पेपर प्रस्तुत किए गए।

4.11.4.16. संगोष्ठी IV में औषधीय सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की गई जिसमें औषधि देने की शास्त्रीय अवधारणा के महत्व पर जोर दिया गया, रसौषधियों के नुस्खे में दवा की खुराक पर भी जोर दिया गया।

4.11.4.17. संगोष्ठी V फार्माकोविजिलेंस के आहार और न्यूट्रास्युटिकल्स पहलुओं से संबंधित था जिसमें बच्चों के लिए कैरोटीनॉयड और टोकोफेरोल समृद्ध कार्यात्मक भोजन की अवधारणा और विकास, बढ़ते बच्चों में कार्यात्मक खाद्य पदार्थों का महत्व, उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक दवाओं, फलों और पूरक उत्पादों के लिए फार्माकोविजिलेंस दृष्टिकोण और बुजुर्ग लोगों में दृष्टिकोण ऑफ लेबल उपयोग जैसे विषयों को लिया गया था।

4.11.4.18. एएसयू एवं एच औषधिओं में फार्माकोविजिलेंस मामलों पर संगोष्ठी VI का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में, आयुष के बहु-विषयक वक्ताओं द्वारा पंचकर्म अभ्यास में फार्माकोविजिलेंस की आवश्यकता व महत्व, होम्योपैथी में फार्माकोविजिलेंस मामलों की आवश्यकता, यूनानी और सिद्ध औषधि प्रणाली, रिपोर्ट किए गए एडीआर के लिए अपेक्षित संभावित नियामक कार्य एवं एएसयू और एच दवाओं से एडीई की रोकथाम के लिए चिकित्सकों और उपभोक्ताओं को दिशानिर्देशों जारी करने की आवश्यकता पर भाषण दिए।

4.11.4.19. संगोष्ठी VII औषधियों की आयुष प्रणाली में प्रक्रियात्मक सतर्कता के लिए समर्पित थी जहां विशेषज्ञों ने एएसयू और योग प्रक्रियाओं में फार्माकोविजिलेंस मामलों, योगिक प्रथाओं में फार्माकोविजिलेंस की आवश्यकता एवं योगिक प्रथाओं संबंधी मामले के उत्पन्न होने के संभावित कारणों, पारसर्जिकल प्रक्रियाओं की फार्माकोविजिलेंस मामले जैसे विषयों, आयुर्वेद में प्रयोग किए जाने वाले क्रियाकल्प के फार्माकोविजिलेंस मामलों और परासर्जिकल प्रक्रियाओं जैसे क्षार, अग्नि और रक्तमोक्षण पर भाषण दिए।

4.11.4.20. पोस्टर प्रस्तुति सत्र में, कुल 42 प्रस्तुतकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने पोस्टर प्रस्तुत किया।

4.11.4.21. एएसयू एवं एच औषधियों के लिए फार्माकोविजिलेंस के कार्यान्वयन और निगरानी संबंधी आगे का रोडमैप की सुविधा के लिए सदन की सिफारिशें मंत्रालय को भेजी गईं। मौखिक और पोस्टर प्रस्तुति के लिए यूपीपीएसएएलए पुरस्कार के अतिरिक्त प्रत्येक सत्र और श्रेणी से दो पुरस्कार प्रदान किए गए।

4.11.4.22. प्रकाशन

4.11.4.23. संस्थान में एमडी (आयु) में 53 छात्र (15 पुरुष और 32 महिला), पीएचडी में 22 और एम.फार्मा में 17 हैं।

4.11.5. इंडियन मेडिसिंस फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)

4.11.5.1. आईएमपीसीएल एक अनुसूची 'डी' "मिनी- राना" श्रेणी-।।, जीएमपी एवं आईएसओ 9001: 2015 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। आईएमपीसीएल, भारत सरकार का उपक्रम (सीपीएसई) है, जिसमें भारत सरकार का 98.11% तथा कुमाऊँ मंडल विकास निगम लिमिटेड, जो 12 जुलाई 1978 को निगमित की गई थी, के माध्यम से उत्तराखंड राज्य सरकार का 1.89% शेयर है। यह पट्टे पर ली गई 38 एकड़ भूमि पर कोसी नदी के किनारे पर बने प्रसिद्ध जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के निकट मोहान की कुमाऊ पहाड़ियों की आकर्षक घाटियों में स्थित है, इसमें 15 एकड़ पर बना औषधीय बाग भी शामिल है।

4.11.5.2. सी.जी.एच.एस., राज्य सरकार, अस्पतालों/औषधालयों, विभिन्न शोध परिषदों एवं राष्ट्रीय संस्थाओं, राष्ट्रीय अभियानों/प्रोग्रामों जैसे एनएएमसी, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रामाणिक एवं प्रभावोत्पादक पुरातन आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के निर्माण के लिए आईएमपीसीएल की स्थापना की है। इस समय आईएमपीसीएल के पास 656 पुरातन आयुर्वेदिक एवं सांपत्तिक तथा 332 यूनानी औषधियों के विनिर्माण का लाइसेंस है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अनिवार्य औषधि सूची की समग्र रेंज को शामिल किया गया है।

4.11.5.3. कंपनी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन जून, 1983 में शुरू किया गया था। आईएमपीसीएल समय के साथ धीरे-धीरे विकसित हुआ है और आयुर्वेद और यूनानी की प्रामाणिक औषधियों के निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम बन गया है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत एएसयू औषधियों और उसमें उपयुक्त सामग्री (कच्चे माल) के परीक्षण के लिए आईएमपीसीएल ने अपने इन-हाउस लैब "आयुष औषधि परीक्षण प्रयोगशाला" के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली है।

4.11.5.4. वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन का विवरण निम्नलिखित है

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अनुमानित)
उत्पादन	23.04	37.21	27.24	40.59	30.00
लोन लाइसेंस का उत्पादन	शून्य	6.49	25.62	14.69	13.83
बिक्री	34.32	66.46	95.21	86.83	70.00

अध्याय 5

5. शिक्षा नीति

5.1.1. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) प्रणालियों की शिक्षा नीति

51.1.1. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (आईएमसीसी) अधिनियम, 1970 की धारा 13 क और 13 ग में वर्ष 2003 में संशोधन नए एएसयू कॉलेजों की स्थापना करने, अध्ययन/प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने या मौजूदा पाठ्यक्रमों में नया/उच्चतर या अलग पाठ्यक्रम (एएसयू) पाठ्यक्रम शुरू करने और मौजूदा एएसयू कॉलेजों में इस तरह के पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए भी मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने का अधिदेश प्रदान करती है।

5.1.1.2. संशोधित आईएमसीसी अधिनियम की धारा 13क के तहत प्रावधानों को लागू करने हेतु सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (सीसीआईएम) ने "नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्चतर पाठ्यक्रम चालू करने और किसी चिकित्सा कॉलेज की प्रवेश क्षमता में वृद्धि नियमावली 2003" 15.03.2004 को अधिसूचित की थी जिसे 28.03.2014 को पुनः संशोधित किया गया।

5.1.1.3. केंद्रीय परिषद ने स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं। परिषद द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा और पाठ्यक्रम के न्यूनतम मानक भी निर्धारित किए गए हैं।

<u>आयुर्वेद</u>	
आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिकल एंड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
आयुर्वेदवाचस्पति (एमडी-आयुर्वेद)	3 वर्ष
आयुर्वेदधनवंतरि (एमएस-आयुर्वेद)	3 वर्ष
आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (विशेषज्ञता)	2 वर्ष

<u>यूनानी तिब्ब</u>	
कामिल-ए-ताइ-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
माहिर-ए-तिब (एमडी-यूनानी)	3 वर्ष
माहिर-ए-जराहत (एमएस-यूनानी)	3 वर्ष
स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन यूनानी (विशेषज्ञता)	2 वर्ष
<u>सिद्ध</u>	
सिद्ध मरूथुवाअरिग्नर (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
सिद्ध मरूथुवापेरारिग्नर (एमडी-सिद्ध)	3 वर्ष
स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन सिद्ध (विशेषज्ञता)	2 वर्ष
<u>सोवा रिग्पा</u>	
मेन्पाकचुपा (बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी-बीएसआरएमएस)	5-1/2 वर्ष

5.1.1.4. पारदर्शिता लाने के लिए और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू और एच) स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सभी राज्यों के उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित संशोधन नियमों को प्रकाशित और अधिसूचित किया है स्नातक और स्नातकोत्तर में एएसयू और एच विनियम जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रभावी हैं:

i. केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन नियम, 2018 और 2019;
ii. केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन नियम, 2018 और 2019;
iii. केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) संशोधन नियम, 2018 और 2019;
iv. केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) संशोधन नियम, 2018 और 2019।

5.1.1.5. संशोधन नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

5.1.1.6. एक समान प्रवेश परीक्षा अर्थात राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) सभी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू और एच) में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और एक समान प्रवेश परीक्षा अर्थात् प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर परीक्षा (एआईएपीजीईटी) सभी एएसयू और एच संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

5.1.1.7. अखिल भारतीय कोटा सीटें बनाई गई हैं: शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी कॉलेजों, मानित विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों में सभी एएसयू और एच स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कुल सीटों का न्यूनतम 15% (जो संबंधित राज्य/विश्वविद्यालय/संस्थानों के मौजूदा नियमों के अनुसार अधिक हो सकता है)।

5.1.1.8. अखिल भारतीय कोटा सीटों के संचालन के लिए आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति (एएसीसीसी) नामक एक समिति का भी गठन किया गया है।

5.1.1.9. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए, एनईईटी और एआईएपीजीईटी का संचालन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा किया गया था।

5.1.1.10. स्नातक परामर्श 25.06.2019 से शुरू किया गया था और शैक्षिक वर्ष 2019-20 के लिए 30.09.2019 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।

5.1.1.11. स्नातकोत्तर परामर्श 16.08.2019 से शुरू किया गया था और शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए 31.10.2019 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।

5.1.1.12.1.4. शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (आईएमसीसी) अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी गई है –

i. स्नातक (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में कुल 740 सीटों के साथ 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित करना;
ii. स्नातक (बीएसएमएस) पाठ्यक्रम में कुल 120 सीटों के साथ 02 नए सिद्ध महाविद्यालयों की स्थापना करना;
iii. स्नातक (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में कुल 45 सीटों के साथ 03 नए सोवा-रिग्पा कॉलेज स्थापित करना;

iv. मौजूदा 12 आयुर्वेद कॉलेजों में 270 स्नातक (बीएएमएस) सीटों द्वारा और मौजूदा 02 यूनानी कॉलेज में 30 स्नातक (बीयूएमएस) सीटों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए;

v. 97 स्नातकोत्तर सीटों के साथ मौजूदा 06 आयुर्वेद कॉलेजों में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खोलने के लिए; तथा

vi. 22 स्नातकोत्तर सीटों के साथ मौजूदा 03 यूनानी कॉलेज में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खोलने के लिए;

vii. मौजूदा 01 आयुर्वेद कॉलेज में 05 स्नातकोत्तर (आयुर्वेद) सीटों द्वारा प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए।

5.1.1.13.1.5. संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 दिनांक 12.01.2019, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 10% सीटों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए, मौजूदा एएसयू और एच राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए स्नातक सीटें बढ़ा दी गई हैं।

5.1.1.14. ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटों के आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा स्नातक सेवन क्षमता के अलावा कुल 1008 आयुर्वेद स्नातक सीटों में वृद्धि की गई है

5.1.1.15. ईडबल्यूएस के लिए 10% सीटों के आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा स्नातक सेवन क्षमता के अलावा कुल 118 यूनानी स्नातक सीटों में वृद्धि की गई है

5.1.1.16.1.6. सीसीआईएम की सिफारिशों और रिपोर्ट और आवश्यकतानुसार सुनवाई समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के आधार पर, सशर्त अनुमति शैक्षिक सत्र 2019-20 से 369 एएसयू और एसआर कॉलेजों (317 आयुर्वेद कॉलेज, 12 सिद्ध कॉलेज, 37 यूनानी (83 आयुर्वेद, 18 यूनानी और 01 सिद्ध) कॉलेज और 03 सोवा-रिग्पा कॉलेज) और शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए 102 एएसयू और एसआर कॉलेजों को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। इसके अलावा, कुल 13 आयुर्वेद कॉलेज संबंधित राज्य सरकार और संबंधित विश्वविद्यालय के साथ डी-मान्यता के लिए परामर्श की प्रक्रिया में हैं। कॉलेजों की संख्या, जिसके लिए अनुमति दी गई या खंडन किया गया था, को इंगित करने वाला एक विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

5.1.1.17.1.7. आईएमसीसी अधिनियम, 1970 की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार, केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय के अनुरोध और सीसीआईएम की सिफारिशों को प्राप्त करने के

बाद, 2019-20 की अवधि के दौरान निम्नलिखित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा योग्यता को शामिल किया है। आईएमसीसी अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन किया है:

i. बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
ii. तमिलनाडु के डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई - 2 अधिसूचनाएं
iii. बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक
iv. देश भगत विश्वविद्यालय, मंडी, गोबिंदगढ़
v. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
vi. पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात

5.1.2. शैक्षणिक नीति – होम्योपैथी

5.1.2.1. वर्ष 2002 में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (एचसीसी) अधिनियम, 1973 में संशोधन के बाद, नए कॉलेजों की स्थापना करने, अध्ययन/प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने और वर्तमान होम्योपैथी कॉलेजों में अध्ययन/प्रशिक्षण का उच्चतर या नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य हो गई है। संशोधित एचसीसी अधिनियम की धारा 12क के तहत प्रावधानों को लागू करने के लिए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) ने नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना (किसी चिकित्सा कॉलेज द्वारा अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम चालू किया जाना और प्रवेश क्षमता में वृद्धि किया जाना) विनियमावली, 2011 नामक एक विनियमावली 30.09.2011 को अधिसूचित की थी।

5.1.2.2. शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के दौरान, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (एचसीसी) अधिनियम, 1973 की धारा 12क के तहत निम्नलिखित अनुमति दी गई हैं:

i. बीएचएमएस के नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 13 नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज (12 स्नातकपूर्व + 1 स्नातकोत्तर) खोलना;
ii. दो (02) मौजूदा स्नातकपूर्व कॉलेजों में 75 स्नातकपूर्व सीटों की प्रवेश क्षमता बढ़ाना; तथा
iii. 10 मौजूदा होम्योपैथी कॉलेजों में 152 सीटों के साथ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खोलना।

5.1.2.3. एचसीसी (एमएसआर) विनियमावली, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के दौरान होम्योपैथी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 176 कॉलेजों (13 नए सहित) को अनुमति दी गई है।

5.1.2.4. एचसीसी अधिनियम, 1973 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय के अनुरोध और सीसीएच की सिफारिश प्राप्त करने के बाद, 2018-19 की अवधि के दौरान निम्नलिखित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा योग्यता को एचसीसी अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया है।

i. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
ii. तमिल नाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल विश्वविद्यालय, चेन्नई
iii. गुरू रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, होशियारपुर
iv. उत्कल विश्वविद्यालय, ओडिशा
v. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, झारखंड
vi. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
vii. पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता
viii. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
ix. राजीव गांधी स्वास्थ्य सेवा विश्वविद्यालय, कर्नाटक
x. केरल स्वास्थ्य सेवा विश्वविद्यालय, केरल.
xi. छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

5.2. शैक्षणिक कार्यकलाप

5.2.1. आयुष में सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) का समर्थन करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना

5.2.1.1. सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) की स्कीम 11 वीं योजना में लागू की गई थी और तभी से जारी है। इस स्कीम की समग्र संरचना आयुष कर्मियों को जरूरत-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने और ज्ञान अंतराल को पाटने के लिए प्रोत्साहित करना है। नौ ऐसे सीएमई हैं

5.2.1.2. इस स्कीम के अंतर्गत वेब-आधारित (ऑन-लाइन) शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू करने की परिकल्पना की गई है, जिससे आयुष क्षेत्र में सीडी/डीवीडी में सीएमई के

व्याख्यान उपलब्ध हों और दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं/सम्मेलनों के आयोजन के लिए उस क्षेत्र में जानकारी रखने वाले संगठनों को सहायता मिले।

5.2.1.3. निरंतर चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम हैं

i. आयुष शिक्षकों के लिए 6-दिवसीय विषय/विशेषज्ञता-विशिष्ट सीएमई कार्यक्रम;
ii. गैर-आयुष डॉक्टरों/वैज्ञानिकों के लिए आयुष पद्धतियों का 6-दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम (ओटीपी);
iii. आयुष पैरामेडिक्स/स्वास्थ्य कार्यकर्ता/अनुदेशकों/उपचारकों के लिए 6-दिवसीय विशेष प्रशिक्षण;
iv. आयुष प्रशासकों/विभाग अध्यक्षों/संस्थानों के प्रमुखों को प्रबंधन/आईटी में 3-दिवसीय/5-दिवसीय प्रशिक्षण;
v. आयुष चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्साभ्यासियों या पृथकत:नियोजित तथा आयुष सुविधाओं में सहस्थापित विषय-विशिष्ट लोगों के लिए 6-दिवसीय सीएमई कार्यक्रम;
vi. सीएमई के पात्र सिद्धहस्त व्यक्तियों के लिए आयुष प्रशिक्षकों के लिए 6-दिवसीय प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम
vii. आयुष/एलोपैथी डॉक्टरों के लिए योग/प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षणों का 6-दिवसीय ओटीपी कार्यक्रम;
viii. विश्वविद्यालय विभागों के योग/प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षकों, राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध संस्थानों और योग/प्राकृतिक चिकित्सा में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले डिग्री कॉलेजों के लिए 6 दिवसीय सीएमई; तथा
ix. आयुष डॉक्टरों/वैज्ञानिकों के लिए आयुष पद्धतियों की वैज्ञानिक समझ और उनके संवर्धन हेतु अनुसंधान एवं विकास के मौजूदा रूझानों, आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी का 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.1.1.4. वेब शैक्षिक कार्यक्रमों के तहत (लाइन-ऑन) आधारित-कार्यकलाप

i. विभिन्न आयुष विशेषज्ञताओं में वेब-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास।

ii. व्यावसायिक ज्ञान के उन्नयन हेतु आयुष क्षेत्र में अद्यतन शिक्षा और अनुसंधान विकास के लिए वेब-आधारित समकक्ष पुनरीक्षित जर्नलों को तैयार करना, विमोचन करना और संचालित करना।

5.2.1.5. आयुष क्षेत्रों में सीएमई के व्याख्यान सीडी/डीवीडी में उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सीएमई कार्यक्रमों में दिए गए व्याख्यानों की सीडी/डीवीडी तैयार करने की

परिकल्पना की गई है ताकि व्यावसायिक ज्ञान के व्यापक प्रसार और उन्नयन के लिए आयुष की डिस्टेंट शिक्षा की सुविधा की जा सके।

.5.2.16. राष्ट्रीय संस्थानों की भांति उस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले संगठन अर्थात आयुर्वेद विद्यापीठ एवं अन्यों तथा विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संगठनों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी ताकि आयुष बिरादरी का हित हो सके:

i. प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, मॉड्यूल, सीडी और संरचित कार्यक्रम विकसित करना;
ii. आयुष चिकित्सकों के लिए अभिनव सीएमई पाठ्यक्रम डिजाइन और विकसित करना;
iii. शिक्षण/अभ्यास में आयुष पद्धतियों के उपयोग के लिए आईटी इंटरफ़ेस (सॉफ्टवेयर) विकसित करना;
iv. आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने और अंतर-विषयक संबंध विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक विशेष कक्ष/पीठ स्थापित करना; तथा
v. नैदानिक प्रलेखन और निदान और समग्र प्रबंधन पर आधारित नैदानिक परीक्षणों के लिए सांख्यिकीय डिजाइन हेतु एकीकृत प्रोटोकॉल के विकास जैसे विषयों पर प्रतिष्ठित आयुष संस्थानों में शिक्षकों के लिए नवीन अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

5.2.1.7. मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात प्रतिष्ठित संगठनों/उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा किसी भी आयुष पद्धति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है। ऐसी प्रत्येक कार्यशाला/सम्मेलन आयुष/एलोपैथिक चिकित्साभ्यासियों को ज्ञान/कौशल सर्वोत्तम अभ्यास कराने के लिए एक खास विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करेगी। संबंधित मेजबान संस्था प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण/बोर्डिंग/लॉजिंग की व्यवस्था करेगा और उपरोक्त के अलावा 8-10 सिद्धहस्त व्यक्तियों को यात्रा भत्ता और मानदेय का भुगतान करेगी।

5.2.1.8. सभी परिषद् और राष्ट्रीय संस्थानों ने शैक्षणिक गतिविधियों को अपनाया है जो मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से समर्थित हैं।

5.2.1.9. विभिन्न संस्थानों और उनके प्रदर्शन का कुल सेवन नीचे दिया गया है

5.2.1.10.

5.2.1.11. आरएवी की कुछ शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं:

i. आयुर्वेदिक स्नातकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और 'गुरु शिष्य परम्परा' के माध्यम से स्नातकोत्तर करना यानी ज्ञान के हस्तांतरण की पारंपरिक विधि आरएवी दो प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित करता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (एमआरएवी) के सदस्य, दो साल का पाठ्यक्रम जो आयुर्वेदिक संहिता (शास्त्रीय ग्रंथों) के ज्ञान के अधिग्रहण के लिए साहित्यिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है और समिति आयुर्वेद स्नातकोत्तर को सक्षम करने के लिए अच्छा शिक्षक बनने के लिए, अनुसंधान समहिता में विद्वानों और विशेषज्ञों और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (एसीआरएवी) के प्रमाण पत्र के पाठ्यक्रम, एक साल का पाठ्यक्रम जहां आयुर्वेद (बीएएमएस) या समकक्ष डिग्री रखने वाले छात्रों को प्रख्यात वैद्यों के तहत प्रशिक्षित किया जाता है।
ii. विद्यापीठ ऐसे रोगों के प्रबंधन में चिकित्सकों को पारंपरिक ज्ञान और शोध के परिणामों के प्रसार के लिए रोग प्रबंधन के विभिन्न व्यावहारिक मुद्दों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है।
iii. विद्यापीठ आयुर्वेद शिक्षण और अभ्यास के प्रासंगिक विषयों पर मस्तिष्क तूफान और स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए आयुर्वेद पीजी छात्रों, चिकित्सकों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय परस्पर संवादात्मक कार्यशालाओं का आयोजन करता है।
iv. विद्यापीठ आयुर्वेद शिक्षकों के लिए निदान के आयुर्वेदिक तरीकों में उनके नैदानिक कौशल को उन्नत करने के लिए संहिता (पाठ) परीक्षा के नैदानिक पद्धति का व्यावहारिक प्रदर्शन प्रदान करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
v. विद्यापीठ स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए संहिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

5.2.1.12. आईपीजीटी और आरए गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तहत आयुर्वेद के क्षेत्र में 10 विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में, आयुर्वेद में 10 अलग-अलग स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पचास सीटें, 22 पीएचडी डिग्री के लिए, एम. फार्मा (आयुर्वेद) के लिए 20 सीटें, एम.एससी के लिए 15 सीटें औषधीय पौधे, आयुर्वेद में तीन महीने के परिचयात्मक पाठ्यक्रम के लिए 10 सीटें उपलब्ध हैं। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, 28 पीएचडी, 51 एमडी/एमएस (आयुर्वेद), 10 एम. फार्मा (आयुर्वेद) और 02 एम.एससी छात्रों द्वारा डिग्री प्राप्त की गई।

5.2.1.13.

5.2.2. योग परिषदों/संस्थानों के माध्यम से शैक्षणिक उपलब्धियां

5.2.2.1. सीसीआरवाईएन दिल्ली के रोहिणी स्थित प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल में प्राकृतिक चिकित्सा का एक वर्ष की अवधि का एक पूर्णकालिक, व्यावहारिक और कैरियर उन्मुखी उपचार सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (टीएटीसी) चला रहा है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों, कल्याण केंद्रों और अन्य आयुष अस्पतालों में प्राकृतिक चिकित्सा उपचार सहायक के रूप में काम करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षित/कुशल जनशक्ति पैदा करना है। इस कोर्स का तीसरा बैच शुरू कर दिया गया है।

5.2.2.2. एनआईएन विभिन्न शैक्षणिक कार्यकलापों में लगा हुआ है, जिनमें कौशल विकास के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम, प्राकृतिक चिकित्सा और योग में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, योग व प्राकृतिक चिकित्सकों के लिए फैलोशिप कार्यक्रम शामिल हैं। इनका विवरण निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	छात्रवृत्ति
	फैलोशिप कार्यक्रम		
1.	अनुसंधान पद्धति में फैलोशिप	6 माह	25,000/-रु.
2.	बुनियादी और उन्नत एक्यूपंक्चर में फैलोशिप	6 माह	शून्य
3.	गांधी दर्शन में फैलोशिप	6 माह	15,000/- रु.
	कौशल विकास पाठ्यक्रम		
4.	उपचार सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1 वर्ष	5000/- रु.
5.	प्राकृतिक चिकित्सा की पाक विधियों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1 माह	शून्य
6.	मालिश तकनीकों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	6 माह	शून्य
7.	क्यूसीआई पात्रता परीक्षा के लिए योग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	6 माह	शून्य
8.	हाइड्रो, क्रोमो एवं कीचड़ उपचार में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1 माह	शून्य

9.	एक्यूप्रैसर में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	10 दिन	शून्य
10.	तन्दुरुस्ती प्रशिक्षण पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1 माह	शून्य
11.	एनआरआई/विदेशी नागरिकों के लिए अल्पकालिक (30 घंटे) गहन योग प्रशिक्षण	1 माह	शून्य

5.2.2.3. एनआईएन ने 5 से 6 सितंबर, 2018 तक पूरे भारत के विभिन्न बीएनवाईएस कॉलेजों के छात्रों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पाक कला अभ्यास और खाद्य अपमिश्रण का पता लगाने पर दो दिवसीय सीएमई का आयोजन किया।

.5.2.24. एनआईएन ने 10-11 नवंबर, 2018 के दौरान योग और प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज के संकायों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में दीर्घकालिक जीवन यापन और प्राकृतिक चिकित्सा की प्रासंगिकता पर एक सीएमई का आयोजन किया। इस सीएमई में 290 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दीर्घकालिक जीवन यापन और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

चित्र 17 एमडीएनआईवाई हर शनिवार को आईडीवाई सामान्य योग प्रोटोकॉल का आयोजन करता है

5.2.2.5. एमडीएनआईवाई 132 की प्रवेश क्षमता के साथ स्नातकों के लिए योग विज्ञान का एक वर्ष का डिप्लोमा (डीवाईएससी) आयोजित करता है। 2018-19 के दौरान कुल 126 छात्रों ने प्रवेश लिया है।

5.2.2.6. विशेष रुचि समूह के काम के तनाव और कौशल विकास के सामाजिक स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ाने के लिए, एमडीएनआईवाई ने स्वस्थता के लिए योग विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सीएपीएफ) जनवरी, 2015 से शुरू किया है। यह 4 महीने की अवधि का है और निमंत्रण पर है। 2018-19 के दौरान कुल 303 छात्र पास होकर निकले हैं।

5.2.2.7. एमडीएनआईवाई स्वस्थता के लिए योग विज्ञान में फाउंडेशन कोर्स का आयोजन करता है। यह 1 महीने (50 घंटे) की अवधि का एक पार्ट टाइम कोर्स है, जिसमें कुल 2787 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

5.2.2.8. एमडीएनआईवाई द्वारा तीन महीने की अवधि के योगासन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और प्राणायाम तथा ध्यान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान कुल 720 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5.2.2.9. एमडीएनआईवाई ने तीन महीने की अवधि का एक उन्नत योग साधना पाठ्यक्रम शुरू किया है जिसके 04 बैचों में 154 व्यक्तियों ने कोर्स पूरा किया है।

5.2.2.10 संस्थान ने मई और जून, 2018 के महीनों के दौरान बच्चों के लिए योग कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 117 बच्चों ने भाग लिया।

5.2.2.11. संस्थान के विभिन्न योग कार्यक्रमों और कार्यकलापों के माध्यम से हर साल औसतन 3-4 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

5.2.2.12. एमडीएनआईवाई कई आरडब्ल्यूए, सरकारी विभागों/संस्थानों में योग प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद, आदि शामिल हैं।

5.2.2.13. एनईआईएएच ने शिलांग में 29 से 31 मई, 2018 तक सीसीआरवाईएन द्वारा प्रायोजित योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

5.2.3. सिद्ध परिषदों/संस्थानों के माध्यम से शैक्षणिक उपलब्धियां

5.2.3.1. सीसीआरएस और एनआईएस के शैक्षणिक कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से चेन्नई स्थित मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

5.2.3.2. इस तरह के कार्यकलापों की सूची निम्नलिखित है:

1. सिद्ध रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तिरुवनंतपुरम द्वारा 6 और 7 अप्रैल, 2018 को राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी (आरजीसीबी), तिरुवनंतपुरम में "सिद्ध चिकित्सा के माध्यम से अनुसंधान कार्यविधि एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
2. सोशल मीडिया सामग्री विकास पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला - स्तर- I का आयोजन 25 और 26 मई, 2018 को सीसीआरएस, चेन्नई में किया गया।
3. "सिद्ध चिकित्सा पद्धति के लिए वैश्विक स्वीकृति: स्कोप और चुनौतियां" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 28 और 29 सितंबर, 2018 को अम्मा आरंगम, चेन्नई में किया गया।
4. दूसरा सिद्ध दिवस 26 दिसंबर, 2018 को मनाया गया और "सिद्ध फॉर पब्लिक हेल्थ" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि कलईवर्नारंगम, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई में आयोजित किया गया था। सीसीआरएस के परिधीय संस्थानों/इकाइयों द्वारा सिद्ध दिवस से पूर्व 7 कार्यकलाप/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें छात्रों और जनता के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल थी।

5. ए-एचएमआईएस (एनडब्ल्युसीबीए-एएचएमआईएस) में लगे हुए "एससीआरआई, चेन्नई द्वारा 21 जनवरी, 2019 और 24 जनवरी - 25 जनवरी, 2019 तक आयुष पेशेवरों की क्षमता निर्माण पर दो राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
6. एनआईएस ने दो सीएमई आयोजित किए - एक 27-8-2018 से 1-9-2018 तक शिक्षकों के लिए मारुथुवम पर और दूसरा 4-12-2018 से 9-12-2018 तक प्रैक्टिशनर्स के लिए नोईनाडल पर। यह सीएमई आयुष मंत्रालय द्वारा सिद्ध चिकित्सा के कौशल और समकालीन अभ्यास को अद्यतन करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के माध्यम से प्रायोजित की गई थी। विभिन्न सिद्ध मेडिकल कॉलेजों के कुल 25 शिक्षकों ने भाग लिया और तमिलनाडु गवर्नमेंट मेडिकल सर्विस और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के 30 चिकित्सकों ने भाग लिया।

5.2.4. होम्योपैथी परिषदों/संस्थानों के माध्यम से शैक्षणिक उपलब्धियां

5.2.4.1. सीसीएच ने 2014 में होम्योपैथी पाठ्यक्रम की अल्पकालिक छात्रवृत्ति (एसटीएसएच) की शुरुआत की थी। वर्ष 2018 में, 456 छात्रों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया जबकि 269 ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। पुनरीक्षा के बाद 108 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उनकी अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति होने पर उनकी छात्रवृत्ति के लिए विचार किया जाएगा।

5.2.4.2. होम्योपैथी में गुणवत्तायुक्त एमडी शोध-निबंध के लिए छात्रवृत्ति 2018 में शुरू की गई थी। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 12 आवेदकों ने अपने आवेदन जमा किए थे, जिसमें से 04 उम्मीदवारों को 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति के लिए चुना गया था।

5.2.4.3. एनईआईएएच 50 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ 1 (एक) कॉलेज ऑफ होम्योपैथी और बीएचएमएस (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी) चला रहा है।

5.2.4.4. एनईआईएएच ने प्रथम व्यावसायिक फाइनल परीक्षा (नियमित) (बैच 2017-18) का आयोजन 18 सितंबर, 2018 से 11 अक्टूबर, 2018 की अवधि के दौरान किया गया, जिसमें बीएचएमएस छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा शामिल थी।

5.2.4.5. एनईआईएएच ने संस्थान के परिसर में 23 जुलाई 2018 से 28 जुलाई 2018 और 27 अगस्त, के लिए (होम्योपैथी) तक चिकित्सा अधिकारियों 2018 सितंबर 1 से 2018 -6दिवसीय सीएमई के दो बैचों का संचालन किया।

अध्याय 6

6. राष्ट्रीय आयुष मिशन

6.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना आयुष सेवाएं

6.1.1.1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखने के लिए मुजूरी दे दी है जिसका वित्तीय परिव्यय 2400.00 करोड़ रूपये है।

6.1.1.2. एनएएम एक परिवर्तनकारी बिंदु है है क्योंकि यह अन्य बातों के साथ-साथ आयुष अस्पतालों और औषधालयों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से आयुष सेवाओं के लिए बेहतर पहुंच की परिकल्पना करता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पताल (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन के माध्यम से आयुष को मुख्य धारा में लाता है और आयुष एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

6.1.1.3. इसका उद्देश्य उन्नत शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि, गुणवत्ता वाले कच्चे माल की निरंतर उपलब्धता और गुणवत्ता फार्मेसियों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से एएसयूएंडएच औषधों के प्रवर्तन तंत्र हेतु उत्तरदायी राज्यों में औषध प्रयोगशालाओं की स्थापना द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) की गुणवत्तायुक्त औषधों की उपलब्धता में सुधार करके आयुष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

6.1.1.4. अब तक आयुष मंत्रालय 50 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थान के माध्यम से आयुष की मुख्यधारा में लाकर, राज्य सरकार के स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शैक्षिक संस्थानों के उन्नयन, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) में राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सुदृढ़ करने, एएसयू एंड एच फार्मेसियों और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं (डीटीएल) को मजबूत करने और औषधीय पादपों के कृषिकरण व संवर्धन के लिए योजना के तहत सहायता अनुदान प्रदान करके संबंधित राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों में आयुष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रोत्साहित कर रहा है।

6.1.1.5. मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 2019-20 के दौरान 50 बिस्तर वाले 6 नए एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया गया था।

6.1.1.6.

6.1.1.7. हरियाणा के जिला अस्पताल सिरसा में आयुष खंड की स्थापना।

चित्र. 18 जिला अस्पताल, सिरसा, हरियाणा में आयुष खंड की स्थापना

6.1.1.8. आयुष के मुख्य धारा में लाने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अभिसरण से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तावित आवश्यकताओं के आधार पर अपने-अपने समग्र संसाधनों के अंदर संविदा आधार पर डॉक्टरों को आंतरिक संसाधनों से लेना नियोजन करना शामिल है। 30.06.2019 की स्थिति के अनुसार एनएचएम के तहत कुल 27494 आयुष चिकित्सक (सह-स्थापित सुविधाओं के तहत 11794 आयुष चिकित्सक और आरबीएसके के तहत 15699 आयुष चिकित्सक) तैनात किए गए हैं।

6.1.1.9. आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष कार्यक्रम/कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए 4-12 अप्रैल 2019 को हरियाणा राज्य में क्षेत्र का दौरा भी किया है।

6.1.1.10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 ने एकीकृत स्वास्थ्य परिचर्या की बहुलवादी प्रणाली के भीतर आयुष पद्धतियों की क्षमता को मुख्यधारा में लाने की वकालत की है। आयुष मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, वर्तमान वर्ष के लिए 1037 आयुष एचडब्ल्यूसी अनुमोदित की हैं। 30 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा हरियाणा में दस आयुष स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्रों को डिजिटल रूप से लॉन्च किया गया।

चित्र **19:** माननीय प्रधान मंत्री **30** अगस्त **2019** को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से हरियाणा के दस आयुष स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्रों का उद्घाटन डिजिटल टेलीलिंक के माध्यम से करते हुए।

6.1.1.11. वर्ष 2019-20 के दौरान, आयुष सेवाओं, आयुष शैक्षणिक संस्थानों, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधों और औषधीय पादपों का मिशन निदेशालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण घटक हेतु 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी)/अनुपूरक एसएएपी को अनुमोदित किया गया है और 31 दिसंबर 2019 तक 363.73 करोड़ रूपये निर्मुक्त किए गए हैं।

अध्याय 7

7. मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा आयुष सेवाएं

7.1.1. आयुर्वेद

7.1.1.1. प्रतिवेदन अवधि के दौरान जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के तहत सीसीआरएएस अनुसंधान संस्थानों/केंद्रों के माध्यम से 14 राज्यों ने जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान कार्यक्रम कार्यान्वित लोगों में से किया गया था। जनजातीय आबादी के कुल 1,56,134 और कुल 75,205 जनजातीय रोगियों को आकस्मिक चिकित्सा सहायता प्रदान दी गई है। इसके अतिरिक्त, 209 एलएचटी/लोक दावों को प्रलेखित किया गया था। शिविरों के दौरान व्याख्यानों के माध्यम से लोगों में स्वच्छता, आहार और जीवनशैली के बारें में जागरूकता भी उत्पन्न की गई थी।

7.1.1.2. स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम का निष्पादन 19 राज्यों में सीसीआरएएस के 21 संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में चयनित गांवों/कॉलोनियों में सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया। इस अवधि में किये गये सर्वेक्षण के दौरान 6,259 दौरे किये गये तथा 1,92,664 रोगियों को चिकित्सीय सहायता दी गई। लोगों में स्वच्छता और जीवनशैली के विषय में भी जागरूकता उत्पन्न की गई।

7.1.1.3. अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत 18 राज्यों में सीसीआरएएस के 20 संस्थानों द्वारा आयुर्वेद चल स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया। अनुसूचित जाति के प्रभुत्व वाले चयनित गांवों में सर्वेक्षण कार्य किया गया। कुल 5,996 दौरों के माध्यम से अनुसूचित जाति की कुल 2,45,588 आबादी का सर्वेक्षण किया गया और अनुसूचित जाति के 1,61,206 रोगियों को चिकित्सीय सहायता दी गई। इन दौरों के दौरान, लोगों को स्वच्छता, आहार, आम बीमारियों के लिए घरेलू उपचारों और जीवनशैली के विषय में जागरूकता व्याख्यान भी दिए गए।

7.1.1.4. अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के तहत जनवरी, 2019 के दौरान सीसीआरएएस के 19 संस्थानों के माध्यम से 17 राज्यों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम शुरू किया गया था। अनुसूचित जाति के प्रभुत्व वाले चयनित गांवों/कालोनियों में सर्वेक्षण कार्य किया गया।

854 दौरों के माध्यम से अनुसूचित जाति की कुल 28,579 आबादी का सर्वेक्षण किया गया और अनुसूचित जाति के कुल 9,753 (7993 महिला और 1760 बाल) रोगियों को चिकित्सीय सहायता प्रदान की गई। उन दौरों के दौरान बच्चों में स्वच्छता, आम बीमारियों के घरेलू उपचारों, आहार (बच्चों और महिलाओं में) और जीवनशैली में परिवर्तन आदि के बारें में जागरूकता व्याख्यान भी दिये गये।

7.1.1.5. सीसीआरएएस द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, के सहयोग से आयुर्वेद और योग की शक्तियों के समायोजन द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने व एनसीडी के भार को कम करने हेतु तीन राज्यों के चिन्हित जिलों अर्थात राजस्थान (भीलवाड़ा), गुजरात (सुन्दरनगर) और बिहार (गया) में एनपीसीडीसीएस (कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं आघात के निवारण एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम) के साथ आयुष (आयुर्वेद) घटक का एकीकरण नामक एक कार्यक्रम का क्रियान्वयन और निष्पादन किया गया है। यह कार्यक्रम अब सभी 3 चिन्हित जिलों के 52 केंद्रों (49 सीएचसी और 3 जिला अस्पतालों) में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस अवधि के दौरान, 6,50,721 रोगियों की चयनित गैर संचारी रोगों के लिए जांच की गई जिनमें से 33,206 रोगियों को इस कार्यक्रम के तहत चयनित एनसीडी के लिए भर्ती किया गया। जिन योग प्रतिभागियों ने कक्षाओं में भाग लिया, उनकी संख्या 6,35,401 है। 4,039 पहुंच शिविर आयोजित किए गए और इन पहुंच शिविरों में 3,53,397 रोगियों की जांच की गई।

7.1.1.6. आयुष वेलनैस क्लिनिक प्रेज़ीडेंट्स ऐस्टेट में कार्य कर रहा है। इस अवधि के दौरान बहिरंग रोगी विभाग के माध्यम से 9032 और सीसीआरएएस द्वारा पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से 4846 रोगियों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की गई।

7.1.1.7. इस समय पूर्वोत्तर राज्यों के 20 जिलों में 30 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहिंरग रोगी विभाग के माध्यम से आस-पास के लोगों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना; आबंटित रोग के अनुसंधान मामलों का चयन करना और उन्हें संबंधित संस्थानों में भेजना; स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना; स्थानीय लोगों में आईईसी संबंधी सामग्री को स्थानीय भाषा एवं अंग्रेजी/हिंदी में वितरण

करना और स्वास्थ्य संबंधी जनसांख्यिकी को प्रलेखित करना है। विवरण निम्नानुसार है:

i. असम में क्षेत्रीय जठरांत्र विकार आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआईजीआईडी) गोवाहाटी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत 15 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं और इन केंद्रों में कुल 88,334 रोगियों का उपचार किया गया।
ii. अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई), ईटानगर के पर्यवेक्षण के अधीन 9 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं और इन केंद्रों में कुल 32,164 रोगियों का उपचार किया गया।
iii. सिक्किम में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई), गंगटोक के पर्यवेक्षण में 6 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं और इन केंद्रों में कुल 33,154 रोगियों का इलाज किया गया।

7.1.1.8. एनआईए, जयपुर अपने कैम्पस में 280 बिस्तरों वाला एक अस्पताल चलाता है, जो एनएबीएच प्रत्यायित है। शहर में इसका 20 बिस्तरों वाला एक सैटेलाइट अस्पताल भी है और उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र में एक जनजातीय अस्पताल है जो एससीपी एवं टीएसपी स्कीमों के अधीन लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए है। पीपीपी पद्धति के तहत विभिन्न रोगियों की जांच के लिए उपकरणों से सुसज्जित एक केंद्रीय प्रयोगशाला है। अस्पताल में कई विशेषज्ञता एकांश उपलब्ध हैं। प्रतिवेदन के अधीन अवधि के दौरान 3,72,042 रोगियों का अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में उपचार किया गया और 83,717 रोगियों का अंतरंग रोगी विभाग में उपचार किया गया। एससीपी स्कीम के तहत 116 चल शिविरों में नि:शुल्क औषधियों के वितरण द्वारा 67,842 रोगियों को चिकित्सीय परिचर्या उपलब्ध करवाई गई।

7.1.1.9. एआईआईए ने प्रत्येक बुद्धवार को आईआईटी, दिल्ली अस्पताल में सैटेलाइट ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं।

7.1.1.10. नैदानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए एआईआईए में 200 बेड का रेफरल अस्पताल है। इनमें से लगभग 50% बेड कार्यात्मक हैं। संस्थान में पहले से ही 8 अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ 16 क्लीनिक हैं और साथ ही बहु-मंजिला अस्पताल के प्रत्येक तल पर पंचकर्म सुविधाएं उपलब्ध हैं। एआईआईए एक अत्याधुनिक पंचकर्म

सुविधाओं, उपकरणों और प्रशिक्षित तकनीकी पेशेवरों से सुसज्जित अस्पताल है।

7.1.1.11. प्रतिवेदन अवधि के दौरान कुल 3,61,387 रोगियों ने बहिरंग रोगी विभाग की सेवाओं का उपयोग किया, जबकि 2089 रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 90.62% बिस्तर का उपयोग किया गया। एकीकृत आयुष निदानशालाओं के माध्यम से लगभग 11,598 लोक लाभान्वित हुए। प्रतिवेदन अवधि के दौरान विभिन्न अंगों की विकृतियों वाले 207 रोगी सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी में आए।

7.1.1.12. आईपीजीटी एवं आरए 200 बिस्तरों की अंतरंग क्षमता वाला एक अस्पताल चलाता है जिसके 76% से ज्यादा बिस्तर भरे रहते हैं। अस्पताल में विशेषज्ञता वाले 18 विशिष्ट बहिरंग रोगी विभाग है जिनमें प्रतिदिन औसतन 916 रोगी आते हैं। 2018-19 के दौरान कुल 3,42,788 बहिरंग रोगियों और 7153 अंतरंग रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई।

7.1.1.13. विभिन्न पहुंच क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में, आईपीजीटी और आरए गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित करता है। 600 बच्चों वाले कुल पांच (5) स्कूलों में स्वास्थ्य जांच शिविर और परिसर में ग्लूकोमा, पाइल्स, रेटिनल डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस, एलर्जिक राइनाइटिस और डेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के लिए विशेषज्ञता शिविरों का आयोजन किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल 20 विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार शिविर आयोजित किए गए जहां 6169 रोगियों को सेवाएं उपलब्ध कराई गई।

7.1.1.14. संस्थान साप्ताहिक बहिरंग रोगी विभाग के रूप में सात (07) सैटेलाइट निदानशालाओं का संचालन करता है, जिसमें जामनगर स्थित में सभी तीनों रक्षा प्रतिष्ठान (भारतीय नौसेना, वलसुरा, वायु सेना बेस, आर्मी कैंप)। ससोई उद्यान, जिला जेल, वसई गांव में वत्सालयधाम वृद्धाश्रम और श्री जाम रण्जीत सिंह निराधार आश्रम (वृद्धाश्रम) शामिल हैं।

7.1.1.15 एनईआईएएच, शिलाँग द्वारा संचालित आयुर्वेद अस्पताल में कुल 43319 बहिरंग रोगियों और 361 अंतरंग रोगियों का उपचार किया गया है।

7.1.1.16 आयुर्वेद अस्पताल में पंचकर्म, काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, स्वस्थवृत्त एवं योग, प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग, दंत चिकित्सा, दुर्घटनाएं, छोटे ऑपरेशन शामिल हैं; जबकि होम्योपैथी अस्पताल की ओपीडी सेवाओं में दवाएं, प्रसूति एवं स्त्रीरोग, बाल रोग, सर्जरी, दुर्घटनाएं छोटे ऑपरेशन आदि शामिल हैं। संस्थान ओपीडी एवं आईपीडी के रोगियों को मुफ्त परामर्श/सेवाओं के साथ-साथ मुफ्त आहार और फार्मेसी में स्टॉक की उपलब्धता के अनुसार निशुल्क दवाएं वितरित करता है।

7.1.1.17 ओपीडी और आईपीडी दोनों में रोगियों के लिए पूर्णकालिक डाइटीशियन द्वारा नियमित आहार परामर्श दिया जाता है। पूर्णकालिक योग प्रशिक्षक द्वारा रोगियों के लिए नियमित योग सत्र भी संचालित किए जा रहे हैं।

7.1.1.18 अस्पतालों द्वारा नाड़ी तरंगिनी मशीन द्वारा ईसीजी और नाड़ी परीक्षा (आयुर्वेदिक नाड़ी परीक्षा) की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

7.1.1.19 संस्थान ने शालक्य ओपीडी (आंख) में एक स्लिट लैंप स्थापित किया है जो दृष्टि परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है और 12 ईसीजी मशीने कुशल ईसीजी तकनीशियनों द्वारा संचालित की जाती हैं।

7.1.1.20 उपनाह, एक पंचकर्म प्रक्रिया है जिसमें शुंठी चूर्ण को दूध के साथ मिलाकर गर्म पेस्ट बनाया जाता है, यह पेस्ट रियुमेटोइड गठिया या पुराने ऑस्टियो आर्थराइटिस के कारण सूजन विकारों के उपचार में लाभदायक होता है। यह प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

7.1.1.21 कर्णपूरण, शालक्य (ईएनटी) में क्रियाकल्प के अधीन एक उपचार प्रक्रिया है, जिसमें औषधियुक्त तैल उचित पर्यवेक्षण के अधीन कान में डाला जाता है। यह कान के सड़नरोधी अनेक विकारों में उपयोगी होता है।

7.1.1.22. ऑटिज्म , जीडीडी, सेरेब्रल पाल्सी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस आदि के मरीजों के लिए फिजियोथैरेपी और व्यायाम करवाया जा रहा है।

7.2. होम्योपैथी

7.2.1.1. एनआईएच, कोलकाता अपने मुख्य परिसर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल चलाता है। अस्पताल की सेवाओं में सॉल्ट लेक में बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) और पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बैरकपुर, खड़गपुर, टॉलीगंज, बरासात, गोपीबल्लवपुर, कशियारी, सुतिया स्थित आठ परिधीय ओपीडी

और साल्ट लेक में अंतरंग रोगी विभाग (आईपीडी) शामिल है, जो जांच और अन्य सेवाओं के लिए अल्प प्रभार की सेवाएं प्रदान कर रहा है।

7.2.1.2. प्रतिवेदन अवधि के दौरान 4,44,512 रोगियों का बहिरंग रोगी विभाग में उपचार किया गया। उसी अवधि के दौरान अस्पताल के आईपीडी में कुल 1497 रोगी भर्ती हुए। संस्थान अपने अस्पताल के माध्यम से स्नातकपूर्व छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष संस्थान पूरे देश से आने वाले तीर्थयात्रियों को तुरंत होम्योपैथिक उपचार प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल जिले के 24 परगना (दक्षिण), में मकर सक्रांति के दौरान गंगासागर मेले में चिकित्सा शिविर का आयोजन/भागीदारी करता है। संस्थान प्रत्येक वर्ष स्कूल स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम और चिकित्सा शिविरों में भी भाग लेता है। एनआईएच अस्पताल को 24.2.2019 से 23.02.2022 तक की अवधि के लिए एनएबीएच प्रत्यायन प्रदान किया गया है।

7.2.1.3. एनईआईएएच, शिलाँग द्वारा संचालित होम्योपैथी अस्पताल में कुल 30852 बहिरंग रोगियों और 24 अंतरंग रोगियों का उपचार किया गया है।

7.3. सिद्ध

7.3.1.1. सीसीआरएस के 7 संस्थानों/इकाईयों के माध्यम से 3 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम (एसआरपी) निष्पादित किया गया है। इसमें तेरह गांवों को कवर किया गया है और जनवरी, 2018 से मार्च, 2019 तक एसआरपी कार्यक्रमों के कुल 18,061 (पुरूष-6804, महिलाएं-11257) व्यकितयों को लाभ मिला।

7.3.1.2. सीसीआरएस के तहत विभिन्न संस्थानों/इकाईयों को बहिरंग रोगी विभाग से 1,54,302 (पुरूष - 76,205, महिलाएं-78,092, ट्रांसजेंडर- 5) रोगी लाभान्वित हुए। इसके अलावा, 115 (पुरूष - 62, महिलाएं- 53) रोगियों को अंतरंग रोगी विभाग में भर्ती कराया गया था और वर्मम, थोक्कणम जैसे विशेष उपचार प्रदान किए गए थे। औसत बिस्तर धारिता 17.56% थी।

7.3.1.3. परिधीय संस्थानों/इकाईयों द्वारा मंगलवार को जराचिकित्सा परिचर्या के लिए एक विशेषज्ञता निदानशाला चलायी जा रही है और कुल 27158 (पुरूष-16716, महिलाएं- 10442) बुजुर्ग रोगी को लाभ पहुंचाया गया। गैर-संचारी रोगों पर विशेष निदानशाला के माध्यम से, 16699 रोगी (पुरूष-9813, महिलाएं - 6886) लाभान्वित हुए। 296 रोगियों (पुरूष - 143,

महिलाएं- 153) को बहिरंग रोगी विभाग में फ्लू जैसी विशेष बीमारियों के लिए उपचार दिया गया। 24405 रोगी (पुरूष- 11275, महिलाएं- 13129, ट्रांसजेंडर- 1) वर्म और थोक्कणम उपचार द्वारा लाभान्वित हुए। एससीआरआई, चेन्नई में प्रजनक बाल स्वास्थ्य परिचर्या पर एक विशेष निदानशाला के माध्यम से 5541 रोगी (पुरूष- 1530, महिलाएं- 4011) लाभान्वित हुए।

7.3.1.4. एनआईएस, चेन्नई से संलग्न आयोथिडॉस पंडिथार अस्पताल, वर्ष के सभी 365 दिनों प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी में 200 बिस्तर वाले और अंतरंग रोगी विभाग में 24 घंटे निःशुल्क सिद्ध चिकित्सा परिचर्या प्रदान करता है। रोगी परिचर्या सेवा संकाय सदस्यों, स्नातकोत्तर स्कॉलरों और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती है। प्रति दिन 2000 से 2500 रोगी आते हैं। अंतरंग रोगी सुविधा स्नातकोत्तर नैदानिक विभागों के लिए चिन्हित बिस्तर सहित चिकित्सा परिचर्या प्रदान करती है। 12 बिस्तर वाला भुगतान पर उपलब्ध वार्ड भी है।

7.3.1.5. सप्ताह के विशेष दिनों अपराह्न मधुमेह, हृदयरोग एवं श्वसनी दम, जराचिकित्सा, योगा और कायाकल्पम (कायाकल्प), मोटापा, सौंदर्य प्रसाधन, बांझपन, गुर्दे की बीमारियां एवं उच्चरक्तचाप, स्वलीनता, एनसीडी और कैंसर के लिए विशेष ओपीडी संचालित की जाती हैं जिनमें आने वाले रोगियों को सांयकाल 2 बजे से 4 बजे तक एकाग्रता पूर्वक परामर्श और औषधियां प्रदान की जाती हैं।

7.3.1.6. सिद्ध चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ छात्रों को सामुदायिक उन्नमुखी दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु प्रत्येक शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन के साथ स्वास्थ्य रक्षण के कार्यकक्रम जोड़ते हुए उसके अंश के रूप में पांच ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर रहा है।

7.3.1.7. 2018-19 के दौरान, ओपीडी में 7.88 लाख रोगी आए थे, जो यह दर्शाता है कि प्रतिदिन 2160 रोगी आ रहें हैं और मौजूदा बुनियादी ढ़ांचे में ओपीडी सेवाओं के द्वार तक पहुंचते हैं। 76% की बिस्तर-धारिता के साथ आईपीडी में कुल 55723 रोगी दिन दर्ज किए गए थे।

7.3.1.8. एनआईएस ने 2-3-2018 को कांचीपुरम जिले के कोतिमंगलम गांव, थिरुकाझुकुंदराम तालुक में जनजातीय क्षेत्र में एक जनजातीय ओपी इकाई

खोली है। सिद्ध उपचार के लिए प्रतिदिन 50 रोगी आ रहे हैं। जनजातीय आबादी वाली बस्तियों में साप्ताहिक आधार पर एक बार चल निदानशाला का आयोजन किया जाता है।

7.4. यूनानी

7.4.1.1. सीसीआरयूएम ने परिषद की 21 नैदानिक ओपीडी में अनुसंधानोन्मुखी सामान्य बहिरंग रोगी विभाग कार्यक्रम जारी रखा है। प्रतिवेदन अवधि के दौरान कुल 3,79,106 नए रोगी पंजीकृत किए गए। इन रोगियों में अधिकांश जीर्ण एवं सामान्य रोगों से ग्रसित थे जिन्हें यूनानी भेषजसंहितागत/शास्त्रीय औषधों द्वारा उपचारित किया गया।

7.4.1.2. सीसीआरएएस के तहत विभिन्न संस्थानों व केन्द्रों से जुड़े हुए 11 मोबाइल इकाईयों चुने गए 22 स्थानों में चल बहिरंग रोगी विभाग कार्यक्रम चलाती हैं। कुल 20725 रोगी पंजीकृत किए गए। इन रोगियों को उनकी बीमारियों के लिए उनके घर पर नि:शुल्क यूनानी उपचार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, चुने हुए क्षेत्रों में आयोजक दलों की बैठकों द्वारा और उन क्षेत्रों में व्याख्यानों के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

7.4.1.3. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 स्कूलों के 4567 बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की गयी। इनमें से 4,271 बच्चें विभिन्न सामान्य एवं मौसमी रोगों से पीड़ित यूनानी चिकित्सा का उपचार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए स्कूलों में परिषद के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा आयोजित स्वास्थ्य आयोजित व्याख्यानों के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता भी पैदा की गई।

7.4.1.4. अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के तहत चल परिचर्या कार्यक्रम को आठ से दस संस्थानों/केंद्रों तक विस्तारित किया गया था। प्रत्येक संस्थान/केंद्र ने मुख्य रूप से अनुसूचित जाति की आबादी वाले पाँच गाँवों को अपनाया। प्रतिवेदन अवधि के दौरान कुल 80,000 से अधिक आबादी को कवर किया गया और 29,527 रोगियों को लाभान्वित किया गया।

7.4.1.5. जनजातीय उप योजना के अधीन, परिषद के तीन केन्द्रों तक इस कार्यक्रम को विस्तारित किया गया था। तीन नैदानिक केंद्रों द्वारा 15 अनुसूचित जनजाति बहुल 15 क्षेत्रों को कवर किया गया। कुल 30 हजार से अधिक आबादी को कवर किया गया। प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के तहत सात हजार पांच सौ तेईस रोगियों को लाभान्वित किया गया।

7.4.1.6. जेंडर कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत विभिन्न ओपीडी में कुल 2,61,193 महिला रोगी लाभान्वित हुईं। इन रोगियों को उनकी बीमारियों के लिए यूनानी उपचार प्रदान किया गया। इसके अलावा, महिलाओं के विशिष्ट रोगों जैसे सु-अल-क़िन्या (एनीमिया), सयालन-अल-रहीम (ल्यूकोरिया) और कथरा-अल-तामथ (भारी माहवारी रक्तस्राव) आदि पर शोध/सत्यापन अध्ययन किया गया।

7.4.1.7. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत परिषद् के दो केंद्रों ने जनरल ओपीडी में 10,522 नए रोगियों का पंजीकरण किया। ये रोगी ज्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों, मस्कुलोस्केलेटल डिस्ऑर्डर्स और अन्य मौसमी/सामान्य रोगों के थे और इनका इलाज यूनानी फार्माकोपियाल फोर्मुलेशंस से किया गया।

7.4.1.8. दो यूनानी स्पेशियलिटी केंद्र एक डॉ.राम मनोहर लोहिया अस्पताल और एक डॉ. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली में कार्यरत है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इन केंद्रों में कुल 55,120 रोगी पंजीकृत किए गए।

7.4.1.9. परिषद् ने अपने 12 नैदानिक केंद्रों में स्वास्थ्य रक्षण/परीक्षण कार्यक्रम जारी रखा। इनमें यूनानी चिकित्सा के दो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआईयूएम), हैदराबाद और लखनऊ; यूनानी चिकित्सा के आठ क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आरआरआईयूएम), नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, पटना, अलीगढ़ और भद्रक और दो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (आरआरसी), इलाहाबाद और सिलचर शामिल हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 85,267 रोगियों का इलाज किया गया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल 1226 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए और 67,270 व्यक्तियों ने इन स्वास्थ्य शिविरों में भाग लिया।

7.4.1.10. परिषद् अपने केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, यूनानी चिकित्सा (सीआरआईयूएम), लखनऊ के माध्यम से कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग ले रही है। यह कार्यक्रम 01 जिला अस्पताल, 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) लखीमपुर खेरी (यूपी) में आयोजित किया जा रहा है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2,35,919 रोगियों की जांच की गई।

7.5. योग

7.5.1.1. योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य और फिटनेस सीसीआरवाईएन द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली और उसके मुख्यालय के विभिन्न अस्पतालों

में चलाई गई ओपीडी की प्रचार गतिविधियों में से एक है। ये ओपीडी अपनी स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने, फिट रखने और बीमारियों से दूर रहने के लिए भी इच्छुक आम जनता के लिए खुली हैं।

7.5.1.2. ओपीडी चलाने के अलावा, सीसीआरवाईएन भारत के विभिन्न हिस्सों में सरकारी अस्पतालों/संगठनों/संस्थानों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी चला रहा है। रोग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग की बढ़ती मांग को देखते हुए परिषद् द्वारा चलाया जा रहा ओपीडी वर्तमान मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। फिर भी, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी द्वारा सरकारी अस्पतालों/संगठनों/संस्थानों को लाभान्वित किया जा सकता है। यह अंततः विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अस्पताल में उपस्थित होने वाले रोगियों की मदद करेगा।

7.5.1.3. एनआईएन 'बापू भवन' में 14 घंटे का एक क्लिनिक चलाता है, जो न केवल भारत बल्कि विदेशों से आए लोगों की भी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस क्लिनिक की सुविधाओं में प्राकृतिक चिकित्सा विभाग, शारीरिक चिकित्सा विभाग, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर विभाग, माइंड बॉडी चिकित्सा विभाग, ओजोन थेरेपी विभाग शामिल हैं।

7.5.1.4. एनआईएन ने 85 आउटरीच गतिविधियां चलाई जिनके अंतर्गत एनआईएन के डॉक्टरों ने विभिन्न स्थलों पर निशुल्क परामर्श और व्याख्यान प्रस्तुत किए। एनआईएन एएसई मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल पुणे के सहयोग से एक जीवन शैली और कल्याण विभाग चलाता है। यह क्लिनिक अन्य रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर किडनी डिस्ऑर्डर्स के रोगियों की देखभाल करता है।

7.5.1.5. एनआईएन नेचुरोपैथी और योग इंटरवेंशंस के माध्यम से बहुत ही आवश्यक जीवन शैली में परिवर्तन प्रदान करने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के सतारा जिले के पंचगनी में 2010 से एचआईवी/एड्स (पीएलडब्ल्यूएचए) से पीड़ित लोगों के लिए 16 बेडेड एक अस्पताल चलाता है।

7.5.1.6. एमडीएनआईवाई योग ओपीडी चला रहा है जिसमें 8356 रोगी लाभान्वित हुए जिसके फलस्वरूप 2.5 लाख से अधिक रोगी/चिकित्सक दिवासों की उपलब्धि हुई।

7.5.1.7. एमडीएनआईवाई द्वारा एक महीने की अवधि के स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जहां औसतन 5000 साधकों को एक वर्ष के रोगी दिवासों में योग प्रशिक्षण और चिकित्सा दी जाती है।

7.5.1.8. एमडीएनआईवाई में योग थेरेपी ओपीडी है जो सभी कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से शाम 4.30 बजे तक चलती है। योग थेरेपी ओपीडी में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, योग-आयुर्वेद चिकित्सक, आहार विशेषज्ञ, योग विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सक हैं। ओपीडी एक पैथोलॉजी/बायो-केमिस्ट्री लैब से जुड़ा हुआ है। डायबिटीज के लिए योग थेरेपी सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी कार्य दिवसों में आयोजित की जाती है। सभी कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से शाम 4.00 बजे तक इंडीविजुअल योग सेशंस भी आयोजित किए जा रहे हैं। सभी कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे और शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक अधिक वजन वाले मोटापे के लिए योग थेरेपी आयोजित की जाती है।

7.5.1.9. एमडीएनआईवाई ने दिल्ली में 04 योग थेरेपी केंद्र स्थापित किए हैं जिनमें 40842 रोगियों को योग चिकित्सा प्रदान की गई। इसने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीजीएचएस वेलनेस सेंटरों में 19 निवारक हेल्थकेयर इकाइयों की भी स्थापना की जिनमें 121785 रोगी लाभान्वित हुए हैं। एमडीएनआईवाई ने दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) स्टेडियम में 04 योग केंद्रों की स्थापना की है जिनमें कुल 2595 प्रतिभागियों को खेल का प्रशिक्षण दिया गया।

7.6. अन्य पद्धतियां

7.6.1. पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान (एनईआईएफएम)

7.6.1.1 एनईआईएफएम 4 फोक ट्रेडिशनल हीलर और एक मेडिकल ऑफिसर (आयु) के साथ प्रतिदिन औसतन 35-40 रोगियों की एक ओपीडी चला रहा है। 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान कुल 11314 रोगियों का इलाज किया गया है।

अध्याय 8

8. सूचना, शिक्षा और संचार

8.1. प्रस्तावना

8.1.1.1. स्वास्थ्य परिचर्या की पारंपरिक और समग्र पद्धतियों के प्रति सम्पूर्ण विश्व की पुन: रुचि बढ़ रही है। आयुष मंत्रालय, जिसे चिकित्सा और होम्योपैथी की भारतीय प्रणाली को विकसित करने, बढ़ावा देने और प्रचार करने के लिए अधिदेशित किया गया है, ने आयुष मेलों के आयोजन सहित बाह्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके आयुष प्रणालियों की ताकत को लोकप्रिय बनाने का निर्णय लिया है और आयुष पद्धतियों पर सम्मेलनों और कार्यशालाओं का समर्थन किया है। इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय, आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के लिए केंद्रीय क्षेत्रक की योजना को लागू कर रहा है।

8.2. उद्देश्य

8.2.1.1. योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है

i. समुदाय के सदस्यों के बीच आयुष प्रणालियों की प्रभाविकता, उनकी लागत-प्रभावशीलता और जड़ी-बूटियों की उपलब्धता और बीमारियों के इलाज में उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करना, विभिन्न चैनलों के द्वारा दृश्य-श्रव्य शैक्षणिक सामग्री के उत्पादन सहित विभिन्न चरणों के माध्यम से सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करना;

ii. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आयुष पद्धतियों में अनुसंधान और विकास कार्य के सिद्ध परिणामों का प्रसार;

iii. एक मंच प्रदान करना जहां आयुष पद्धतियों के हितधारकों के बीच समकक्षीय और क्रमिक बातचीत क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के सम्मेलनों, सेमिनारों और मेलों के माध्यम से की जा सकती है और हितधारकों को उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है;

iv. आयुष प्रदर्शनी में भाग लेने और सेमिनार, सम्मेलन, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करके आयुष का प्रचार और प्रसार; तथा

v. प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा आयोजित अरोग्य और अन्य प्रदर्शनीयों/मेलों में भाग लेने के लिए आयुष उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करना।

8.3. वर्ष के दौरान आयोजित कार्यकलाप

8.3.1. आईईसी योजना के तहत, वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित किए गए:

8.3.1.1. आरोग्य मेले

8.3.1.2. आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल आरोग्य मेलों का आयोजन है, जो 2001 में शुरू हुआ और देश के सभी हिस्सों में फैल गया। आम जनता के सभी वर्ग आरोग्य मेलों का दौरा करते हैं। मेलों का आयोजन संबंधित राज्य सरकार और व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से किया जाता है। वर्षों से लगातार आरोग्य मेलों में नवाचार करने के लिए मंत्रालय का प्रयास रहा है। नतीजतन यह एक प्रदर्शनी के रूप में क्या शुरू हुआ?

8.3.1.3. कई वर्षों से आयुष उत्पादों का दायरा बढ़ाने के लिए 2001 में आयुष उत्पादों पर साहित्य को शामिल किया गया है, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा के लिए आरोग्य जैसे सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के अलावा आयुष पद्धतियों के चिकित्सा उपकरण, प्रकाशक और बुकसेलर्स शामिल हैं। मेले का प्रमुख आकर्षण नि:शुल्क स्वास्थ्य-जांच है। वर्ष 2019-20 (21.01.2020 तक) के दौरान, मंत्रालय ने तीन राज्यीय आरोग्य मेले (गोवा, कोयंबटूर और ईटानगर) और दो राष्ट्रीय आरोग्य मेले (नवी मुंबई और वाराणसी) आयोजित किए।

8.3.1.4. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

8.3.1.5. मंत्रालय ने दिनांक 21.06.2019 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक योग प्रदर्शन सहित योग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके 5वां

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) मनाया। सामूहिक योग प्रदर्शन का मुख्य कार्यक्रम रांची, झारखंड में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधान मंत्री ने किया।

8.3.1.6. आयुर्वेद दिवस

8.3.1.7. मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में 25.10.2019 को चौथा आयुर्वेद दिवस मनाया है।

8.3.1.8. मंत्रालय ने इसके अलावा 18.11.2019 को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे में दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया। मंत्रालय ने 13.01.2020 को तीसरा सिद्ध दिवस भी मनाया। तीसरा सिद्ध दिवस का मुख्य कार्यक्रम 13.01.2020 को चेन्नई में सीसीआरएस, एनआईएस और तमिलनाडु सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया।

8.3.1.9. आयुष पर संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला आदि के आयोजन के लिए सहायता

8.3.1.10. आयुष पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों आदि के आयोजन के लिए 18 संगठनों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई और अब तक अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के माध्यम से विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित 16 स्वास्थ्य मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया।

8.3.1.11. आयुष पतद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए बाह्य/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रचार के भाग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया प्रचार के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं: -

i. दूरदर्शन पर योग आसनों के वीडियो शॉट्स का प्रसारण।
ii. प्रचार कार्यकलापों के लिए श्रव्य-दृश्य सामग्री का उत्पादन
iii. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया प्रचार।

8.3.1.12. प्रिंट के माध्यम से प्रचार

i. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आयुष के 12 मास्टर उपचारकों पर स्मारक डाक टिकट जारी करना इस वर्ष के दौरान इस मंत्रालय की अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में देखा गया है। उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए गए:
ii. औषधीय पुष्पों पर आयुष वॉल कैलेंडर - 2020 की 16000 प्रतियां छापी गई हैं।
iii. योग के 5 वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के प्रचार के लिए अखबार में प्रिंट विज्ञापन दिए गए थे।

अध्याय 9

9. आयुष में अनुसंधान

9.1 संगठन

9.1.1.1 आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने पाँच स्वायत्त अनुसंधान परिषदों यथा, (i) केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), (ii) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), (iii) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), (iv) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), (v) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) की स्थापना की है जो विभिन्न रोगों के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान कार्यकलापों के सूत्रीकरण, समन्वय, विकास के संवर्धन के लिए शीर्ष निकायों के रूप में कार्य करती हैं। ये स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने का कार्य भी करती हैं। परिशिष्ट- v के अनुसार देश के विभिन्न भागों में कुल 85 परिधीय संस्थान इन अनुसंधान परिषदों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।

9.1.1.2 आयुष मंत्रालय की स्वायत्त निकाय परिषदों की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,के अंतर्गत की गई और महानिदेशक इसके 1860 प्रमुख हैं, केवल सीसीआरवाईएन को छोड़कर जिसके प्रमुख निदेशक हैं। परिषदों के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में शासी निकाय है। इसके साथ, परिषद की स्थायी वित्त समितियां और वैज्ञानिक परामर्श मंडल भी हैं। परिषद के महानिदेशक शासी निकाय के सदस्य सचिव हैं।

9.1.1.3 सभी परिषदें पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। हालांकि, परिषदें राजकीय वित्त पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वयं आंतरिक राजस्व पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। परिषद-वार विवरण निम्न प्रकार से है:

9.2 केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस)

9.2.1 प्रस्तावना

9.2.1.1 आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), जो कि मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय है, आयुर्वेद में

वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान करने, समन्वय, निरुपण, विकास और संवर्धन के लिए एक शीर्ष निकाय है। परिषद की मुख्य कार्यकलाप नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान (औषधीय पादप अनुसंधान, औषध मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण, भेषजगुणविज्ञान अनुसंधान) और साहित्यिक अनुसंधान हैं।

9.2.2 नैदानिक अनुसंधान

9.2.2.1 परिषद ने प्रतिवेदन अवधि के दौरान औषधीय पादप अनुसंधान (चिकित्सकीय-नृजातीय वनस्पति सर्वेक्षण, फार्माकोग्नॉसी एवं कृषि), औषधि मानकीकरण, भेषजसंहितागत अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन कार्यक्रम तथा विस्तारित कार्यकलापों में जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान कार्यक्रम, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत आयुर्वेदिक चल स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान कार्यक्रम तथा पूर्वोत्तर योजना के अंतर्गत कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और आघात (एनपीसीडीसीएस) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ आयुष (आयुर्वेद) के एकीकरण संबंधी कार्यकलापों को जारी रखा। इसके अतिरिक्त जरा स्वास्थ्य परिचर्या के लिए विशेष क्लीनिकों और बाह्य-रोगी विभाग (ओपीडी) तथा अंतरंग विभाग(आईपीडी) के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की गयी।

9.2.2.2 प्रतिवेदन अवधि के दौरान, 14 नैदानिक अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण हुईं और 26 आरंभ की गई/जारी हैं। औषधि मानकीकरण से संबंधित 03 परियोजनाएं पूर्ण हुईं और 16 आरंभ की गई/जारी हैं। भेषजविज्ञानीय अनुसंधान की 03 परियोजना पूर्ण हो गईं और 22 परियोजनाएं आरंभ की गई/जारी हैं। 06 औषधीय पादप अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण हुईं और 08 आरंभ की गईं/जारी हैं। 05 साहित्य अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण हुईं और 16 आरंभ की गईं/जारी हैं।

9.2.2.3 प्रतिवेदन अवधि के दौरान पूरे किए गए कुछ अन्य प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

9.2.2.4 परिषद ने "प्रकृति मूल्यांकन पैमाने" को विकसित और विधिमान्यकृत किया है और एक प्रयोक्ता अनुकूल"अयूर प्रकृती वेब पोर्टल" नामक वेब पोर्टल को भी प्रकृति का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। प्रतिवेदन अवधि के दौरान परिषद द्वारा "प्रकृति मूल्यांकन पैमाने" की विश्वसनीयता परीक्षण किया गया है। परिषद ने 74 संकाय सदस्यों, 3 संस्थानों अर्थात् चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, नई दिल्ली, आईपीजीटी एंड आरए, जामनगर और

एनआईए, जयपुर के पीजी स्कॉलरों/पीएचडी स्कॉलरों को प्रशिक्षण प्रदान किया। सम्पूर्ण भारत में परिषद के विभिन्न संस्थानों से परिषद ने अधिकारियों को 'मानकीकृत प्रकृति मूल्यांकन स्केल और अयुर प्रकृती मूल्यांकन वेब पोर्टल' पर मास्टर प्रशिक्षक के तौर पर प्रशिक्षण दिया है जिन्होंने आगे अपने सहयोगियों को उनके संबंधित संस्थानों में जाकर प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा, परिषद 400 आयुर्वेद कॉलेजों के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

9.2.2.5 परिषद द्वारा आयुर्वेद और मानक स्वास्थ्य अभिलेख प्रारूपों से रोग निदान/रोगी की केस रिकॉर्डिंग संबंधी तत्वों के साथ 'मानक आयुर्वेद केस टेकिंग प्रोटोकॉल (एसएसीटीपी)' को विकसित करने के लिए और आयुर्वेद के माध्यम से अक्सर प्रबंधित किए जाने वाले चयनित रोगों के लिए मानक नैदानिक प्रोटोकॉल के विकास हेतु पहले चरण का विधिमान्यकरण पूरा किया गया और कास, स्वास और ज्वर 3 रोगों पर वैधीकरण और विश्वसनीयता परीक्षण किया गया। त्वचा-विकारों पर नैदानिक विधियों का मैनुअल भी प्रकाशित किया गया था।

9.2.2.6 आयुर्वेद समग्र रूप से स्वास्थ्य को परिभाषित करता है लेकिन आयुर्वेद स्वास्थ्य मूल्यांकन मॉड्यूल उपलब्ध नहीं था इसलिए परिषद ने परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य मूल्यांकन उपकरण विकसित किया है। सॉफ्टवेयर की विकास प्रक्रिया जारी है।

9.2.2.7 परिषद ने "महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर "प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य (आरसीएच) में आयुर्वेदिक हस्तक्षेप को आरंभ करने की व्यवहार्यता" एक परियोजना: (प्रसव पूर्व देखभाल हेतु आयुर्वेदिक हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता) आरंभ की।

9.2.2.8 प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य में आयुर्वेदिक हस्तक्षेप को आरंभ करने की व्यवहार्यता को देखने हेतु "एक बहुकेंद्री परिचात्रनात्मक अध्ययन" एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के माध्यम से और आधारभूत रूप में आयुर्वेद आधारित प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल की प्रभावकारिता पर वैज्ञानीय साक्ष्यों के उत्पादन के रूप में राष्ट्रीय कार्यक्रम में आरंभ किया गया (आरसीएच)। यह परियोजना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के 30 चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यान्वित की जा रही है और इसे सीसीआरएएस के संस्थान क्षेत्रीय- मातृ एवं

शिशु आयुर्वेदी स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा जोकि माँ और बाल स्वास्थ्य परिचर्या पर अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए अधिदेशित है तथा यह गढ़चिरौली के समीप है। यह परियोजना अक्तूबर 2019 में आरंभ हो चुकी है।

9.2.2.9 परिषद ने 27 रोगावस्थाओं जैसे हेमेप्लेजिया, शेटिका, गाउट, पार्किंसन रोग, आयरन की कमी से एनीमिया, फिस्टुला इन एनो, कंजक्टिवाइटिस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, संधिशोथ गठिया, डिसमेनोरिया, महिला बांझपन, सिनुसाइटिस, यूरोलिथियासिस, ग्लूकोमा, ब्रोन्कियल अस्थमा, एडीएचडी, एसेंसियल हाइपरटेंशन, अलर्जिक राइनाइटिस, सोराइसिस, ड्राई आई सिंड्रोम, अवसाद, एंग्जाएटी डिसॉर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हेपेटाइटिस, मोटापा, मिर्गी और हाइपोथायराइडिज्म की व्यवस्थित समीक्षा शुरू की है।

9.2.2.10 परिषद ने आईडीडीसी, आईआईटी नई दिल्ली के सहयोग से स्वचालित क्षारसूत्र उत्पादन की एक तकनीक विकसित की है। यह तकनीक आधुनिक चिकित्सा मानकों के मापदंडों के साथ उच्च एकरूपता, वैज्ञानिक रूप से मानकीकृत और स्वच्छतायुक्त क्षारसूत्र का तेज गति से उत्पादन कर रही है। सीएआरआईसीडी नई दिल्ली, में स्वचालित मशीन स्थापित की गई है।

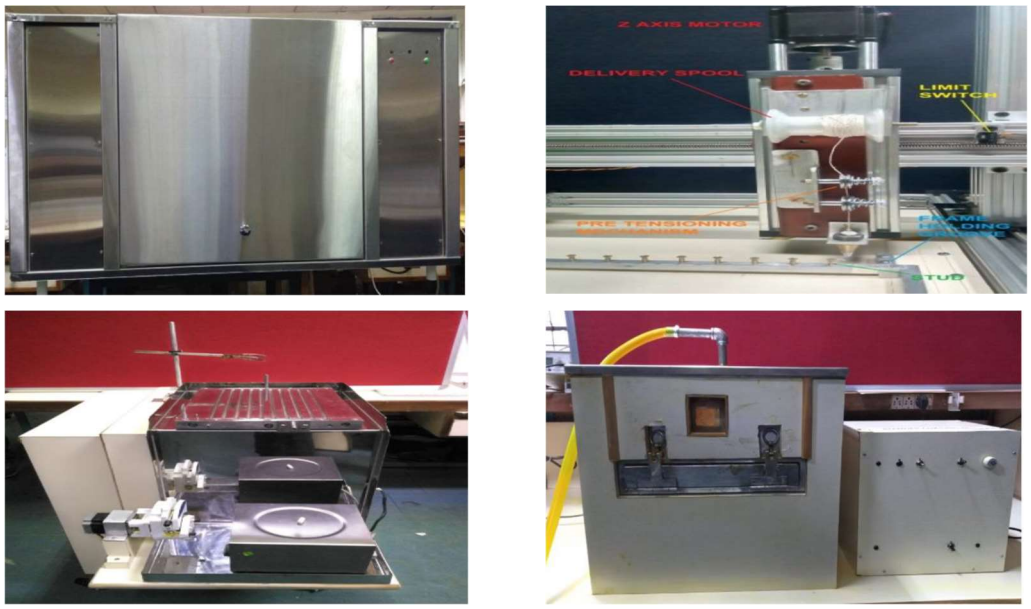

चित्र 319. स्वचालित क्षारसूत्र मशीन

9.2.2.11 परिषद ने आरएआरआई, झांसी में राष्ट्रीय कच्ची औषधि भंडारण की स्थापना देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित आरडीआर द्वारा कच्ची औषधियों की आपूर्ति हेतु संग्रहण केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए की है। कच्ची औषधियों के प्रमाणीकरण हेतु एक मान्यता प्राप्त संदर्भ पुस्तकालय सह संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए यह प्रत्यापित है। यह हर्बल उद्योगों में उपयोग की जाने वाली कच्ची औषधियों की पहचान और अधिप्रमाणन के लिए मानक प्रोटोकॉल और कुंजियों की स्थापना करने के लिए वानस्पतिक संदर्भ पदार्थ (बीआरएस) के भंडारण और संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। वानस्पतिक संदर्भ पदार्थ (बीआरएस) और हर्बेरियम नमूना प्रदान करने के लिए विश्लेषण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए (सीओए), उद्योग/शोधकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली कच्ची औषधियों और प्रमाणित कच्ची औषधियों की सामग्री के महत्व के बारे में सामान्य जागरूकता के प्रशिक्षण और प्रसार के लिए एक शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए भी इसकी स्थापना की गई है।

9.2.2.12 परिषद ने क्षेत्रीय मूत्र विकार, आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जम्मू में एनएआरआईपी चेरुर्थी और सीएआरआईसीडी, नई दिल्ली में चल रहे पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त एक वर्षीय स्व-वित्तपोषित पंचकर्म सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किया है।

9.2.2.13 आयुष पीएचडी अधोतावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, 09 आयुष नेट योग्य उम्मीदवारों और 03 गैर-आयुष उम्मीदवारों को आयुष पीएचडी फैलोशिप प्रदान की गई।

9.2.2.14 आयुष पुरस्कार योजना के अंतर्गत, चार विभिन्न श्रेणियों के साथ प्रत्येक की 3 उप-श्रेणियों नामतः सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार (साहित्य, नैदानिक और औषध अनुसंधान के लिए), युवा वैज्ञानिक पुरस्कार (साहित्यिक और औषधि अनुसंधान के लिए), लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद् के लिए) और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार (साहित्य अनुसंधान शिक्षण, नैदानिक अनुसंधान शिक्षण और औषधि अनुसंधान शिक्षण) में चयनित पुरस्कार विजेताओं को आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए आयुर्वेद संसर्ग और अन्य वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कुल 11 पुरस्कार दिये गए।

9.2.2.15

चित्र 4: 2018 सीसीआरएएस आयुष पुरुषकार के विजेता

9.2.2.16 परिषद ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों जैसेकि न्यूरोलॉजी और पूरक चिकित्सा विभाग, लूथरन अस्पताल, हेटिंगन, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे, एनएफजीएफएचडी, आईआईएसईआर पुणे में एक सीसीआरएएस-आईआईएसईआर पशु इकाई (सीआईएयू), की स्थापना के लिए; नए भारत की पहल (एजीएनआईआई) परियोजना की त्वरित वृद्धि के लिए भारत में निवेश, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायिलरी साइंसेज (आईएलबीएस), नई दिल्ली के कार्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

9.2.2.17 परिषद ने चयनित रस कल्प जैसे रसमाणिक्य, मकरध्वज, कज्जली, रस सिन्दूर, आरोग्य वर्धनी वटी, महायोगराज गुग्गुलु, वसंत कुसुमाकर रस और महालक्ष्मी विलास रस, ताम्रभष्म, नाग भस्म और हृदयार्णव रस की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रदर्शित करते हुए एक व्यापक तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित की है।

9.2.2.18 नए संस्थानों की स्थापना: क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र 135, रामनगर रोड, नंबर 4 राज भंडार के सामने, अगरतला, त्रिपुरा में स्थापित किया गया और 7

मार्च, 2019 को, श्री सुदीप रॉय बर्मन, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, त्रिपुरा सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया।

चित्र 22 त्रिपुरा के अगरतला में सीसीआरएस नए केंद्र का उद्घाटन समारोह

9.2.2.19 इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र की स्थापना सीएमओ बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॉलोनी, दीमापुर, नागालैंड में की गई थी, जिसे फ़रवरी 2019 को अधिसूचित किया गया था।

9.2.3 सेमिनार/कार्यशालाएं:

संगोष्ठी के उदघाटन समारोह का एक दृश्य

सीसीआरएस के वैज्ञानिकों हेतु 'आणविक चिकित्सा के मूल और प्रायोगिक पहलू' पर कार्यशाला के उदघाटन समारोह का एक दृश्य

9.2.3.1 'औषधीय महत्व के जैव-संसाधनों के संरक्षण: वर्तमान परिदृश्य और आगे बढ़ने का तरीका' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सीसीआरएएस द्वारा 13$^{वें}$ और

14वें अगस्त, 2019 को एपी शिंदे मेमोरियल हॉल, एनएएससी परिसर, आईसीएआर, पूसा, नई दिल्ली में 'स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं (एलएचटी) के दस्तावेज़ीकरण और एथेनो मेडिकल प्रैक्टिसेस (इएमपी) और उनके सत्यापन और आईपीआर संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने और आयुष पुरस्कार समारोह 2018 के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने पर एक मंथन सत्र आयोजित किया गया था।

9.2.3.2 परिषद द्वारा सीसीआरएएस के वैज्ञानिकों के लिए आयुष सभागार सीसीआरएएस, मुख्यालय, नई दिल्ली में 25 मई, 2019 को आणविक चिकित्सा के मूल और प्रायोगिक पहलू' पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य सीसीआरएएस वैज्ञानिक को आणविक चिकित्सा के मूल और प्रायोगिक पहलू पर एक अंतर्दृष्टि देना था, जो समग्र स्वास्थ्य देखभाल के प्रस्ताव हेतु समकालीन विज्ञान की रोशनी में आयुर्वेद की प्राथमिक समझ का पता लगाने और व्याख्या करने में मदद करेगा। सीसीआरएएस, मुख्यालय, नई दिल्ली से, सीएआरआईसीडी, नई दिल्ली और आयुष मंत्रालय में वर्तमान में प्रतिनियुक्त परिषद के अधिकारियों में से कुल 65 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

9.2.3.3 सीसीआरएएस में वर्तमान कर्मचारियों की कुल संख्या 882 (551 पुरुष, 251 महिला) है।

9.2.3.4 केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और न्यूरोलॉजी एवं पूरक चिकित्सा विभाग, लूथरन अस्पताल, हैटिंगन, के बीच 3 अप्रैल, 2019 को पांच वर्ष की अवधि के लिए आयुर्वेद में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

9.2.3.5 केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानआयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), आयुष तीन वर्ष की अवधि के लिए एनएफजीएफएचडी, आईआईएसइआर पूणे में सीसीआरएएस - आईआईएसइआर पशु इकाई (सीआईएयु) स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

9.2.3.6 न्यू भारत नवाचा परियोजना (एजीएनआईआई), की त्वरित वृद्धि हेतु भारत में निवेश पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और केंद्रीय

आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के बीच 14 अगस्त, 2019 को अनुसंधान एवं विकास परिणामों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के क्षेत्र में सहयोग और अन्य संबंधित पहलुओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

9.2.3.7 केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के बीच 20 नवंबर, 2019 को आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

9.2.3.8 केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायिलरी साइंसेज (आईएलबीएस), नई दिल्ली के बीच 20 नवंबर, 2019 को सहयोगी अनुसंधान परियोजना के संचालन के लिए हस्ताक्षर किए गए, जिसका शीर्षक "'हेपेटो-प्रोटेक्टिव एफीकेसी एंड अंडरलाइन मोलिकुलर मेकनिज़्म ऑफ आयुर्वेदिक फोर्मूलेशन आयुष-पीकेटी और आयुष-जीएमएच इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉडल ऑफ एल्कोहोलिक एंड नॉन एल्कोहोलिक फेटी लिवर डिजिज़्स: एक पूर्व-नैदानिक अध्ययन सीसीआरएस अनुसंधान नीति के नियमों और शर्तों और दिशा-निर्देशों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया गया।

9.2.3.9

9.3 केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद

9.3.1 प्रस्तावना

9.3.1.1 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 1978 में स्थापित केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान सीसीवाईआरएस)) योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान और विकास के लिए एक स्वायत्त संस्थान है। परिषद पूरी तरह से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। परिषद के उद्देश्यों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रचार और अन्य कार्यक्रम शामिल हैं।

9.3.2 उपलब्धियां

9.3.2.1 परिषद दो सौ बिस्तर वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल नागमंगला, कर्नाटक और झज्जर, हरियाणा सहित दो पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईवाईएनइआर) स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, इसके अतिरिक्त, परिषद देश भर के विभिन्न राज्यों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा (सी.आर.आई.वाई.एन.) के और अधिक केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने की प्रक्रिया में है।

9.3.2.2 पीजीआईवाईएनइआर, नागमंगला, कर्नाटक के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा निशुल्क प्रदान की गई 15 एकड़ की भूमि पर निर्माण कार्य का पहला चरण पूर्ण हो चुका है। द्वित्तीय चरण का निर्माण कार्य मेसर्स एनपीसीसीएल को सौंपा गया है और अब तक 70% संरचनात्मक कार्य पूर्ण हो चुका है और दूसरे चरण को अंतिम रूप दिये जाने का कार्य प्रगति पर है।

9.3.2.3 पीजीआईवाईएनइआर, देवरखाना, झज्जर, हरियाणा सरकार द्वारा निशुल्क प्रदान की गयी 10 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य का पहला चरण पूर्ण हो चुका है। दूसरे चरण का निर्माण कार्य मैसर्स एनपीसीसीएल को सौंपा गया है। इस बीच, हरियाणा सरकार ने 10 एकड़ अतिरिक्त जमीन आवंटित की है। इस चारदीवारी का निर्माण किया गया है। वर्तमान में 76% संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और दूसरे चरण को अंतिम रूप दिये जाने का कार्य प्रगति पर है।

9.3.2.4 केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा के निर्माण के लिए परिषद के नाम पर बीस एकड़ निशुल्क भूमि पंजीकृत की गयी। सीपीडब्ल्यूडी, भुवनेश्वर को 157.88 लाख रुपये चार दिवारी, वॉकिंग ट्रैक आदि के निर्माण के लिए जारी किए गए। स्थानीय ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। परिषद इस मामले को निपटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मिल रही है, इस बीच राज्य सरकार ने केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के लिए एक और भूमि निर्धारित की है। जमीन का हस्तांतरण परिषद के नाम पर करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

9.3.2.5 पश्चिम बंगाल के कल्याणी में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के 100 बिस्तर वाले अस्पताल सहित एक केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए सक्षम प्राधिकारी का सिद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया गया और पश्चिम बंगाल सरकार को इससे अवगत कराया

गया है। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के नाम पर भूमि का औपचारिक हस्तांतरण प्रतीक्षारत है।

9.3.2.6 राजस्थान सरकार ने जयपुर, राजस्थान में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के 100 बिस्तरों वाले अस्पताल सहित सी.आर.आई.वाई.एन.. की स्थापना के लिए 13.5 एकड़ प्रीमियम निशुल्क भूमि की पेशकश की। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राजस्थान सरकार को अवगत कराया गया। हालाँकि, राजस्थान सरकार ने बाद में बताया कि कुछ नीतिगत मुद्दों के कारण चिन्हित भूमि को खाली नहीं कराया जा सका। राजस्थान सरकार से वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

9.3.2.7 आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के 100 बिस्तर वाले अस्पताल सहित सी.आर.आई.वाई.एन. की स्थापना के लिए 25 एकड़ निशुल्क भूमि की पेशकश की। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया। दिनांक 25.07.2018 को 25 एकड़ की निशुल्क भूमि की लीज डीड का पंजीकरण किया गया।

9.3.2.8 झारखंड सरकार ने देवघर, झारखंड में सी.आर.आई.वाई.एन. की स्थापना के लिए 15 एकड़ निशुल्क भूमि की पेशकश की है। भूमि की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन झारखंड सरकार को दिया गया है। सी.सी.आर.वाई.एन. के नाम पर भूमि के औपचारिक हस्तांतरण प्रतीक्षारत है।

9.3.2.9 छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य आयुर्वेद संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में सी.आर.आई.वाई.एन. की स्थापना के लिए 10 एकड़ निशुल्क भूमि की पेशकश की है। भूमि की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी के सैद्धांतिक अनुमोदन के विषय में छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित किया गया है। सी.सी.आर.वाई.एन. के नाम पर भूमि का औपचारिक हस्तांतरण प्रतीक्षारत है।

9.3.2.10 केरल सरकार के कसारागोड में सी.आर.आई.वाई.एन. की स्थापना के लिए केरल ने 15 एकड़ निशुल्क भूमि की पेशकश की है। भूमि आवंटित की गई है और केरल सरकार और सीसीआरवाईएन के बीच 'लीड डीड' पर 12.10.2018 को हस्ताक्षर किए गए। आधारशिला 03.02.2019 को रखी गई।

9.3.2.11 जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय में सीआरआईवाईएन की स्थापना के लिए 10 एकड़ निशुल्क भूमि की पहचान की है। चिन्हित भूमि

का निरीक्षण किया गया है और आयुष मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय से भूमि की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रदान करे।

9.3.3 सहयोगात्मक अनुसंधान केंद्र .कें.अनु.स))

9.3.3.1 परिषद ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संबद्ध विज्ञान संस्थान (एनआईएमएच एएनएस), बंगलौर, रक्षा संस्थान ऑफ फिजियोलॉजी और एलाइड साइंसेस (डीआईपीएएस), दिल्ली, संस्कृति फाउंडेशन, मैसूर, कर्नाटक के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान केंद्र (सीआरसी) की स्थापना की। सीआरसी के तहत अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

9.3.4 एनआईएमएचएएनएस, बैंगलोर में चल रहे अनुसंधान परियोजनाएँ

9.3.4.1 मध्यम से लेकर गंभीर अवसादग्रस्त रोगी तक में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के घाटे को ठीक करने में योग की भूमिका का अध्ययन किया जा रहा है। यह एक एकल ब्लाइंड, यादृच्छिक नियंत्रित अध्ययन है।

9.3.4.2 स्वस्थ व्यक्तियों में कॉर्टिकल इनहिबिशन, वर्किंग मेमोरी और मिरर न्यूरॉन गतिविधि पर योग का प्रभाव: ट्रांसक्रेनियल चुंबकीय उत्तेजना (टीएमएस) और कार्यात्मक नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एफएनआईआरएस) का उपयोग कर एक संभावित अध्ययन।

9.3.4.3 सिज़ोफ्रेनिया में डिसरेगुलेटिड एपिटाइट पर मेटाबोलिक और संज्ञानात्मक सहसंबंध पर योग थेरेपी का प्रभाव।

9.3.4.4 बाईपोलर दिसओर्डर (उदास चरण) में ऐड-ऑन योग थेरेपी की प्रभावकारिता और न्यूरो-इन्फ़्लामेटेरी मार्करों और प्रीफ्रंटल कॉर्टिकल फ़ंक्शन पर इसका प्रभाव।

9.3.4.5 तनाव के साइको-न्यूरो-एंडोक्रिनोलॉजिकल मार्कर और स्किज़ोफ्रेनिया रोगियों के पहले डिग्री रिश्तेदारों में एक योग-आधारित हस्तक्षेप की प्रतिक्रिया।

9.3.5 डीआईपीएएस, दिल्ली में चल रहीं अनुसंधान परियोजनाएँ

9.3.5.1 उत्तर, पूर्व और केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शारीरिक फिटनेस और संज्ञानात्मक कार्य पर योग प्रशिक्षण का प्रभाव।

9.3.5.2 किर्गिज़ और भारतीय आबादी में जैव रासायनिक, शारीरिक और आणविक मार्करों के विशेष संदर्भ में जलवायु अभ्यस्त होने के दौरान ऊंचाई वाले स्थानों पर कार्य निष्पादन व नींद के प्रभाव का अध्ययन।

9.3.6 मैसूरु स्थित संस्कृति फाउंडेशन में जारी अनुसंधान परियोजनाएं

9.3.6.1 विषय-वार और अन्य खोजों के साथ विभिन्न स्तरों पर पतंजलि के योग सूत्र पर ऐप/वेब-सक्षम और सीडी-आधारित मल्टीमीडिया-स्व-शिक्षण कार्यक्रम।

9.3.6.2 'अंदाली मन, मरुतुर, पट्टाम्बि, केरल' से खोजे गए आव्यश्यक परिशिष्टों सहित अत्यंत महत्वपूर्ण अप्रकाशित योग पांडुलिपियों के महत्वपूर्ण संस्करण - योगनव और सर्वसिद्धांत संग्रह।

9.3.6.3 'योग-उपनिषदों और योग पर उनके योगदान का एक अवलोकन' पर मूल संस्कृत ग्रंथों के साथ-साथ अंग्रेजी में लेख निकालना।

9.3.7 योग व प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थता केंद्र

9.3.7.1 यह परिषद भारत के विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों/संगठनों/संस्थानों में योग व प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थता केंद्र चला रही है। रोग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग के अभ्यास की बढ़ती मांग को देखते हुए, परिषद, इसके माध्यम से एक ओपीडी चलाती है, जो वर्तमान मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

9.3.7.2 सरकारी अस्पतालों/संगठनों/संस्थानों में पूरक चिकित्सा को उसके साथ जोड़ कर लाभान्वित किया जा सकता है। यह अंततः विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अस्पताल में उपस्थित होने वाले रोगियों की मदद ही करेगा।

9.3.7.3 इसके अतिरिक्त, समय के साथ, कई रोगों के प्रबंधन में योग व प्राकृतिक चिकित्सा की प्रभावकारिता पर अच्छी संख्या में अनुसंधान डेटा उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई विशेषज्ञ हैं, जो इन विषयों में मानक अनुसंधान कार्य करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

i. योग व प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थता केंद्र, क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, खुमुल्वैंग, जिरानिया, अगरतला, त्रिपुरा।
ii. योग व प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थता केंद्र, एसएचकेएम सरकार, मेडिकल कॉलेज, नूंह, हरियाणा।

iii. "सहाजा" श्री सत्यदेव योग-प्रकृति चिक्त्साल्यम एस.वी.वी.एस.एस, देव स्थानम, अन्नवरम (अप हिल) पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश।

iv. योग व प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थता केंद्र, सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश।

v. योग व प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थता केंद्र, इंगंडियूर ग्राम पंचायत, निकट चुलिप्पडी, चेतुवा, त्रिशूर, केरल।

vi. योग व प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थता केंद्र, एम्स, भुवनेश्वर, ओडिशा।

vii. योग व प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थता केंद्र, राज्य योग केंद्र परिसर, रांची, झारखंड।

viii. योग व प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थता केंद्र, आरजीएससी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), बरखाच्छा, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।

9.3.8 योग और प्राकृतिक चिकित्सा ओडी.पी.

9.3.8.1 योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य और आरोग्यता प्रचार कार्यकलापों में से एक है जो परिषद द्वारा विभिन्न सरकारी अस्पतालों और अपने मुख्यालयों में ओपीडी संचालन से की जा रही है। यह ओपीडी उस आम जनता के लिए हैं जो अपनी स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने, आरोग्य रहने और साथ ही बीमारियों से दूर रहने की इच्छुक है। विवरण इस प्रकार हैं:

i.मुख्यालय

ii.सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

iii.डॉ.आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली

iv.लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड अस्पताल, नई दिल्ली

v.यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिलशाद गार्डन, दिल्ली

vi.चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, खेरा डाबर, दिल्ली

vii.पंडित बी. डी. शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस, रोहतक, हरियाणा

9.3.9 प्रचार-संबंधी कार्यकलाप

1.3.9.1 परिषद सीधे तौर पर या अन्य संगठनों के सहयोग से शोधकर्ताओं और आम जनता के लाभ के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा के वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार, प्रसार और प्रसार से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप करती है। इन कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

9.3.10 उपचार सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम टीएटीसी))

9.3.10.1 केन्द्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली में एक वर्ष की अवधि का प्राकृतिक चिकित्सा में एक पूर्णकालिक, व्यावहारिक और कैरियर उन्मुखी उपचार सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (टीएटीसी) चलाया जा रहा है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षित/कुशल जनशक्ति का निर्माण करना है जो प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों, स्वस्थता केंद्रों और अन्य आयुष अस्पतालों में प्राकृतिक चिकित्सा उपचार सहायक के रूप में कार्य कर सकें।

9.3.11 आरोग्य/प्रदर्शनीस्वास्थ्य मेले में भागीदारी/

9.3.11.1 यह परिषद इस समय परीक्षित परंपरागत स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आरोग्य और अन्य स्वास्थ्य मेलों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा की उपचार क्षमता और उपचार के तौर-तरीकों का प्रदर्शन करने हेतु सक्रियता से भाग लेती है। इस रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रम निम्नलिखित थे:-

i.योग का सीधा प्रदर्शन।
ii.पोस्टर और ट्रांसलाइट्स के माध्यम से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के तरीकों का प्रदर्शन।
iii.आईईसी सामग्री का मुफ्त वितरण।
iv.परिषद के प्रकाशनों और सीडी की बिक्री।
v.मुफ्त परामर्श।
vi.योग और प्राकृतिक चिकित्सा के तरीकों और उपचारों को टी.वी. पर दिखाना।

9.3.12 परिषद के प्रकाशन

9.3.12.1 परिषद ने आम जनता के लाभ के लिए निशुल्कः एवं समूल्य कई प्रकाशन किए हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर प्रकाशित ये शिक्षाप्रद और सूचनात्मक पुस्तिकाएं जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। रोग विशिष्ट अर्थात मोटापा, उच्च रक्तचाप और अन्य पुस्तिकाएं जैसे स्प्राउट्स, अनमोल

बोल आदि परिषद की पुस्तिकाओं की आरोग्य और अन्य स्वास्थ्य मेलों के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बहुत मांग है।

9.3.12.2 परिषद अंग्रेजी की तुलना में हिंदी के अधिक प्रकाशन हैं। परिषद के समूल्य प्रकाशन भी बहुत लोकप्रिय हैं। परिषद की कुछ लोकप्रिय पुस्तकें हैं: सामान्य रोगों के लिए योगिक और प्राकृतिक चिकित्सा उपचार, छात्रों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, व्यावहारिक प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपचारात्मक तौर-तरीके।

9.3.12.3 परिषद की योग और प्राकृतिक चिकित्सा सीडी के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण भी काफी मांग में हैं।

9.4 केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम)

9.4.1 प्रस्तावना

9.4.1.1 केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना आयुष मंत्रालय के एक स्वायत्त संगठन के रूप में, वर्ष 1978 में की गयी थी। इस परिषद ने 10 जनवरी, 1979 से निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्य करना शुरू किया था:

i. यूनानी चिकित्सा में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के उद्देश्यों एवं स्वरूप का सूत्रीकरण;
ii. यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान या अन्य कार्यक्रमों को आरंभ करना;
iii. सामान्यता, अनुसंधान को आगे बढ़ाना और उसमें सहायता करना तथा रोगों के होने के कारणों, उनके फैलने के तरीके एवं निवारण के संबंध में ज्ञान व प्रायोगिक उपायों का प्रसार करना।
iv. यूनानी चिकित्सा के वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु विभिन्न मौलिक और प्रयोगिक पहलुओं को आरंभ करना, सहयोग देना, विकसित करना तथा समन्वय करना तथा रोगों का अध्ययन, उनके निवारण, करणीय संबंध व उपचार के लिए अध्ययन हेतु संस्थानों का उन्नयन करना व सहायता करना।
v. परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जांच और शोध का वित्त पोषण;
vi. परिषद के समरूप उद्देश्यों में रुचि रखने वाले अन्य संस्थाओं, संघों और समाजों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, तथा सामान्य रूप से पूर्व के देशों में और विशेष रूप से भारत में होने वाले रोगों का अवलोकन और अध्ययन करना।

vii. परिषद के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस तरह के साहित्य में योगदान देने के लिए किसी भी पत्र, पोस्टर, पर्चे, पत्रिकाओं और पुस्तकों को तैयार करना, मुद्रित करना, प्रकाशित करना और प्रदर्शित करना।

9.4.1.2 परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत 24 केंद्रों का नेटवर्क है यथा, हैदराबाद और लखनऊ में दो के.यू.चि.अ.सं; चेन्नई, भद्रक, अलीगढ़, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, श्रीनगर और पटना में आठ क्षे.यू.चि.अ.सं हैं; इलाहाबाद और सिलचर में दो क्षे.अ.के हैं; बैंगलोर, बुरहानपुर, भोपाल, मेरठ, कुरनूल, एडाथला में छः के.अ.ए हैं; नई दिल्ली में एक हकीम अजमल खाँ इंस्टीट्यूट फॉर लिटरेरी एंड हिस्टॉरिकल रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन है और एक औषधि मानकीकरण अनुसंधान एकक, एक औषधि मानकीकरण अनुसंधान संस्थान, गाजियाबाद में है, एक रासायनिक अनुसंधान इकाई (अनुदान-सहायता) अलीगढ़ में है; एक विस्तार यूनानी अनुसंधान केंद्र कन्नूर (केरल) में है और मणिपुर में क्लिनिकल पायलट प्रोजेक्ट है।

9.4.1.3 तृतीयक देखभाल केंद्र में यूनानी उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से, के.यू.चि.अ.प ने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा केंद्र स्थापित किया है। 13 सितंबर 2019 को माननीय, आयुष मंत्री, श्री श्रीपाद येसो नाईक द्वारा इस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया।

9.4.1.4 के.यू.चि.अ.प द्वारा गैर-संचारी रोगों के लिए एक राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

9.4.1.5 के.यू.चि.अ.प में वर्तमान कर्मचारियों की संख्या 533 (408 पुरुष, 125 महिला) है।

9.4.1.6 खसगर, नवी मुंबई में सीसीआरयूएम और सीसीआरएच के लिए एक संयुक्त भवन का निर्माण 30.80 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से चल रहा है। के.यू.चि.अ.प द्वारा अपने हिस्से के 15.40 करोड़ रूपये सीसीआरएच को 15.40 करोड़ रूपये जारी कर दिए हैं। प्रतिवेदन अवधि के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, सिलचर में नए भवन का निर्माण भी जारी रखा गया है। (असम)

9.4.2 यूनानी भेषजसंहिता औषधयोगों का वैधीकरण

9.4.2.1 दस नए भेषजसंहिता औषधयोगों की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर वैधीकरण अध्ययन शुरू किया गया, जबकि 51 औषधों पर अध्ययन जारी रहा। प्रतिवेदन अवधि के दौरान औषधोयान 4, हिसातुल-कुल्लीयाह (नेफ्रोलिथियासिस) में सफ़ूफ-ए-हज़रुल यहूद, माजून-ए-सुरंजान और हब्ब-ए-अज़राकी, निकरस (गाउट), हब्ब-ए-तुर्श मुश्तही, ज़ोफ़-ए-इस्तिहा (एनोरेक्सिया) और माजून मुकव्वी रेहन, सैलान-उर-रेहम (ल्यूकोरिया) पर अध्ययन पूरा किया गया।

9.4.3 पूर्व नैदानिक सुरक्षा और प्रभावकारिता मूल्यांकन अध्ययन:

9.4.3.1. सी.आर.आई.यू.एम, हैदराबाद और आर.आर.आई.यू.एम, श्रीनगर में इन औषधयोगों (माजून मासिकुल बौल, दमवी, माजून आईक्यू, खमीरा गावज़बान अंबरी जदवार-उल-सलीब वाला, माजून नजाह, माजून प्याज़ और तिर्याक वबाई) के हाइड्रो-अल्कोहलिक एक्सट्रेक्ट रूप सहित सात यूनानी औषधों पर पूर्व नैदानिक सुरक्षा और भेषजसंहितागत अध्ययन किए गए। तीव्र और उप-तीव्र विषाक्तता अध्ययन के साथ भेषजसंहितागत अध्ययनों जेसे मूत्रवर्धक, नेफ्रोप्रोटेक्टिव, हेमटोपोइएटिक गतिविधि, संज्ञानात्मक कार्य पर प्रभाव, एंटीएपीलेप्टिक और अवसाद विरोधी गतिविधि, कामोद्दीपक और शुक्राणुजन्य गतिविधि, रोगक्षम आपरिवर्तक, एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ़्लमेटरी और एनाल्जेसिक कार्यकलाप आरंभ की गयी। पांच कोडित यूनानी औषधयोगों (यूनिम-एन-2000, यूनिम-एन-2002, यूनिम-एन-2003, यूनिम-डी-2000 और यूनिम-एम-2000) पर पूर्व नैदानिक विषाक्तता अध्ययन पूरा किया गया और भेषजसंहितागत अध्ययन जारी रखे गए।

9.4.3.2 फेफड़ों संबंधी क्षय पर सहयोगात्मक अध्ययन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस (एनआईआरटी), चेन्नई और क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आरआरआईयूएम), चेन्नई के साथ और सरवाइकल इरोजन पर सहयोगात्मक अध्ययन, राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर), नोएडा और क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आरआरआईयूएम), अलीगढ़ के साथ जारी रखे गए।

9.5 केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस)

9.5.1 प्रस्तावना

9.5.1.1 सिद्ध चिकित्सा पद्धति के नियमन, समन्वयन और वैज्ञानिक सत्यापन के लिए केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद एक शीर्ष निकाय है और इसकी स्थापना सितंबर, 2010 से एक अलग अनुसंधान परिषद के रूप में की गई थी। परिषद का विज़न सिद्ध पद्धति में विभिन्न रोग दशाओं को निवारित/नियंत्रित/ठीक करने

हेतु व्यापक शोध के द्वारा गुणवत्तायुक्त और विश्व स्तर की सुरक्षित और किफायती औषधियां तैयार करना है।

9.5.1.2 परिषद के अनुसंधान कार्यकलापों में नैदानिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, औषधीय पादप अनुसंधान और साहित्यिक अनुसंधान शामिल हैं।

9.5.1.3 केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद के अनुसंधान कार्यकलाप, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और नई दिल्ली के 8 परिधीय संस्थानों/इकाइयों के माध्यम से किए जाते हैं। इन संस्थानों/इकाइयों के अलावा, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद की 3 सह-स्थापित बहिरंग रोगी इकाइयां, आयुष वेलनेस क्लिनिक, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, सरिता विहार, नई दिल्ली में हैं और सिद्ध चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र सेवा इकाई, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी में कार्यरत हैं।

9.5.2 नए प्रयास

9.5.2.1 श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज परिसर, तिरुपति में एक नई सिद्ध क्लिनिकल रिसर्च यूनिट (SCRU) की स्थापना की गई और इसका उद्घाटन 16 जनवरी, 2019 को श्री श्रीपाद येसो नाइक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।

9.5.2.2 पेटेंट पत्रिका में 5 पेटेंट प्रकाशित किए गए हैं।

9.5.2.3 समकक्ष समीक्षा पत्रिका में 101 शोध लेख प्रकाशित हुए।

9.5.2.4 केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान को दक्षिणी दक्कन पठार के क्षेत्रीय कच्चे औषध भंडार के लिए एक सहयोगात्मक संस्थान के रूप में पहचान दी गई है।

9.5.2.5 सीसीआरएस में 160 (80 पुरुष और 80 महिला) कर्मचारी हैं।

9.6 केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच)

9.6.1 प्रस्तावना

9.6.1.1 केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। वैज्ञानिक पद्धतियों में होम्योपैथी पर अनुसंधान का समन्वय, विकास, प्रसार और इसे बढ़ावा देना है जिसके लिए यह मंत्रालय के अंतर्गत एक सर्वोच्च संगठन है।

9.6.1.2 इस परिषद का नई दिल्ली में अपने मुख्यालय सहित पूरे भारत में 27 संस्थानों/इकाइयों का एक नेटवर्क है। इनमें एक (01) कोट्टायम में एनएचआरआईएमएच, स्नातकोत्तर संस्थान-एक (01) केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, नौ (09) क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, एक (01), होम्योपैथिक औषध अनुसंधान संस्थान, आठ (08), नैदानिक अनुसंधान एकक, एक (01), औषधि मानकीकरण एकक, एक (01), नैदानिक सत्यापन एकक और एक ((01, होम्योपैथी का औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र, विकलांगता के लिए एक ((01 होम्योपैथिक संस्थान और हैदराबाद, भुवनेश्वर और गोरखपुर में तीन (03) विस्तार केंद्र हैं। एलोपैथिक अस्पतालों में होम्योपैथिक उपचार प्रदान करने के लिए छः (06) कार्यात्मक ओपीडी हैं

9.6.1.3 इनके अतिरिक्त, परिषद ने आणविक जैविक कार्य करने के लिए डॉ. अंजली चटर्जी क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, कोलकाता में वायरोलॉजी प्रयोगशाला के अत्यधिक उन्नत और तकनीकी रूप से सुसज्जित बुनियादी ढांचों को विकसित किया है। डॉ. डीपी रस्तोगी केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, नोएडा में औषधीय मानकीकरण प्रयोगशाला, ज़ेबरा मछली और माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला विकसित की जा रही है।

9.6.1.4 आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है जो होम्योपैथी में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य, समन्वय, विकास, प्रसार और संवर्धन देखता है।

9.6.1.5 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रस्ताव पर अध्ययन जैसे प्राथमिक शुरूआत के लिए होम्योपैथी, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और डेंगू के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के प्रबंधन में सामान्य देखभाल के साथ सहायक होम्योपैथी के प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित किया गया है और होम्योपैथी के व्यापक प्रचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुत किया गया है।

9.6.1.6 प्रतिवेदन अवधि के दौरान, परिषद द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समकक्ष रूप में पुनरीक्षित पत्रिकाओं में 22 शोध पत्र प्रकाशित किए गए। रजोनिवृत्ति लक्षण पर हुए अध्ययन ने संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए।

9.6.1.7 संकाय, चिकित्सकों और छात्रों द्वारा उपयोग हेतु होम्योपैथी के पक्ष में समान रूप से आँकड़ों के सृजन के लिए 35 रोगावस्थाओं पर मानक उपचार दिशानिर्देश: विकसित किए गए हैं।

9.6.1.8 11 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद परिषद ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्षितिज का विस्तार किया है और 04 संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

9.6.1.9 परिषद ने 07 ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों और होम्योपैथिक कॉलेजों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को आरंभ करने और ज्ञान के आदान-प्रदान तथा सामंजस्य विकसित करने के लिए एमओयू ने एक पहल की है।

9.6.1.10 हीमोफिलिया पर अनुसंधान परियोजना शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान के साथ शिक्षा को जोड़ने के लिए, होम्योपैथी में अल्पकालिक छात्रवृत्ति की योजना के तहत स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 68 छात्रों को छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है।

9.6.1.11 परिषद ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान होम्योपैथी जयपुर के नए परिसर का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया।

9.6.1.12 परिषद द्वारा विश्व होम्योपैथी दिवस 2019 को "अनुसंधान के साथ शिक्षा और नैदानिक अभ्यास को जोड़ना: वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाना" विषयवस्तु पर 09-10 अप्रैल 2019 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया।

9.6.1.13 जनवरी, 2019, गोवा में "एडवांसिंग ग्लोबल सहयोग" विषय पर होम्योपैथिक औषधीय उत्पादों के नियमन पर विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए।

9.6.1.14 परिषद ने औषधीय पादपों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी; पर्यावरण सुरक्षा और सरोकारों पर सम्मेलन; दो सीएमई कार्यक्रम और 02 हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया।

9.6.1.15.11. आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (ए-एचएमआईएस) केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद के तहत सभी संस्थानों में लागू की गई है और इस प्लेटफ़ॉर्म पर 322903 मरीज़ पंजीकृत किए गए।

9.6.1.16 नए प्रस्तावों के अंतर्गत परिषद ने 1) 26 गाँवों में अपनी मनो-समाजिक आवश्यकता के लिए जेरिएट्रिक जनसंख्या आधारित अध्ययन का लक्ष्य रखा। 2) ग्रामीण क्षेत्रों के 29 विद्यालयों में किशोरों (12-18 वर्ष) की स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार का मूल्यांकन और प्रतिदिन की समस्याओं के लिए होम्योपैथी की उपयोगिता कार्यक्रम शुरू किए गए। 3) पूर्व-अभिज्ञात रोग स्थितियों पर होम्योपैथिक प्रबंधन की जांच के लिए 5-12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए अगरतला और गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किए।

9.6.1.17 केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद का उद्देश्य सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलन, सीएमई आदि का आयोजन करके नवोदित होमियोपैथों और अनुसंधानकर्ताओं का अनुसंधान के लिए उत्साह बढ़ाना है। इस तरह के कार्यक्रम होम्योपैथी अनुसंधान में चुनौतियों का सामना करने हेतु वैज्ञानिकों की क्षमता निर्माण में सहायता करते हैं।

9.7 बहिर्वर्ती अनुसंधान

9.7.1 प्रस्तावना

9.7.1.1 आयुष मंत्रालय प्रतिष्ठित संबंधित विद्वानों, वैज्ञानिकों और शिक्षण संस्थानों/अनुसंधान संगठनों को शामिल करके आयुष प्रणालियों में अनुसंधान के क्षेत्र में विस्तार करने के उद्देश्य से बहिर्वर्ती अनुसंधान (ईएमआर) योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत आयुष प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए निजी/सार्वजनिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। योजना को आयुष के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रूपांकित किया गया है।

9.7.2 बहिर्वर्ती अनुसंधान नीति (ई.एम.आर) के उद्देश्य

• प्राथमिकता वाले रोगों के उपचार के लिए बहिर्वतर्ती योजना विधि में अनुसंधान और विकास का समर्थन करना;

• आयुष औषधियों और उपचारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों का मानकीकरण/सत्यापन और विकास करना;
• अंतःविषय दृष्टिकोण के साथ आयुष पद्धति का वैज्ञानिक अन्वेषण करना;
• प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित परिणाम प्राप्त करना ; तथा
• विशेष रूप से आयुष पद्धतियों के लिए योग्यता और विशेषज्ञता को बढ़ाने हेतु आयुष पद्धति में मानव संसाधन की क्षमता विकसित करना।

9.7.3 अनुदान की मांग करने वाले संस्थाओं के लिए पात्रता

• सरकार और निजी क्षेत्र में पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं और तकनीकी विशेषज्ञता वाले चिकित्सा, वैज्ञानिक और अनुसंधान और विकास संस्थान विश्वविद्यालय/संस्थानिक विभाग।

•सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों में अनुसंधान और विकास सुविधाओं वाली एएसयू और एच औषधियों के उद्योग जो जीएमपी का अनुपालन करते हैं।
•मुख्य अन्वेषणकर्ता (संस्था के नियमित कर्मचारी) जिन्हें संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुसंधान अनुभव हो।

9.7.4 बहिर्वर्ती अनुसंधान नीति की उपलब्धियां

• एक परियोजना संवीक्षा समिति (पीएससी) की बैठकें 13 और 14 अगस्त, 2019 को आयोजित की गईं। ईएमआर स्कीम हेतु एक परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) की बैठक 01 नवंबर, 2019 को आयोजित की गई।
• परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा स्पष्ट/सशर्त रूप से अनुमोदित नई परियोजनाएं- 04
• चल रही 30 परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान
• पूर्ण परियोजनाएं - 15
• प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र – 15
• आयुष औषधियां/उपचारों का सत्यापन - 0
• बहिर्वर्ती अनुसंधान नीति योजना का बजट निम्नलिखित है:

	बजट	(करोड़ रुपए में)
शीर्ष	बीई/आरई 2019-20	दिनांक 20.01.2020 तक का व्यय
सामान्य अनुदान-सहायता	5.98	3.5
अन्य शुल्क	2.00	0

9.7.4.1 बहिवर्ती परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान जारी अनुदान-सहायता परिशिष्ट VI में दी गई है।

अध्याय 10

10. भारत में औषधीय पादपों के क्षेत्र को विकसित करना

10.1. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

10.1.1. प्रस्तावना

10.1.1.1 औषधीय पादपों से सम्बंधित मुद्दों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर के निकाय का गठन किया अर्थात राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) जो नीति निर्माण, मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय, औषधीय पौधों के सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनके विकास और सतत उपयोग से सम्बंधित सभी मामलों के समन्वय को देखता है।

10.1.1.2. 24 नवम्बर 2000 को अधिसूचित संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। वर्तमान में बोर्ड के अध्यक्ष माननीय आयुष मंत्री हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के सचिव पदेन सदस्य कई रूप में और विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्य होते हैं। बोर्ड का पुनर्गठन 01 अगस्त 2018 को किया गया और पुनर्गठित बोर्ड की पहली बैठक 30 अगस्त 2018 को आयोजित की गई।

10.1.2. विजन स्टेटमेंट

10.1.2.1. औषधीय पादप क्षेत्र में भारत के सम्भावित और तुलनात्मक लाभ का दोहन करने के लिए ताकि वह इस क्षेत्र हेतु संरक्षण, खेती, संग्रह, प्रसंस्करण, विपणन, अनुसंधान और विस्तार सहायता प्रणाली के व्यापक विकास द्वारा इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की अपनी क्षमता को जान सके।

10.1.3. योजनाएँ और उनके प्रावधान

10.1.3.1. एनएमपीबी वर्तमान में □औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन□ पर केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यांवित कर रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त एनएमपीबी के □संरक्षण, विकास और

औषधीय पादपों क़े सतत प्रबंधन के लिए संशोधित केंद्रीय क्षेत्र की योजना को सितम्बर 2017 के दौरान वित्त राज्य मंत्री द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए 200.00 करोड रूपये के बजट परिव्यय पर अनुमोदित किया गया। औषधीय पादप (एमपी) क्षेत्र के विकास के लिए इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10.1.3.2. योजना के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

क) स्व-स्थाने संरक्षण, स्व-स्थाने संसाधन वृद्धि, बाह्य-स्थाने संरक्षण;

ख) महत्वपूर्ण औषधीय पादप आवासों के पुनर्वास के लिए इको टास्क फोर्स को लगाना;

ग) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी)/पंचायतों/वन पंचायतों/स्वंय सहायता समूहों (एसएचजी)/(बीएमसी) को सहयोग;

घ) अनुसंधान, प्रोद्योगिकी विकास और गुणवत्ता आश्वासन;

ड) विपणन हस्तक्षेप

च) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनिति के माध्यम से हितधारकों की जागरूकता बढाना, एक्सपोज़र दौरे, हितधारकों की शिक्षा और क्षमता निर्माण;

छ) हर्बल उद्यान, होम हर्बल उद्यान, स्कूल हर्बल उद्यान, इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक हर्बल उद्यान को बढावा देना;

ज) एनएमपीबी के क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्रो (आरसीएफसी) की स्थापना; तथा

झ) राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमपीबी) को मज़बूत करना, जो देश भर में एनएमपीबी की कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं।

10.1.3.3. एनएमपीबी की एक और योजना यथा, “औषधीय पादपों पर राष्ट्रीय मिशन की केंद्र प्रायोजित योजना को अब इसके एक घटक अर्थात औषधीय पादपों के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत रखा गया है।

10.1.4. उपलब्धियाँ

10.1.4.1. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर रोड झाँसी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अनिर्मित औषधी भंडार (एनआरडीआर) की स्थापना की गई। इसके अलावा, एनएमपीबी ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत औषधी के एएसयू एवं एच प्रणाली में प्रयोग होने वाली कच्ची औषधियों (जड़ी बूटी, धातु और खनिज और पशु उत्पाद द्वारा) के संबंध में आठ क्षेत्रों पर आधारित क्षेत्रीय कच्ची औषधियों के भंडार के विकास के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है।

10.1.4.2. 2019-20 के दौरान श्री श्रीपाद येसो नाइक, माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय और डॉ. हर्षवर्धन (तत्कालीन माननीय मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की उपस्थिति में 5 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया "जीवन के लिए अमृत" पर राष्ट्रीय अभियान शुरू करने के परिणामस्वरूप एनएमपीबी ने आठ राज्यों (उत्तर पूर्वी राज्यों सहित जैसे असम, दिल्ली, गोवा, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) में उपर्युक्त अभियान को लागू करने के लिए 122.93 लाख रुपये जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश और असम से संबंधित चित्र संलग्न हैं।

10.1.4.3. एनएमपीबी ने असम, कर्नाटक, केरल (दो परियोजनाएं), उड़ीसा और तेलंगाना में आयुष संगठन/संस्थान की छः परियोजनाओं को 11.08 लाख रुपये जारी करके औषधीय पादपों की नर्सरी के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की है।

चित्र 23

10.1.4.4. एनएमपीबी ने कुछ चिन्हित क्षेत्र और कुछ चयनित औषधीय पादपों की प्रजातियों पर समन्वित बहु संस्थागत या नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाओं को आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन दिया।

10.1.4.5. औषधीय पादपों के अनुसंधान और विकास की पांच सफल कहानियों की बंद हुई परियोजनाओं को विभिन्न विषयों पर प्रकाशित किया गया था जैसे कि आंवला में कीट प्रबंधन, चिनार के पेड़ के साथ विभिन्न औषधीय पादपों की अंतर - फसल, अच्छी कृषि कार्यप्रणालीयां, जर्मप्लाज्म संग्रह, नारदोस्तकिस जटामांसी का संरक्षण; अस्टवर्गा संयंत्र प्रजातियों के सूक्ष्म प्रसार जर्मप्लाज्म संग्रह और निकटंथिस अर्बोर्ट्रिटिस के विकल्प की पहचान और उनके औषधीय एवं कॉस्मेटिक उपयोगिताओं का मूल्यांकन।

10.1.4.6. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने स्वास्थ्य और समृद्धि हेतु औषधीय पौधे (सफलता की कहानियां -1) का एक प्रकाशन जारी किया है जो विभिन्न एनएमपीबी समर्थित परियोजनाओं अनुसंधान एवं विकास, संरक्षण, खेती, विपणन और औषधीय पादपों के व्यापार के तहत उपलब्धियों को उजागर करता

है। यह प्रकाशन औषधीय पादपों के क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए सूचना और प्रेरणा का मूल्यवान स्रोत होगा।

10.1.4.7. एनएमपीबी ने हर्बल उद्यान, स्कूल हर्बल उद्यान, संस्थागत उद्यान और गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरी की स्थापना, आजीविका में वृद्धि के लिए औषधीय पादपों की नर्सरी, जैव विविधता और गुग्गल संरक्षण की स्थापना की दिशा में विभिन्न राज्यों में सरकारी संगठनों की 23 परियोजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों की 4 परियोजनाओं का समर्थन किया है।

अध्याय 11

11. औषध गुणवत्ता नियंत्रण

11.1. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों का विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण

11.1.1. प्रस्तावना

11.1.1.1. आयुष मंत्रालय के पास एक औषधि नियंत्रण प्रकोष्ठ (डीसीसी) है, जो आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होमियोपैथी (एएसयू और एच औषधियों के नियामक और गुणवत्ता नियंत्रण प्रावधानों को शासित करता है। औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ का सरोकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत नियम और एएसयू और एच औषधियों से संबन्धित मामलों से है। इस संबंध में प्रकोष्ठ अधिनियम को एक समान लागू करने और विनियामक मार्गनिर्देश एवं स्पष्टीकरण देने हेतु राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और औषध नियंत्रकों से समन्वय स्थापित करता है। प्रकोष्ठ राष्ट्रीय आयुष मिशन के औषध गुणवत्ता नियंत्रण घटक के माध्यम से राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों और विनियामक ढांचे की अवसंरचनात्मक और कार्यात्मक क्षमता में सुधार करने हेतु प्राप्त अनुदान के कार्यान्वयन की व्यवस्था करता है। सचिवालय के दो सांविधिक निकाय यथा आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषध तकनीकी परामर्श बोर्ड (एएसयूडीटीएबी) और आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषध परामर्श समिति (एएसयूडीसीसी) औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ में समन्वय और इनकी बैठकों की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु हैं।

11.1.1.2 औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), विदेशी व्यापार महानिदेशालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत की गुणवत्ता परिषद और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और औषध निर्माता संघ के साथ एएसयू एंव एच औषधियों और संबंधित मामलों पर परस्पर संवाद करता है। एएसयू एंव एच औषधि के लिए औषधि और प्रसाधन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय के तकनीकी अधिकारियों को केन्द्रीय औषध निरीक्षकों,

सहायक औषध नियंत्रक और उप औषध नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

11.1.2. उद्देश्य

11.1.2.1. सार्वजनिक सुरक्षा के हित में एएसयू एंड एच औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने और औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत नियमों को एक समान शासित करने के लिए है।

11.1.3. मुख्य उपलब्धियां/पहल

11.1.3.1. आयुष मंत्रालय भारतीय चिकित्सा एवं होमियोपैथी में फार्मेसी की शिक्षा और पेशे के लिए कानून के रूप में नियामक लाने की इच्छा रखता है। सक्षम प्राधिकारी की सलाह पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से इस संबंध में परामर्श किया गया है।

11.1.3.2. आयुष मंत्रालय ने एएसयू और एच औषधियों के फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है। योजना दिसंबर, 2017 में अनुमोदित की गई और एक त्रि-स्तरीय नेटवर्क स्थापित करने के लिए 108.80 लाख रूपये सहायता अनुदान के रूप में दिये गए।

11.1.3.3 एएसयू और एच औषधियों के भ्रामक विज्ञापनों की रिपोर्टिंग करने और फार्माकोविजिलेंस पहल के कार्यान्वयन के लिए एआईआईए को एएसयू और एच औषधियों हेतु राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस समन्वय केंद्र के रूप में नामित किया गया है।

11.1.3.4. आयुष मंत्रालय सीडीएससीओ में आयुष की कार्यात्मक संरचना की स्थापना के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ 13 नियामक पदों के सृजन हेतु लगा हुआ है।

11.1.3.5. आयुष के तहत निर्मित आयुष औषधियों के भ्रामक विज्ञापन के नियंत्रण हेतु शक्ति प्राप्त समिति की बैठक 22.05.2018 को आयोजित की गई।

11.1.3.6. नियामक प्रावधानों के प्रवर्तन में पारदर्शिता एवं एकरूपता लाने के लिए लाइसेंस अनुप्रयोगों हेतु ऑनलाइन प्रणाली के लिए औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ, आयुष मंत्रालय द्वारा 13.2.2019 को एक नया ई-आयुष पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल अब पंजीकरण के लिए सभी राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों और आयुष औषधि निर्माताओं के लिए खुला है।

11.1.3.7. 23.03.2018 को आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध तकनीकी बोर्ड (एएसयूडीएबी) की बैठक आयोजित की गई।

11.1.3.8 आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी औषधि परामर्श समिति (एएसयूडीसीसी) की बैठक 12 जून, 2018 को आयोजित की गई। एएसयू औषधियों को लागू करने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए औषध महानियंत्रक (भारत) सहित केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

11.1.3.9. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आयुर्वेद अस्पताल और आयुर्वेद दिवस देखभाल केंद्रों से संबंधित मानदंड तैयार किए गए हैं।

11.1.3.10. राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से, वर्ष 2018-19 के लिए 15 राज्यों में औषधियों की गुपावत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2638.82 लाख रु. की राशि की स्वीकृति दी गई है।

11.1.3.11. आयुष मंत्रालय और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), मुंबई के बीच 20 जनवरी, 2017 को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एएसयू एवं एच औषधियों के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करने हेतु हस्ताक्षरित समझौताज्ञापन को 31 मार्च, 2019 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

11.1.3.12. आयुष उत्पादों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के लगभग 590 संदर्भों, जो उपभोक्ता मामले विभाग में भ्रामक विज्ञापन (जीएएमए) फोर्ट के बिरुदध शिकायतों

से प्राप्त हुए, को औषधि एवं मैजिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत नियमों तथा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत, नियमों के कानूनी प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को भेज दिया गया है।

11.1.3.13. आयुष उत्पादों के विज्ञापनों में सरकारी विभागों/संस्थान नाम के उपयोग के मुद्दे पर जाँच करने के लिए, आयुष मंत्रालय ने निर्माताओं और विज्ञापन एजेंसियों को सरकारी विभागों या एएसयू और एच औषधियों के विज्ञापनों में संस्थानों के नाम का उपयोग करने से रोकने हेतु 31.08.2018 को एक एडवाइज़री जारी की।

11.1.3.14. आम जनता के लिए 100 प्रमुख अखबारों में चेतावनी जारी की गई है कि वे उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों या संस्थानों के नाम का उपयोग करने वाली एएसयू और एच औषधि के फर्जी कॉल और विज्ञापनों के शिकार न हों और ऐसी दवाओं के प्रयोग से परहेज करें।

11.1.3.15. वर्ष 2018-19 के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत एक और प्रयोगशाला को मंजूरी दी गई है।

11.1.3.16. एएसयू औषधियों के परीक्षण के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए चार ड्रग परीक्षण प्रयोगशालाओं के संयुक्त निरीक्षण किए गए हैं।

11.1.3.17. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत खरीदी आने वाली एएसयू और एच दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु 26 मार्च, 2019 को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइज़री जारी की गई।

11.1.3.18. औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ, एएसयू और एच औषधि और सिस्टम से संबंधित हानिकारक लेखों का जवाब दे रहा है और आवश्यकता पड़ने पर एडवाइज़री या खंडन पत्र जारी कर रहा है।

11.1.3.19. एएसयू औषध के भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने हेतु 24.12.2018 को औषध एवं प्रसाधन नियम 1945 में नियम 170 को अधिसूचित किया गया।

11.1.3.20. आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी की आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) को संशोधित किया गया है और इसे आवश्यक आयुष औषधियों (एनएलईएएम) की राष्ट्रीय सूची का नाम दिया गया है।

11.1.3.21. रिपोर्ट की अवधि के दौरान एएसयू और एच औषधियों के नियमन पर छः (06) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। फार्माकोविजिलेंस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 15-16 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में और 19-20 मार्च, 2019 को भारतीय फार्माकोपिया आयोग, गाजियाबाद में आयोजित किए गए।

11.1.3.22. डब्ल्यूएचओ - सीओपीपी जारी करने के लिए संयुक्त निरीक्षण डाबर- बद्दी, हिमालय-बैंगलोर, यूनीक फार्मेसी-गुजरात और दिव्य फार्मेसी-पतंजली, हरिद्वार में किया गया।

11.1.3.23. डॉ. डी.सी. कटोच, सलाहकार (आयु.) ने 21-23 जून, 2018 को चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय जैव विविधता के विशेषज्ञ समूह की दूसरी परामर्श बैठक में भाग लिया और जयपुर में आयुर्वेद पंचकर्म और यूनानी के लिए बेंचमार्क को अंतिम रूप देने हेतु डब्ल्यूएचओ कार्य समूह की बैठक 17-09-2018 को आयोजित की गई।

11.1.3.24. सलाहकार (आयु.) ने 14 से 17, दिसंबर, 2018 के दौरान अहमदाबाद में आयोजित आठवें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में भाग लिया और 22-24 नवंबर, 2018 को कोच्चि में वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन हुआ और उन्होनें 20-22 जनवरी, 2019 के दौरान वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में भी भाग लिया।

11.1.3.25. डॉ. डी. सी. कटोच, सलाहकार (आयु.) और प्रमुख, औषध नियंत्रण प्रकोष्ठ ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व किया है ताकि एएसयू और एच औषधियों से संबंधित नियामक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके, जो निम्नानुसार है:

I. काठमांडू, नेपाल में 31.01.2019 से 01.02.2019 तक भारतीय आयुर्वेद उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए गैर-शुल्क अवरोधों पर द्विपक्षीय चर्चा के लिए बैठक में भाग लिया।
II. भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित आयुर्वेद कांग्रेस के लिए 31.08.2018 से 05.09.2018 तक नीदरलैंड में बैठक में भाग लिया।
III. 24-28 सितंबर, 2018 के दौरान जिनेवा में डब्ल्यूआईपीओ की बैठक में भाग लिया।

अध्याय 12

12. भेषजसंहिता

12.1 भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग, गाजियाबाद

12.1.1 प्रस्तावना

12.1.1.1 भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग (पीसीआईएम एंड एच), गाजियाबाद, आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया समिति, सिद्ध फार्माकोपिया समिति, यूनानी फार्माकोपिया समिति और भारतीय चिकित्सा के लिए फार्माकोपियल प्रयोगशाला (पीएलआईएम) के साथ होम्योपैथी फार्माकोपिया समिति और इसके सहायक संरचना के रूप में होमिओपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला (एचपीएल) के लिए एक सहयोगी संगठन है।

12.1.1.2 आयोग का मुख्य अधिदेश उपयुक्त अंतराल पर भारत के आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी फार्माकोपिया का प्रकाशन और पुनःनिरीक्षण करना; आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी फॉर्मूलों के साथ-साथ होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कोडेक्स का प्रकाशन और पुनःनिरीक्षण; एएसयू और एच उत्पादों पर एएसयू और एच औषधियों/योगों और औषध अनुसंधान में गुणवत्ता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना; सूचना का आदान-प्रदान करना और विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों की विशेषज्ञ समितियों के साथ बातचीत करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनाने के लिए एएसयू एंड एच फार्माकोपियल मानकों का सामंजस्य और विकास करना; प्रामाणिक संदर्भ कच्चे माल के राष्ट्रीय भंडार को बनाए रखना, एक मूल्य पर हितधारकों के संदर्भ मानकों की आपूर्ति और संदर्भ के उद्देश्य के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा के निर्माण मे उपयोग करना, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा के मानकीकरण में उपयोग किए जाने वाले पादपों या अन्य अवयवों के रासायनिक संदर्भ मार्कर योगिकों के भंडार को उत्पन्न करना, बनाए रखना और एएसयू औषधियों और होम्योपैथी औषधि के संबंध में क्रमशः एएसयू औषधियों के मामले में उन्हें औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अध्याय IV ए के प्रावधान के अनुसार तथा होम्योपैथी औषधियों के मामले में औषधि और प्रसाधन अधिनियम की अनुसूची II के 4A और उसके तहत नियमों के अनुसार कीमत पर हितधारकों को संदर्भ मानकों के रूप में उसकी आपूर्ति करना है।

12.1.2 शासीय संरचना

12.1.2.1 आयोग की शासीय संरचना में (i) सामान्य निकाय, (ii) स्थायी वित्त समिति और (iii) वैज्ञानिक निकाय शामिल हैं और आयोग के तकनीकी कार्यों का निष्पादन वैज्ञानिक शीर्ष निकाय की निम्नलिखित फार्माकोपिया समितियों द्वारा किया जाता है:

i.आयुर्वेदिक फार्माकोपिया समिति (एपीसी)
ii.सिद्ध फार्माकोपिया समिति (एसपीसी)
iii.यूनानी फार्माकोपिया समिति (यूपीसी)
iv.होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति (एचपीसी)

12.1.3 आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.1.3.1 आयोग के अधिकारी डॉ. विजय गुप्ता, डॉ. निखिल जिरंकालगीकर, डॉ. अनुपम मौर्य और डॉ. नितिन राय ने ड्रग कंट्रोल सेल (डीसीसी), आयुष मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित "एएसयू एंड एच ड्रग नियामकों, उद्योग कर्मियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम" की श्रृंखला में सिद्धहस्त व्यक्तियों के रूप में हिस्सा लिया।

12.1.3.2 डॉ. एस.सी. वर्मा और डॉ. अनुपम मौर्य, 24 अप्रैल 2019 को आईपीसी गाजियाबाद द्वारा आयोजित फाइटोफार्मास्युटिकल्स और हर्बल ड्रग्स मोनोग्राफ, प्रारूपण, सत्यापन और प्रमाणन पर द्वितीय पाठ्यक्रम में सिद्धहस्त व्यक्तियों के रूप में हिस्सा लिया।

12.1.3.3 डॉ. जयंती ए, पीएसओ (पीएचजी) ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 18.11.2019 को सीएमई कार्यक्रम के संबंध में द्रव्यगुण के शिक्षकों के लिए 'भेषजविज्ञान दृषिकोण के साथ परम्परागत औषधियों में जड़ी-बूटी निर्मित औषधियों के गुणवत्ता मानकीकरण हेतु हाल की अवधारय' और 4 औषधीय पादपों की प्रजातिवार पहचान हेतु आर्कोलॉजिकल साक्ष्य' विषय पर व्याख्यान दिया।

12.1.3.4 डॉ.जयंती ए, पीएसओ (पीएचजी) ने 22 अक्टूबर 2019 और 06 दिसंबर, 2019 को औषध नियंत्रकों के लिए पीएलआईएम द्वारा विनियामक क्षमता निर्माण पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में "भेषजविज्ञान के दृष्टिकोण से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में हर्बल दवाओं का मानकीकरण" पर व्याख्यान दिया।

12.1.3.5 डॉ. नितिन राय, एसओ (पीएचजी) ने दिनांक 26 सितंबर 2019 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (आयुष), जौकबरी, गुवाहाटी, में आयोजित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण राज्य कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया

12.1.4 सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन

12.1.4.1 भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), एनएमपीबी और पीसीआईएम एंड एच द्वारा संयुक्त रूप से पीसीआईएम एंड एच, गाजियाबाद में 2 मई 2019 को "औषधीय पादप उत्पादों हेतु स्वैच्छिक प्रमाणन योजना" पर क्षमता निर्माण सह जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गयी।

12.1.4.2 सिडको प्रदर्शनी केंद्र, स्वामी प्रणवानंदजी मार्ग, सेक्टर -30, वाशी, नवी मुंबई में विश्व आयुष प्रदर्शनी और आरोग्य - 2019 के अवसर पर 24 अगस्त, 2019 को "एएसयू एंड एच औषधियों के लिए भेषजविज्ञान मानकों के विकास में संभावनाएं एवं चुनौतियां" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों अर्थात निर्माता, शिक्षाविद, गुणवत्ता नियंत्रण कर्मी आदि 40 हितधारक कार्यक्रम से लाभान्वित हुए।

12.2 भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद

12.2.1 प्रस्तावना

12.2.1.1 गाजियाबाद स्थित भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला (पीएलआईएम) मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। प्रयोगशाला की स्थापना 1970 में फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स सेटिंग-कम-ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय औषधियों के लिए की गई थी, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध प्रणालियों की औषधियाँ शामिल हैं। यह औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अंतर्गत आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध औषधियों के परीक्षण के लिए पुनर्विचार-संबंधी प्रयोगशाला के रूप में कार्यकरता है।

12.2.1.2 भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला की स्थापना आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध फार्माकोपिया में शामिल करने के लिए एकल औषधियों और मिश्रणों के फार्माकोपियल मानकों को मान्य करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रयोगशाला को औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों से प्राप्त आधिकारिक और कानूनी नमूनों के विश्लेषण और सर्वेक्षण का कार्य भी सौंपा गया।

12.2.2 उपलब्धियां

12.2.2.1 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान उपलब्धियाँ

क्रसं.	कार्यकलाप	उपलब्धियाँ
1	आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों (एकल और यौगिक संरचनाएँ) का फार्माकोपियल मानकीकरण - मोनोग्राफ तैयार करना, फार्माकोपियल मोनोग्राफ का संशोधन और फार्माकोपियल मानकों का सत्यापन/प्रमाणीकरण	139
2	विभिन्न आधिकारिक स्रोतों से कानूनी दवा के नमूनों और अन्य नमूनों का विश्लेषण/परीक्षण।	25
3	औषधीय पादपों/संग्रह दौरे/अशोधित औषधियों का सर्वेक्षण	04
4	संग्रहालय में अशोधित दवा के नमूनों का संग्रह/परिवर्धन।	50
5	संग्रहालय और हर्बेरियम संग्रहालय का रखरखाव।	सतत प्रक्रिया
6	औषधि उद्यान में औषधीय पादपों की खेती और रखरखाव	सतत प्रक्रिया

12.3 होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद

12.3.1 प्रस्तावना

12.3.1.1 होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला की स्थापना 1975 में होम्योपैथिक औषधियों की पहचान, शुद्धता और गुणवत्ता के लिए मानकों के निधारण और परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। प्रयोगशाला औषध एवं प्रसाधन अधिनियम के लिए नियम 3 ए के तहत होम्योपैथिक औषधियों के परीक्षण के लिए एक केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करती है।

12.3.1.2 गुणवत्तायुक्त औषधि हर देश के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का प्रमुख कारक है। मानकों के अनुसार दवाओं का परीक्षण, बाज़ार मे गुणवत्तायुक्त और असली दवाओं के विपणन और आपूर्ति को बढ़ावा देना है जो भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने और इसके विश्वास जगाने में मदद करते हैं। जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान होम्योपैथिक दवाओं के कुल 372 नमूनों का परीक्षण किया गया है।

12.3.2 होम्योपैथिक औषधियों के मानकों का निर्धारण

12.3.2.1 होम्योपैथिक औषधियों के लिए मानकों का निर्धारण भारत में मानकों के अनुसार गुणवत्तायुक्त दवाओं के विनिर्माण को बढ़ावा देता है। यह निर्माताओं द्वारा एकसमान दवाओं के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है। जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान, 6 पादप जनित औषधियों को कवर करने वाले कुल 11 मोनोग्राफ अर्थात कस्कटा रिफलेक्स, कस्साड़ा, गेलिन्सोगा पर्वीफ्लोरा, साईसर एरिएटीनम, कुप्रेसस लव्सोनिएना और रःयूस एरोमेटिका और 5 रसायन मूल की औषधियाँ एम्मोनिम टेर्टरिकम, बेंजियम डिनिटिर्क्म, केलकेरिया केल्सिनेटा, कार्बोनियम और कार्बोनियम क्लोरेट्म तैयार किए जा चुके हैं और सीसीआरएच को प्रस्तुत किया जा चुका है। 5 दवाओं जैसे एमिग्डेलस परसिका, एकोरस केलेमस, रःयूस ग्लेब्रा, केसिया फिस्टुला और पिमेंटा ओफिसीनेलिस के वानस्पतिक भागों को पूरा कर लिया गया है और सीसीआरएच को प्रस्तुत किया गया है।

12.3.3 औषधीय पादपों का सर्वेक्षण

12.3.3.1 भारत के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के औषधीय पौधों का सर्वेक्षण और प्रलेखन जनसंख्या घनत्व और औषधीय पौधों के संरक्षण की स्थिति का वास्तविक परिदृश्य दर्शाता है। सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए पौधों और नमूनों को कच्ची दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने तथा पहचान के उद्देश्य से वानस्पतिक संदर्भ मानक (बीआरएस) के रूप में उपयोग किया जाता है। जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक, 03 निम्नलिखित स्थानों जैसे अल्मोड़ा वन क्षेत्र, नरेंद्र नगर वन क्षेत्र और भिलंगना घाटी, उत्तराखंड का सर्वेक्षण किया गया।

12.3.3.2 सर्वेक्षण के दौरान कुछ दुर्लभ और लुप्तप्राय पौधों को एकत्र किया गया जैसे एकोनिटम हेट्रोफिलम वाल. एक्स रोयेल (अतीश), पिकरोराइज़ा कुर्रुया रोयेल एक्स बेंथ.(कुटकी), पोर्टेंटील्ला फुलगेन्स वाल. एक्स हुक. एफ.(बज्रदंती), सौसुरिया कोस्टस (फाल्क.) लिप्सचित्ज़ (कुथ), स्वर्टिया चिरायता (रॉक्सब. एक्स फ्लेमिंग) कार्स्टन (चिरायता), टैक्सस बकाटा एल. सबस्प. वलीचियाना (जुक.) पिलगर (थूनर).| कुल 204 औषधीय पौधों को सर्वेक्षण दौरों से एकत्र किया गया था। संग्रहित नमूनों में से कुछ को एचपीएल में आए हितधारकों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय में भी संरक्षित किया गया है।

12.3.4 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.3.4.1 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में हितधारकों को होम्योपैथिक दवाओं के मानकीकरण और परीक्षण में उपयोग की जाने वाली उन्नत आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया जाता है।

12.3.4.2 14-15 नवंबर 2019 के दौरान प्रिंसिपलों/प्रोफेसरों और फार्मेसी प्रभारियों के लिए 01 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

12.3.4.3 औषधियों के मानकीकरण और परीक्षण में उपयोग की जाने वाली तकनीकों के बारे में छात्रों और उनके शिक्षक गणों को शिक्षित करने के उद्देश्य से छात्रों के दौरे का आयोजन किया गया। जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान, कुल 53 कॉलेजों के बीएचएमएस के 3708 छात्रों और कुल 204 शिक्षकों ने एचपीएल का दौरा किया।

12.3.4.4 एचपीएल में 20 स्टाफ सदस्य (18 पुरुष और 2 महिला) हैं।

अध्याय 13

13. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

13.1. समझौता ज्ञापन

13.1.1 बैठकें

13.1.1.1 दिनांक 24-25 जनवरी, 2019 को नाय पी ताठ, म्यांमार में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में दूसरे द्वितीय बिम्सटेक कार्यबल की बैठक में शामिल होने के लिए में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को प्रतिनियुक्त किया गया। इस बैठक में नई दिल्ली में टीकेडीएल मॉडल हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बिम्सटेक के सभी राष्ट्रों राज्यों ने समर्थन किया। आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सूचना (टीएमके) और प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सिज (जीआर) पर प्रेषित बेस पेपर को बिम्सटेक सचिवालय ने अंतिम बेस पेपर के रूप में स्वीकार कर लिया है। बैठक में सदस्य राष्ट्रों के मध्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में सतत क्षमता विकास हेतु इस क्षेत्र में मॉडल संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए भारत की ओर से यथा प्रस्तावित बिम्सटेक आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धित विश्वविद्यालय (बीएटीएमयू) की स्थापना करने की सिफारिश की गई है ताकि यह संस्थान इस क्षेत्र में एक मॉडल संस्थान के रूप में कार्य कर सके और उपर्युक्त विश्वविद्यालय के साथ समबद्धता प्राप्त करके अपने-अपने आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना करने में मदद कर सके।

13.1.1.2 आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर दिनांक 26-28 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में □बैंचमार्क्स फॉर ट्रेनिंग इन योग□ विषयक डब्ल्यूएचओ दस्तावेज की समीक्षा करने हेतु कार्यसमूह की तीन दिवसीय बैठक आयोजित की। बैठक के विशिष्ट उद्देश्यों में योग के प्रशिक्षण में आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना, प्रारूप दस्तावेज के कार्यक्षेत्र और संरचना की समीक्षा करना और उसपर विचार-विमर्श करना, प्रारूप दस्तावेज़ की विषयवस्तु की समीक्षा और उसपर विचार-विमर्श करना, भविष्य में अपेक्षित सूचना/डाटा के प्रकार, कार्यक्षेत्र

और शर्तों की पहचान करना और दस्तावेज के भावी विकास हेतु कार्यपद्धति और समय-सीमा पर विचार-विमर्श करना शामिल था।

13.1.1.3 फ़र्स्ट सेक्रेटरी (कम्यूनिटी अफेयर्स, इकोनोमिक एंड कॉमर्स), भारतीय दूतावास, आबु धाबी के अनुरोध पर अपर सचिव, आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 3-4 अप्रैल, 2019 को यूएई को भेजे जाने वाले फार्मास्युटिकल और आयुष उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं पर विचार-विमर्श करने और उन्हें सुलझाने हेतु आबु धाबी, यूएई का दौरा किया।

13.1.1.4 बहत्तरवीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान "डब्ल्यूएचओ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेडिश्नल एंड कोंप्लीमेंटरी मेडिसन-2019" के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने दिनांक 21 मई, 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के परिसर में डब्ल्यूएचओ की ट्रेडिश्नल कोंप्लीमेंटरी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसन यूनिट द्वारा आयोजित "इन्फोर्मल साइड-इवेंट ऑन ट्रेडिश्नल, कॉप्लीमेंटरी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन कोंट्रिब्यूशनस टू यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज" बैठक में भाग लेने के लिए दिनांक 20 से 21 मई, 2019 को श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव की अध्यक्षता में आयुष मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने जेनेवा की यात्रा की। इस दौरे के दौरान, आयुष मंत्रालय से संबंधित वर्तमान और भावी गतिविधियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ पीसीए से संबंधित सहयोगात्मक कार्य पर विचार-विमर्श करने हेतु डॉ. गीता कृष्णन, तकनीकी अधिकारी, टीसीआई यूनिट, डब्ल्यूएचओ सहित एक आयुष प्रतिनिधिमंडल ने श्री राजीव के. चंदर, राजदूत असाधारण एवं पूर्णाधिकारी स्थायी प्रतिनिधि, पीएमआई, जेनेवा और डब्ल्यूएचओ के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।

13.1.1.5 दिनांक 16 से 17 जून, 2019 तक ढाका, बांग्लादेश में पांपरिक चिकित्सा पद्धति में सहयोग हेतु राष्ट्रीय केंद्रों के बिम्सटेक नेटवर्क की चौथी बैठक में आयुष मंत्रालय से दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। पांपरिक चिकित्सा पद्धति विशेषकर जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग को और अधिक बढ़ाने हेतु बिम्सटेक के सदस्य राष्ट्रों ने व्यापक विचार-विमर्श किया।

13.1.1.6 दिनांक 23-25 जुलाई, 2019 के दौरान नई दिल्ली में डब्ल्यूएचओ-एसईएआरओ द्वारा "यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज (यूएचसी) फॉर रीज़नल कंसल्टेशन ऑन स्ट्रेनथरिंग फ्रंटलाइन सर्विसिज" विषय पर आयोजित बैठक में डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय ने भाग लिया।

13.1.1.7 दिनांक 02.09.2019 को दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र हेतु डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय समिति के बहत्तरवें सत्र के उद्घाटन समारोह में सचिव, आयुष ने भाग लिया और अपर सचिव, आयुष ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में दिनांक 2-6 सितंबर, 2019 के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र हेतु डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय समिति के बहत्तरवें सत्र और मंत्रालयी गोलमेज बैठक में भाग लिया।

13.1.1.8 मंत्रालय ने टीसीआई यूनिट, डब्ल्यूएचओ, जेनेवा में डब्ल्यूएचओ आवश्यक हर्बल औषधि सूची, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल औषधि भेषजसंहिता (आईपीएचएम), आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म में अभ्यास हेतु डब्ल्यूएचओ बैंचमार्क्स दस्तावेज और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) में डब्ल्यूएचओ शब्दावली दस्तावेज के कार्य पर ध्यान देने हेतु दो स्वयंसेवी/विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त किया। दोनों स्वयंसेवियों ने दिनांक 09.09.2019 को डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, जेनेवा में कार्यभार संभाल लिया।

13.1.1.9 भारतीय दूतावास, दोहा, कतर की सिफ़ारिश पर कतर में आयुर्वेद, योग और संबंधित मेडिकल शाखाओं हेतु अपेक्षित अवसंरचना की स्थापना करने में जन स्वास्थ्य मंत्रालय, कतर सरकार की सहायता करने के लिए आयुष मंत्रालय ने 9 से 10 सितंबर, 2019 तक दोहा, कतर में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को प्रतिनियुक्त किया। दौरे के दौरान, जन स्वास्थ्य मंत्रालय, कतर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें की गयीं। कतर की ओर से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग हेतु कंट्री टू कंट्री समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई गई। प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात समय सीमा के साथ कार्रवाई योजना बनाने हेतु संयुक्त कार्यसमूह का गठन करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

13.1.1.10 मंत्रालय ने दिनांक 23-28 सितंबर, 2019 के दौरान आयुष भवन, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली में डब्ल्यूएचओ के समक्ष ड्राफ्ट प्रस्तुत करने से पूर्व जीरो ड्राफ्ट की समीक्षा हेतु डब्ल्यूएचओ एएसयू शब्दावली दस्तावेज पर अंतिम बैठक आयोजित की।

13.1.1.11 दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को आयुष भवन, नई दिल्ली में श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय की अध्यक्षता में केंद्रीय तिब्बती चिकित्सा परिषद (सीसीटीएम); ईस्ट एशिया प्रभाग, विदेश मंत्रालय के अधिकारी और केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में, यह सहमति बनी कि यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सोवा-रिग्पा को शामिल करने हेतु भारत सरकार द्वारा यूनेस्को को प्रेषित आईसीएच से प्राप्त नामांकन में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

13.1.1.12आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर दिनांक 26-29 नवंबर, 2019 के दौरान आईपीजीटी और आरए, जामनगर में आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म में अभ्यास हेतु बैंचमार्क के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार बैठक (आईईसीएम) का आयोजन किया। बैठक के विशिष्ट उद्देश्यों आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म के अभ्यास में चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना, कार्यसाधक प्रारूप दस्तावेज के कार्यक्षेत्र और संरचना की समीक्षा और उसपर विचार-विमर्श करना, कार्यसाधक दस्तावेज़ की विषय-वस्तु की समीक्षा और उसपर विचार-विमर्श करना, भविष्य में अपेक्षित सूचना/डाटा के प्रकार, कार्यक्षेत्र और शर्तों की पहचान करना तथा दस्तावेज के भावी विकास हेतु कार्यपद्धति और समय सीमा पर विचार-विमर्श करना हैं।

13.1.1.13आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ ने दिनांक 02-04 दिसंबर, 2019 को आईपीजीटी और आरए, जामनगर में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध में डब्ल्यूएचओ शब्दावली के विकास पर संयुक्त डब्ल्यूएचओ कार्यसमूह की बैठक (डब्ल्यूजीएम) आयोजित की। डब्ल्यूएचओ कार्यसूह की बैठक (डब्ल्यूजीएम) का प्रयोजन विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए 3 शून्य प्रारूप दस्तावेजों में से प्रत्येक की

आवश्यकतानुसार समीक्षा, टिप्पणी और संशोधन करना था। इसका लक्ष्य प्रत्येक दस्तावेज की संरचना और विषयवस्तु सामग्री के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मतैक्य तैयार करना है। उम्मीद है कि इन दस्तावेजों से शास्त्रीय उपयोग के संबंध में संदर्भगत आशय/परिभाषाओं के संदर्भ, सुझाए गए अंग्रेजी शब्द, समानकी शब्द, उपवर्जन अन्य टिप्पणियों को शामिल करके संबंधित चिकित्सा पद्धतियों, परिभाषाओं (यथा अपेक्षित लघु या व्याख्यात्मक विवरण) से संबंधित सूची मिलेगी।

13.1.1.14 बुडापेस्ट, हंगरी में पहली आईआरसीएच-स्टीरिंग ग्रुप फेस टू फेस मीटिंग, ग्यारहवीं डब्ल्यूएचओ-आईआरसीएच नेटवर्क मीटिंग और आयुर्वेद दिवस/एक गोलमेज बैठक में भाग लेने हेतु मंत्रालय ने दिनांक 04-07 दिसंबर, 2019 तक डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद) को बुडापेस्ट, हंगरी में प्रतिनियुक्त किया।

13.1.1.15 दिनांक 06.11.2019 को ला प्रडेरा, हवाना, क्यूबा में पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आयुष मंत्रालय ने तकनीकी सहायता के रूप में दिनांक 01.11.2019 से एक माह की अवधि के लिए एक पंचकर्म विशेषज्ञ और दो पंचकर्म थेरापिस्ट्स को प्रतिनियुक्त किया। विदेश मंत्रालय की आईटीईसी योजना के अंतर्गत आयुर्वेद विशेषज्ञों और थेरापिस्ट्स की दीर्धकालिक प्रतिनियुक्ति की संभावना तलाशी जा रही है। आयुष मंत्रालय पंचकर्म केंद्र के लिए औषधि और उपकरण प्रदान करने में भी कार्य कर रहा है।

13.1.1.16 आयुष मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को विभिन्न देशों के विदेशी राजनयिकों के लिए □स्कोप ऑफ साइंस ऑफ आयुर्वेद इन ग्लोबल हैल्थ□ विषय पर सी.बी. मुथम्मा हॉल, ए-ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में एक सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के कुल 61 राजनयिक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान, सभी राजनयिकों को आयुष प्रणालियों की क्षमता और वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसे मजबूत करने में अनुसंधान, उत्पादों के व्यापार और सेवाओं के रूप में इस मंत्रालय द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों से अवगत कराया गया। राजनयिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष प्रणालियों की क्षमता,

संभावना और क्षेत्र से अवगत कराने हेतु आयुष प्रणालियों की संकल्पना, आयुष प्रणालियों में अनुसंधान स्थिति और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष प्रणाली की शिक्षा, सेवाओं और उत्पादों की स्थिति पर विशेषज्ञों ने लघु व्याख्यान दिए।

13.2 विदेश में प्रतिनियुक्त प्रतिनिधिमंडल

13.2.1.1 दिनांक 24-25 जनवरी, 2019 को नाय पी ताठ, म्यांमार में पांपरिक औषधि पर बिम्सटेक टास्क फोर्स की दूसरी बैठक में भाग लेने हेतु प्रो. वैद्य के.एस. धीमान, महानिदेशक, सीसीआरएएस के नेतृत्व में 03 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया।

13.2.1.2 दिनांक 31 जनवरी- 01 फरवरी, 2019 के दौरान नेपाल, काठमांडू में भारतीय आयुर्वेद उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए नॉन-टेरिफ़ प्रतिबंधों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श हेतु आयुष मंत्रालय से डॉ. डी. सी. कटोच, सलाहकार (आयुर्वेद) के नेतृत्व में 05 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को प्रतिनियुक्त किया गया। एसोसिएशन (एडीएमए), मुंबई

13.2.1.3 -

13.2.1.4 मंत्रालय ने यूएसए में डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयु.), आयुष मंत्रालय को दिनांक 25-29 मार्च, 2019 तक (यात्रा अवधि को छोड़कर) यूएसए में प्रतिनियुक्त किया। [दिनांक 25-28 मार्च, 2019 तक वाशिंगटन, डीसी और 29 मार्च, 2019 को बोस्टन, यूएसए में]

13.2.1.5 दिनांक 16-20 अप्रैल, 2019 को तुर्की में मारत महोत्सव के दौरान श्री तनुज यादव (योग शिक्षक), दलीप कुमार (योग शिक्षक) और श्रीमती ईशा संकारिया (योग शिक्षक) के प्रतिनिधिमंडल को योग कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.6 दिनांक 3-4 अप्रैल, 2019 को यूएई में भेषजसंहिता और आयुष उत्पादों पर विचार-विमर्श करने और उनके निर्यात में आने वाली बाधाओं के मामले को

सुलझाने के लिए आयुष मंत्रालय से श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में 04 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.7 दिनांक 24-27 अप्रैल, 2019 को इस्तांबुल, तुर्की में दूसरी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिश्नल एंड कोंप्लीमेंटरी मेडिसन कांग्रेस में उपस्थित होने के लिए मंत्रालय ने डॉ. मोहम्मद ताहिर, सलाहकार (यू) आयुष मंत्रालय को प्रतिनियुक्त किया।

13.2.1.8 दिनांक 24-28 अप्रैल, 2019 को स्कॉटीज वेली, सेन फ्रांसिस्को, केलिफोर्निया, यूएसए में आयोजित 15 एनएएमए वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने हेतु डॉ. नारायण श्रीकांत, उप महानिदेशक, सीसीआरएएस, आयुष मंत्रालय और डॉ. सुनील कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर रचना शरीर स्नातकोत्तर विभाग, एनआईए, आयुष मंत्रालय को प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.9 दिनांक 7-9 मई, 19 को चीन जाने के लिए भेषजसंहिता विभाग के प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने के लिए डॉ. डी. सी. कटोच, सलाहकार (आयु.), आयुष मंत्रालय को प्रतिनियुक्त किया गया|

13.2.1.10 दिनांक 20-21 मई, 2019 को श्री पीकेपी, अपर सचिव, डॉ. अविनाश कुमार जैन, अनु.अधि, सीसीआरएएस और डॉ. सी. अश्विन चंद्र, अनु.अधि, सीसीआरएएस के प्रतिनिधिमंडल को जेनेवा, स्विटजरलैंड में प्रतिनियुक्त किया गया|

13.2.1.11 दिनांक 28 मई से 1 जून, 2019 तक इंडियन पवेलियन इन चाइना इंटरनेशनल फेयर ऑन ट्रेड एंड सर्विसिज" में भाग लेने हेतु डॉ. अनुपम, निदेशक, आरएवी, आयुष मंत्रालय और डॉ. रमन कौशिक, अनु.अधि., सीसीआरएएस के प्रतिनिधिमंडल को बीजिंग, चीन में प्रतिनियुक्त किया गया|

13.2.1.12 दिनांक 13-14 जून, 2019 तक आयोजित होने वाले एससीओ शिखर बैठक के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के बिश्केक दौरे के दौरान नमस्कार यूरेशिया की शुरूआत किए जाने के अवसर पर योगासन के लिए दो योग विशेषज्ञों को बिश्केक, कजाकिस्तान में प्रतिनियुक्त किया गया|

13.2.1.13 दिनांक 16-17 जून, 2019 तक ढाका, बांग्लादेश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में बिम्सटेक राष्ट्रीय समन्वय केंद्र नेटवर्क की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए डॉ. कोंदुरु राम चंद्र रेड्डी, निदेशक, पीसीआईएमएच और डॉ. हिना रहमान, अनुसंधान अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया|

13.2.1.14 दिनांक 19-23 जून, 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडी वाई) मनाने के लिए प्योनयांग लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, कोरिया (उत्तर) में डॉ. सर्वेश कुमार अग्रवाल, सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआई ए), जयपुर को योग शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया|

13.2.1.15 दिनांक 20-24 जून, 2019 तक यूके में आयुष मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल से दो सदस्यों- डॉ. तनुजा नेसरी, निदेशक, एआईआईए और डॉ. राहुल जैन, अनु. अधि. (आयु.), आयुष मंत्रालय को प्रतिनियुक्त किया गया|

13.2.1.16 दिनांक 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2019 को डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, जेनेवा, स्विटजरलैंड में दो स्वयंसेवियों/विशेषज्ञों यथा डॉ. भूपेश रजनीकांत पटेल, सहायक प्रोफेसर, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आईपीजीटी और आरए, जामनगर, गुजरात और डॉ. असित कुमार पांजा, सहायक प्रोफेसर, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) को प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.17 दिनांक 4 से 6 जुलाई, 2019 तक मकाओ एसएआर चीन में स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में "एप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिश्नल एंड कॉंप्लिमेंटरी मेडिसिन" विषय पर दूसरी डब्ल्यूएचओ अंतः क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने हेतु डॉ. अनुपम को प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.18 दिनांक 01-03 अगस्त, 2019 तक हो ची मीं सिटी, वियतनाम में "उन्नीसवें अंतर्राष्ट्रीय मेडि-फ़ार्मा एक्सपो 2019" में भाग लेने के लिए आयुष मंत्रालय से डॉ. सुदिप्तो कुमार रथ, सहायक प्रोफेसर, एनआईए और डॉ. हिमांशु जोशी, अनुसंधान अधिकारी (आयु.) को प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.19 दिनांक 3-6 अगस्त, 2019 तक की अवधि के दौरान दिनांक 3-5 अगस्त, 2019 तक मलेशिया में पारंपरिक एवं अनुपूरक चिकित्सा पद्धति पर नौवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा दिनांक 6 अगस्त, 2019 को भारत और मलेशिया के मध्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग पर 6 द्विपक्षीय तकनीकी बैठक में उपस्थित होने हेतु श्री पी.एन. रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.20 कतर में आयुर्वेद, योग और संबंधित मेडिकल शाखाओं हेतु अपेक्षित अवसंरचना स्थापित करने में जन स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता करने हेतु दोहा, कतर में दिनांक 09 से 10 सितंबर, 2019 को (यात्रा अवधी को छोड़कर) डॉ. डी. सी. कटोच. सलाहकार (आयु.), आयुष मंत्रालय और डॉ. अश्वनी कुमार जायसवाल, अनुसंधान अधिकारी (आयु.), आयुष मंत्रालय को प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.21 दिनांक 12 अगस्त, 2019 को भारत चीन स्तरीय सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच आदान-प्रदान तंत्र की दूसरी बैठक में उपस्थित होने के लिए डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयु.), आयुष मंत्रालय को बीजिंग, चीन में प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.22 दिनांक 12-15 सितंबर, 2019 तक सचिव, आयुष के नेतृत्व में आयुष प्रतिनिधिमंडल में शामिल श्री राज कुमार, डीएस, आईएफडी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और डॉ. राजेश्वरी सिंह, ओएसडी को जर्मनी में प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.23 दिनांक 16-18 सितंबर, 2019 तक एआईआईए और स्पौल्डिंग रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल, बोस्टन के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के विचारार्थ विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयु.), आयुष मंत्रालय को बोस्टन, यूएस में प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.24 बिश्केक, कजाकिस्तान में □नमस्कार यूरेशिया□ की शुरूआत किए जाने के अवसर पर योग प्रदर्शन हेतु योग विशेषज्ञ के रूप में वैद्य अनीता

कांजीभाई कटारिया, रीडर और डॉ. काशीनाथ समागण्डी, सहायक प्रोफेसर, एनआईए को दिनांक 09-11 अक्टूबर, 2019 तक प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.25 लंदन के क्लियरेंस हाउस में प्रिंस फाउंडेशन के संरक्षण में आयुष परियोजना के लिए शासी परिषद की पहली बैठक में भाग लेने के लिए प्रो. तनुजा नेसरी, निदेशक, एआईआईए, आयुष मंत्रालय को दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 तक प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.26 पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान से डॉ. हिमांशु बरूआ, लेक्चरर को लिमा, पेरु में आयुर्वेद पर कार्यशाला में शामिल होने के लिए दिनांक 23-25 अक्टूबर, 2019 तक प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.27 साओ पोलो, ब्राजील में दिनांक 25-27 अक्टूबर, 2019 तक तीसरे लेटिन अमरीकी आयुर्वेद सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रो. वर्षा रामानिकलाल सोलंकी को प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.28 एक माह की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय ला प्राडेरा सेंटर, हवाना, क्यूबा में पंचकर्म केंद्र स्थापित करने हेतु अपनी सेवाएं देने के लिए एक आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. राजकला पंचाक्षरी पाटिल, अनुसंधान अधिकारी (आयु.), सीसीआरएएस और दो आयुर्वेद थेरापिस्ट सुश्री उदिन विलियम और श्री विष्णु एम. को दिनांक 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2019 तक अल्पावधि के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.29 मॉस्को, रूस में फार्मास्युटिकल्स पर भारत रूस संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक में उपस्थित होने के लिए श्री रोशन जग्गी, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय को दिनांक 18 नवम्बर, 2019 तक प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.30 जापान (कनागवा, प्रिफेक्चर, कोब और टोक्यो) में आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग हेतु 'हैल्थ एजिंग थ्रू आयुर्वेद पर सेमिनार/कार्यशाला में उपस्थित रहने के लिए डॉ. के.एस.धीमान, महानिदेशक, सीसीआरएएस, श्रीमती शीला टिर्की, अवर सचिव, आयुष मंत्रालय और डॉ. दीपक लौंधें, अनुसंधान

अधिकारी, सीसीआरएएस को दिनांक 01-04 दिसंबर, 2019 तक प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.31 बुडापेस्ट, हंगरी में पहली डब्ल्यूएचओ-आईआरसीएच संचालन समूह की बैठक, ग्यारहवीं डब्ल्यूएचओ-आईआरसीएच नेटवर्क और आयुर्वेद दिवस वार्षिक बैठक/आयुर्वेद पर गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयु.), आयुष मंत्रालय को दिनांक 04-07 दिसंबर, 2019 तक प्रतिनियुक्त किया गया।

13.2.1.32 बोगोटा, कोलंबिया में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (आईसीएच) को सुरक्षित रखने हेतु चौदहवीं अंताशासकीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए डॉ. अनुपम और डॉ. पद्मा गुरमेट को दिनांक 9-14 दिसंबर, 2019 तक प्रतिनियुक्त किया गया। विदेशी शिष्टमंडल का स्वागत किया गया।

13.2.1.33 पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु विचार-विमर्श के लिए दिनांक 21/08/2019 को बांग्लादेश के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे महानिदेशक, बांग्लादेश डाइरेक्टेरेट जनरल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (डीजीडीए) ने आयुष मंत्रालय का दौरा किया। बांग्लादेश की ओर से दोनों देशों के भेषजसंहिता में तालमेल बैठाने की इच्छा जताई गई। बांग्लादेश पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक औषध परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया में है जिसके लिए उन्होंने आयुष मंत्रालय से तकनीकी विशेषज्ञों की मांग की है।

13.2.1.34 आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में सहयोग को आगे ले जाने पर विचार-विमर्श करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 07.02.2019 को सचिव, आयुष के साथ बैठक हेतु निदेशक, डिवाइन वैल्यू स्कूल, इक्वाडोर स्वामी शिवानंद-विक्टर, मेयर अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आयुष मंत्रालय आए।

13.2.1.35 आयुर्वेद के क्षेत्र में और अधिक सहयोग पर विचार-विमर्श करने हेतु दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयु.), आयुष मंत्रालय से मिलने के लिए एनआईसीएम (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी

मेडिसन) स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधिमंडल आयुष मंत्रालय गया।

13.2.1.36 आयुर्वेद और अन्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों में सहयोग पर भावी रणनीति बनाने के लिए आयुष मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु महासचिव श्री एल्फ्रेडो गोंजालेज लोरेंजों, उप मंत्री (सचिव), क्यूबा के नेतृत्व में क्यूबहि प्रतिनिधिमंडल ने आयुष मंत्रालय का दौरा किया।

13.2.1.37 पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाने हेतु विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 21/08/2019 को बांग्लादेश के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे महानिदेशक, बांग्लादेश डाइरेक्टेरेट जनरल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (डीजीडीए) ने आयुष मंत्रालय का दौरा किया।

13.2.1.38 आयुष सूचना प्रकोष्ठ

13.2.1.39 आयुष

13.3 अन्य उपलब्धियाँ

13.3.1.1 वर्ष 2018 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एआईआईए और कॉलेज ऑफ मेडिसन, यूके के मध्य हताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में; कॉलेज ऑफ मेडिसिन, यूके की साझेदारी में आयुष मंत्रालय लंदन में आयुर्वेद और योग हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है और मंत्रालय ने लंदन में आयुष सुविधाएँ प्रदान करने हेतु वहां आयुर्वेद और योग हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए प्रिंस फाउंडेशन को 97,13,574/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है जो 110000 पाउंड के समतुल्य है। इस केंद्र की स्थापना का कार्य चल रहा है।

13.3.1.2 संपूर्ण विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने हेतु आयुष मंत्रालय प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित भारतीय मिशनों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2019 में भारत के अतिरिक्त 189 देशों के 820 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, विभिन्न

सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर योग सत्र/व्याख्यानों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से बढ़ चढ़ कर भागीदारी होती है और अपार उत्साह दिखाई देता है।

13.3.1.3 प्रत्येक वर्ष 35 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद के सिद्धांत और लाभों पर जोर देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों यथा सेमिनारों, कार्यशालाओं, व्याख्यानों आदि का आयोजन किया गया। विभिन्न योगासन सिखाने के लिए योग प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए।

13.3.1.4 दिनांक 22 से 25 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली और जयपुर में मेकोंग-गंगा देशों से टीएम चिकित्सकों को साम्मिलित करके प्रतिभागियों के लिए पारंपरिक और अनुपूरक चिकित्सा पद्धति पर कार्यशाला आयोजित की गई:

13.3.1.5 मेकोंग-गंगा सहयोग (एमजीसी) विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु छह देशों- भारत और पांच आसियान देशों यथा कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम की एक पहल है और इसमें सहयोग का एक क्षेत्र स्वास्थ्य भी है। मेकोंग देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन देशों के साथ हमारा सहयोग उल्लेखनीय है। मेकोंग देशों के साथ भारत को सहयोग बढ़ाना चाहिए जो पूर्वोन्मुखी नीति का एक उद्देश्य भी है। तदनुसार, एमजीसी देशों के प्रतिभागियों के मध्य आयुर्वेद और योग की क्षमता के विषय में जागरूकता लाने और भारत में इन पद्धतियों की ठोस अवसंरचना और विनियामक प्रावधानों से इन्हें परिचय कराने हेतु, आयुष मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से दिनांक 22 से 25 अक्टूबर, 2019 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), सरिता विहार, नई दिल्ली और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर, राजस्थान में मेकोंग-गंगा देशों से टीएम चिकित्सकों को साम्मिलित करके प्रतिभागियों के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर कार्यशाला आयोजित की। भारत में उक्त कार्यशाला में इन देशों के 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

13.3.1.6 दिनांक 15-16 नवंबर, 2019 को मैसूर, कर्नाटक में □हृदय देखभाल हेतु योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन□ का आयोजन किया गया:

13.3.1.7 दिनांक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने हेतु 69$^{वें}$ सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प लिए जाने के

परिणामस्वरूप, संपूर्ण विश्व के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर जबर्दस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। गत निरंतर चार वर्षों के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता भारी संख्या में भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी से स्पष्ट है।

13.3.1.8 दिनांक 21 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहले "योग ऑन होलिस्टिक हैल्थ" नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने ₹ 10 और ₹ 100 के दो संस्मारक सिक्कों; और एक ₹ 5 का पोस्टल स्टैंप जारी किया। सम्मेलन में लगभग 1500 भारतीय और विदेशी प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। माननीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने समापन सत्र की शोभा बढ़ाई।

13.3.1.9 इस वर्ष भी, गत चार वर्षों से हो रहे सम्मेलनों के आधार पर □हृदय देखभाल हेतु योग□ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह सम्मेलन मैसूर ओपन विश्विद्यालय, मैसूर, कर्नाटक के सभागार में दिनांक 15-16 नवंबर, 2019 को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के उद्घाटन और समापन कार्यक्रमों में क्रमश: कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल को समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया है।

13.3.1.10 चैम्पियन क्षेत्रक योजना: क्षमता को अर्थव्यवस्था में बदलने के क्रम में, आयुष मंत्रालय चैम्पियन क्षेत्रक योजना ले कर आया है जिसमें मंत्रालय आयुष आधारित चिकित्सा पर्यटन को लुभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवा देखभाल केंद्रों और आयुष पद्धतियों के अस्पतालों को स्थापित करने के लिए निवेशकों को बढ़ावा देने हेतु ब्याज में छूट प्रदान करता है। निवेशकों को बाहर अपनी सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया गया है। चिकित्सा पर्यटन एक उभरता हुआ क्षेत्र है। आयुष पद्धतियों विशेषकर आयुर्वेद और योग की माँग में वृद्धि हुई है। सरकार बाहर सेवाएं प्रदान करने पर ज़ोर दे रही है। माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चिकित्सा और स्वस्थता पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड में आयुष मंत्रालय भी एक सदस्य है। आयुर्वेद और योग को सॉफ्ट पवार के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

अध्याय 14

14.अन्य केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें

14.1. जन स्वास्थ्य की पहल में आयुष के महत्व को बढ़ाना

14.1.1. प्रस्तावना

14.1.1.1.शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लगभग 7.78 लाख आयुष चिकित्सक हैं। स्वास्थ्य परिचर्या वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उनकी क्षमता का अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। पोषण संबंधी कमियों, महामारियों और रोग वाहक जनित बीमारियों के परिणामस्वरूप सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में आयुष की क्षमता के बारे में बढ़ती जागरूकता ने जन स्वास्थ्य में आयुष के लिए नए आयाम खोल दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य आयुष हस्तक्षेपों के माध्यम से जनता के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए औषधियों के वितरण, स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों के आयोजन आदि के लिए सरकारी/गैर सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करना है।

14.1.2. योजना का उद्देश्य

14.1.2.1.इस योजना को जिला/ब्लाक/तालुक के साथ निम्नलिखित विधियों द्वारा केवल प्रमाणित आयुष हस्तक्षेपों में एक भूमिका के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है:

i. सरकारी संगठनों और निजी संगठनों दोनों के लिए अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना;
ii. सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष हस्तक्षेप को बढ़ावा देना;
iii. संस्थागत रूप से योग्य आयुष चिकित्सकों को प्रोत्साहित करना; तथा
iv. विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष चिकित्सकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

14.1.3. पात्र संगठन

14.1.3.1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य/आयुष निदेशालय

i. सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी संस्थान (कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि)।

ii. सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्षों से काम करने वाले एक प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड धारक गैर-लाभकारी/स्वैच्छिक संगठन तथा एक सक्षम टीम जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं।

14.1.4. उपलब्धियां

14.1.4.1.संगठनों को 1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का उल्लेख परिशिष्ट-VII पर किया गया है।

14.2. उत्कृष्टता केंद्रों के उन्नयन के लिए आयुष शिक्षा/औषध विकास और अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान आदि जुड़े संगठनों (सरकारी/गैर सरकारी/गैर लाभकारी) की सहायता के लिए योजना

14.2.1. प्रस्तावना

14.2.1.1.यह केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम कार्यों और सुविधाओं के उन्नयन के लिए शिक्षा, अनुसंधान और औषध विकास में लगे प्रतिष्ठित आयुष संगठनों की उत्कृष्टता के स्तरों की पहचान और समर्थन करने की परिकल्पना करती है। सेवाओं में गुणात्मक सुधार के लिए आयुष मंत्रालय ने 33 संस्थाओं को सहायता प्रदान की है। ये सेवाएं समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध हैं।

14.2.1.2.नए भवनों के निर्माण तथा निदान और उपचार के उच्चगुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आयुष औषधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों जैसी योजना के अंतर्गत वर्तमान प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया गया। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के भेषज संहिता के मानकीकरण के लिए इसे आयुर्वेद भेषजसंहिता को भेजा गया था और परियोजनाओं के परिणाम को आगे और अधिक अनुसंधान के लिए अनुसंधान परिषद को भेजा गया। यह योजना वर्ष 2008 अर्थात 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि से कार्यरत है।

14.2.2. उद्देश्य

14.2.2.1. योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. सुविधाओं को स्थापित करना और उन्नत बनाना;

ii. आयुष संगठनों की मौजूदा सुविधाओं को एनएबीएच, जीएलपी, जीएमपी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों में उन्नयित करना;

iii. नए दीर्घकालिक कार्यों को शामिल करके कार्यों की स्थापना और उन्नयन तथा मानवीय संसाधनों सहित मौजूदा कार्यों में महत्वपूर्ण गुणात्मक सुधार;

iv. नैदानिक अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक और अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना;

v. प्रतिष्ठित आयुष और आधुनिक चिकित्सा संस्थानों में उन्नत अनुसंधान इकाइयों की स्थापना; और

vi. आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती/निःशुल्क आयुष उपचार सेवाएं सुनिश्चित करना।

14.2.3. वित्तीय सहायता के लिए पात्रता

14.2.3.1. आयुष के एक या अधिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ संस्थाओं/संगठनों को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकास के लिए योजना के अंतर्गत अनुदान निम्नलिखित रूप में है:

i. नैदानिक अनुसंधान

ii. आयुष अस्पताल

iii. आयुष के मूल सिद्धांतों पर आधारित अनुसंधान

iv. भेषज गुण विज्ञान, फार्मेसी अथवा उत्पाद विकास में अंतर-विषयक अनुसंधान, आयुष और आधुनिक विज्ञान में तादात्म्य स्थापित करना।

v. आयुर्वेद अनुसंधान में 5 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड वाले तृतीय-पक्षीय देखभाल एलोपैथिक अस्पताल।

vi. आयुष का अन्य कोई विशेषीकृत क्षेत्र।

14.2.4. उपलब्धियां

14.2.4.1 एक संस्था के लिए 50 लाख रूपये तक तथा तीन संस्थाओं के लिए 50 लाख से अधिक राशि वित्तीय अनुदान के रूप में दी गई। इसका विवरण परिशिष्ट VIII पर दिया गया है।

अध्याय 15

15. योजना एवं मूल्यांकन

15.1. प्रस्तावना

15.1.1.1. मंत्रालय का आयोजना और मूल्यांकन प्रभाग (पी एंड ई) वार्षिक आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/भारत की परिषदों से आयुष अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर आकड़ें एकत्रित करता है जिनमें चिकित्सा देखभाल सुविधाओं, चिकित्सा श्रमशक्ति, चिकित्सा शिक्षा, लाइसेंसशुदा फार्मेसियों आदि पर जानकारी शामिल हैं। विस्तृत जानकारी मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन "आयुष इन इंडिया 2018" में उपलब्ध है। कुछ महत्वपूर्ण आकड़ें नीचे प्रस्तुत हैं:

15.1.1.2. योजना और मूल्यांकन प्रभाग "आयुष इन इंडिया" नामक वार्षिक सांख्यिकीय पुस्तक प्रकाशित करने हेतु पांडुलिपिओं के सांख्यिकीय आंकड़े और सामग्री एकत्रित करता है, उनकी जांच करता है, उनका संकलन करता है, तालिका बनाता है, उन्हें कंप्यूटरीकृत करता है जिसमें आयुष संबंधी आकड़ें जैसे राज्य-वार आयुष अवसंरचना (अस्पतालों, शैय्या, डिस्पेंसरियां आदि), राज्य-वार आयुष पंजीकृत चिकित्सक, राज्य-वार स्नातक और स्नातकोत्तर कॉलेज, लाइसेंसशुदा फार्मेसियाँ, आयुष संबंधी विदेशी व्यापार, विभाग के परिव्यय तथा व्यय आदि शामिल हैं।

15.1.1.3. "आयुष इन इंडिया-2018" पुस्तक की हार्ड कॉपियां प्रकाशित की गईं और कार्ड आकार की यूएसबी में सॉफ्ट कॉपी तैयार की गई तथा इस मंत्रालय की मेलिंग सूची के अनुसार इनका वितरण किया गया।

15.1.1.4. सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहायता से आयुष मंत्रालय के आयोजना और मूल्यांकन प्रभाग का ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाने का कार्य आरंभ हो चुका है।

15.1.1.5. इस प्रभाग को तृतीय पक्ष स्वतंत्र एजेंसियों की ओर से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और केंद्रीय सेक्टर योजना (सीएस) का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है। निम्नलिखित योजनाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो चुका है:

(i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)

(ii) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)

(iii) बाह्य अनुसंधान (ईएमआर)

(iv) आयुष और जन स्वास्थ्य

(v) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

(vi) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी)

(vii) औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन

(viii) कैंसर, मधुमेह, हृदय संबंधी रोग और आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस)

15.1.1.6. एएसएच और औषधियों हेतु भेषजसतर्कता पहल का मूल्यांकन जारी है।

15.1.1.7. वर्ष 2019-20 के दौरान योजनाओं की निगरानी

i. आदिवासी उप योजना (टीएसपी)

ii. अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)

iii. अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और आदिवासी उप योजना (टीएसपी) हेतु आबंटन और व्यय की वित्तीय और वास्त्विक प्रगति को ऑनलाइन अपडेट करना।

iv. आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग कार्य ढ़ांचा (ओओएमएफ) तैयार करना।

15.1.1.8 केंद्र के लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) की मासिक रिपोर्ट बनाना। आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान/निधि जारी न करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) का लम्बित होना है। इस संबंध में, प्रभाग के कार्यक्रम अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल संदर्भ हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाओं के व्यय और बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र के संबंध में यह प्रभाग मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

अध्याय 16

16. आयुष पद्धति का विकास

16.1. प्रस्तावना

16.1.1.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 और सतत विकास लक्ष्यों हेतु राष्ट्रीय निगरानी कार्य ढांचा के अंतर्गत मंत्रालय ने नई पहलें आरंभ की हैं। यह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभागों की सहायता से आयुष का विस्तार करने के लिए स्वतः प्रयास कर रहा है।

16.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017

16.2.1.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) -2017 को बढ़ाने हेतु, मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य उपाय हेतु आयुर्वेद के अनुसार □दिनचर्या□ आहार नियम के प्रकाशन का कार्य पूरा कर लिया है। मंत्रालय ने अन्यों के सहयोग से एमबीबीएस डॉक्टरों हेतु आयुष में ऐच्छिक विषय तैयार किए हैं।

16.3. सतत विकास लक्ष्य

16.3.1.1. मंत्रालय पर एसडीजी-03 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक सभी आयु वर्गों के स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और उनकी देखभाल को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व है।

16.3.1.2. एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय ने सुनिश्चित किया कि योग को विद्यालयों में लाया जाए।

16.3.1.3. आयुष मंत्रालय ने अपनी अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से पोषण और आहार अनुसूची पर आयुष की क्षमता समाहित कर एक विस्तृत कार्यनीति पत्र बनाने का कार्य शुरू किया है।

16.3.1.4. प्रसव पूर्व- देखभाल पर प्रोटोकॉल तैयार करके उसे जारी किया गया है।

16.3.1.5. प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य (आरसीएच) पर अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

16.4. अन्य मंत्रालयों/विभागों में आयुष का विस्तार करना

16.4.1.1. आयुष मंत्रालय और रेल मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य दिनांक 6 फरवरी, 2018 को पांच रेलवे जोनल अस्पतालों में आयुष विंग स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

16.4.1.2. आयुष मंत्रालय ने दिनांक 4 जून 2018 को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

16.4.1.3. रक्षा मंत्रालय ने बेस अस्पताल, नई दिल्ली में पेलिएटिव देखभाल हेतु आयुर्वेद विंग और आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, दिल्ली, वायुसेना अस्पताल, हिंडन, गाजियाबाद में आयुष ओपीडी सेवाएं आरंभ करने में सहमति जताई है।

16.4.1.4. गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ (बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एनएसजी) के स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में आयुष विंग स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है।

16.4.1.5. राष्ट्रीय तापविद्युत निगम (एनटीपीसी), विद्युत मंत्रालय ने देश में पांच (5) आयुर्वेद अस्पताल स्थापित करने पर सहमति जताई है।

चित्र 5 दिनांक 21.10.2019 को पेलिएटिव केयर सेंटर, बेस अस्पताल, दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने सचिव आयुष वैद्य राजेश कोटेचा, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जर्नल बिपिन पुरी और आयुष मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पहली आयुर्वेद पेलिएटिव केयर यूनिट का उद्घाटन किया।

अध्याय 17

17. लैंगिक सशक्तिकरण एवं समानता

17.1.1.1.आयुष मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि महिला शोधकर्ताओं, विद्वानों और शिक्षकों के साथ कोई भेदभाव न हो। मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करता है कि महिला कर्मचारियों से संबंधित सरकारी निर्देशों का अनुपालन किया जाए। आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थानों ने शिक्षकों और विद्वानों दोनों स्तर पर महिलाओं के असाधारण प्रतिनिधित्व को दर्शाया है।

17.1.1.2. वस्तुतः रिपोर्ट की अवधि में तीन (3) राष्ट्रीय संस्थानों की अध्यक्षता महिला निदेशकों द्वारा की जा रही है।

17.1.1.3. आईपीजीटीएंडआरए के अतिरिक्त आयुष मंत्रालय के अधीन शैक्षिक कार्यकलापों में 10 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं कार्यरत रही हैं। इन संस्थाओं से प्राप्त आंकड़े महिलाओं के प्रति व्यवहार/शिक्षा/प्रशिक्षण आदि के संबंध में बहुत अच्छी छवि प्रस्तुत करते हैं। कुछ संस्थानों/परिषदों और अन्य सांविधिक यूनिटों में महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का संकेत नीचे किया गया है।

17.1.1.4. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर ओपीडी के माध्यम से परामर्श, औषधियों और प्रयोगशाला जांच सहित महिला रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहा है। महिला रोगी पंजीकरण और औषधियों के वितरण के लिए अलग-अलग काउंटर उपलब्ध हैं। महिलाओं को उनके विकास और सशक्तिकरण के लिए सम्मेलनों, सेमिनारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल क्रियाकलापों आदि में भागीदारी में अधिक अवसर प्रदान किए गए हैं। रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 43.33% प्रवेश, बीएएमएस के स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में 56.70%, एमडी/एमएस (आयुर्वेद) में 63.10% प्रवेश, पीएचडी आयुर्वेद में 48.79% प्रवेश महिलाओं को दिए गए हैं। 71 फैकल्टी सदस्यों में से 24 महिलाएं हैं जो 33.80% है। जन स्वास्थ्य (आयुर्वेद

कौशल) की एक दिवसीय कार्यशाला केवल महिला आयुर्वेद फिजीसियनों के लिए आयोजित की गई।

17.1.1.5. राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई द्वारा 08 मार्च, 2019 को 'महिला दिवस' आयोजित किया गया जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। उस दिन स्तन कैंसर जागरूकता और जांच कैंप लगाया गया। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान की ओपीडी में 50% से अधिक महिला रोगी हैं। इससे यह पता चलता है कि महिला और पुरूष रोगियों में संसाधनों को बराबर-बराबर वितरित किया गया है।

17.1.1.6. इंडियन मीनोपाज सोसाइटी, पुणे के सहयोग से भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे ने केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा समर्थित चैप्टर से एक दिवसीय कार्यशाला "मीनोपाज और महिला स्वास्थ्य" का आयोजन दिनांक 03/05/2018 को किया। इस पूरे दिन के सत्र में 300 से अधिक सहभागियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ने "महिलाओं के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और खानपान" विषय पर भी दिनांक 07 अगस्त, 2018 को हुजूरपगा महिला कॉलेज, लक्ष्मी रोड, पुणे में एक कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ने चिन्मय विभूति, पुणे में 12 सितम्बर, 2018 को 'महिला घटक कार्यक्रम' आयोजित किया। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे ने 08 मार्च, 2018 और 08 मार्च, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में किया। इस आयोजन में संस्थान के कर्मचारियों सहित विद्यार्थियोंऔर जन सामान्य ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रो (डॉ.) के सत्य लक्ष्मी, निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ने 08 मार्च, 2018 को तेलंगाना सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्राप्त किया।

17.1.1.7. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली अपने महिला शोधार्थियों को बिना भेदभाव के परियोजनाएं और विकास के अवसर के माध्यम से अनुसंधान के लिए समान अवसर प्रदान करती हैं। इस मामले में एक ईमानदार प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को सतत विकास के अवसर प्रदान करने की बजाय उसमें सतत वृद्धि हो। अलग-अलग स्थानों पर स्थित

सभी यूनिटों/संस्थानों के कार्मिकों को मिलाकर परिषद में 153 अनुसंधान कार्मिक (संविदा पर लिए गए सहित) हैं। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में अनुसंधान कार्मिकों का प्रतिशत 51.17 है।

17.1.1.8. पीसीआईएमएंडएच, गाजियाबाद में 12 कर्मचारियों में से 04 कर्मचारी (33.33%) महिलाएं हैं।

17.1.1.9. केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई में कुल 165 कर्मचारियों में से 75 कर्मचारी महिलाएं हैं। केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद के कुल 52 वैज्ञानिकों में से 32 वैज्ञानिक महिलाएं हैं। केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद की अध्यक्ष अर्थात् महानिदेशक महिला हैं।

17.1.1.10. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता में 57.66% महिला छात्राएं बीएचएमएस की पढ़ाई कर रही हैं।

17.1.1.11. पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान शिलांग में कुल 35 नियमित कर्मचारियों में 16 (46%) महिलाएं हैं। बीएचएमएस के 150 छात्रों में से 78 छात्राएं महिलाएं हैं और बीएचएमएस के 150 छात्रों में से 109 छात्राएं (73%) महिलाएं हैं।

17.1.1.12. राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई द्वारा 08 मार्च, 2019 को 'महिला दिवस' आयोजित किया गया जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। उस दिन स्तन कैंसर जागरूकता और जांच कैंप लगाया गया। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान की ओपीडी में 50% से अधिक महिला रोगी हैं। इससे यह पता चलता है कि महिला और पुरूष रोगियों में संसाधनों को बराबर-बराबर वितरित किया गया है।

17.1.1.13. सीसीआरएच महिला रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित जोर दे रहा है।

17.1.1.14. राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे ने केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा समर्थित इंडियन मेनोपॉज़ सोसायटी, पुणे चैप्टर के सहयोग से 03/05/2018 को "रजोनिवृत्ति और महिला स्वास्थ्य" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। दिन भर के सत्रों में 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

17.1.1.15. एनआईएन ने प्राकृतिक चिकित्सा और महिलाओं के लिए पोषण आहार" पर 7 अगस्त, 2018 को हुज़ूरपगा वीमेंस कॉलेज, लक्ष्मी रोड, पुणे में कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। एनआईएन ने 12 सितंबर, 2018 को चिन्मय विभूति, पुणे में महिला घटक कार्यक्रम का आयोजन किया।

17.1.1.16. एनआईएन ने 8 मार्च, 2018 और 8 मार्च, 2019 को एनआईएन, पुणे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह मनाया। समारोह में कर्मचारियों, छात्रों और आम जनता ने भाग लिया। 8 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर (डॉ) के. सत्या लक्ष्मी, निदेशक, एनआईएन ने स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए तेलंगाना सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया।

अध्याय 18

18. दिव्यांगजनों का सम्मान (अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्ति) का सशक्तिकरण

18.1.1.1. मंत्रालय और उसके विभिन्न संस्थानों/अनुसंधान परिषदों/सीसीआईएम/सीसीएच आदि में दिव्यांगजनों (अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों) के लिए, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश और भर्तियों में 4% आरक्षण दिया गया है।

18.1.1.2. मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अस्पतालों/कार्यालयों में अलग शौचालय की सुविधा, दवा काउंटर, दोनों तरफ हैंड-रेल के साथ रैंप आदि उपलब्ध हैं। इसके अलावा, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के तहत अस्पतालों/क्लीनिकों में दिव्यांगों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों/प्रयोगशालाओं/कार्यालयों में सभी सुविधाएं दिव्यांगजनों के अनुकूल हों।

18.1.1.3. हाल में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने बधिर व्यक्तियों के साथ संचार करने के लिए अपनी सभी संस्थाएं, यूनिटों और सीसीआरएच के अनुभागों और प्रभागों को सीसीआरएच की सभी बैठकों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में संकेत भाषा के इंटरप्रेटर का प्रबंध करने के लिए निर्देश जारी किया है।

18.1.1.4. परिषद के अधीन संस्थानों/यूनिटों के लिए नए भवनों के निर्माण के समय दिव्यांग लोगों के लिए लिफ्टों, रैंपों, सीढ़ियों आदि पर स्पर्शग्राह्य टाइलें और हैंड-रेल बनावाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सीसीआरएच के अस्पतालों/नैदानिक केंद्रों में पर्याप्त संख्या में व्हील चेयरों का प्रबंध किया जा रहा है।

18.1.1.5. एनआईईपीएमडी परिसर, चेन्नई में दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए एक होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है।

अध्याय 19

19. राजभाषा के रूप में हिंदी

19.1.1.1. आयुष मंत्रालय के शासकीय कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने के लिए हिंदी अनुभाग राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भरसक प्रयास करता रहता है। इस प्रयास में हिंदी अनुभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेजों के हिंदी अनुवाद के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप भी किए हैं:-

19.1.1.2. मंत्रालय में राजभाषा प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा उसके प्रगामी प्रयोग हेतु नए निर्णय/उपाय करने हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 3 बैठकों का आयोजन किया गया। मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान एक और बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रालय में हिंदी के प्रभारी संयुक्त सचिव राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं।

19.1.1.3. हिंदी टिप्पण/आलेखन में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उनके रोजमर्रा के कार्य में हिंदी प्रयोग के संकोच को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशाला के 3 सत्रों का आयोजन किया गया। इन सत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों ने काफी अच्छी संख्या में भाग लिया। मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान हिंदी कार्यशाला का एक और सत्र आयोजित किया जाएगा।

19.1.1.4. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों (क, ख व ग) के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की संवीक्षा करने के लिए मंत्रालय के हिंदी प्रभारी अधिकारियों ने 12 अनुभागों/अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया तथा कमियों को दूर करने के उपाय सुझाए।

19.1.1.5. केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु राजभाषा सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने भाग

लिया और संबंधित मुद्दों पर आयुष मंत्रालय द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराया।

19.1.1.6. संसदीय राजभाषा समिति - राजभाषा के क्षेत्र में देश की सर्वोच्च निरीक्षण समिति - ने 01 अप्रैल, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक की अवधि के दौरान मंत्रालय के 01 अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण किया। आयुष मंत्रालय ने अपनी प्रगति प्रदर्शित करने में एकचित्त प्रयास किए और समिति द्वारा निर्देशित कार्यों के शतप्रतिशत अनुपालन के लिए संसदीय राजभाषा समिति को आश्वस्त किया। इन निरीक्षणों को संसदीय राजभाषा समिति के सचिव द्वारा निर्धारित किए जाता है। इसलिए फरवरी एवं मार्च 2020 के दौरान किए जाने वाले निरीक्षणों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

19.1.1.7.गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मंत्रालय में 02 सितंबर से 16 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया उस दौरान सात प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राजभाषा के प्रयोग में रुचि रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव द्वारा 42 पुरस्कार प्रदान किए गए।

19.1.1.8.आयुष विभाग का एक पूर्ण मंत्रालय के रूप में उन्नयन होने के कारण मंत्रालय के कार्यभार के साथ-साथ इस अनुभाग के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मौजूदा जनशक्ति अपने अथक प्रयासों से इस अवसर पर पहुंची और कार्यभार को संभाला।

19.1.1.9. उपर्युक्त राजभाषा संबंधी कार्यकलापों के अतिरिक्त इस मंत्रालय के हिंदी अनुभाग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलापों के निष्पादन में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है: -

19.1.1.10. गत वर्षों की भांति हिंदी अनुभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आयुर्वेद दिवस, यूनानी दिवस, होम्योपैथी दिवस आदि के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक और विशेष प्रयास किए।

19.1.1.11. भारत सरकार द्वारा निर्देशित स्वच्छता सप्ताह के अनुपालन के दौरान हिंदी अनुभाग ने मंत्रालय में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की और योग्य व्यक्तियों के लिए पुरस्कारों की अनुशंसा की।

19.1.1.12. आयुष मंत्रालय के शासकीय कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने के लिए हिंदी अनुभाग राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भरसक प्रयास करता रहता है। इस प्रयास में हिंदी अनुभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेजों के हिंदी अनुवाद के अतिरिक्त 01 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप भी किए हैं:-

19.1.1.13. मंत्रालय में राजभाषा प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा उसके प्रगामी प्रयोग हेतु नए निर्णय/उपाय करने हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पांच बैठकों का आयोजन किया गया। मंत्रालय में हिंदी के प्रभारी संयुक्त सचिव राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं।

19.1.1.14. हिंदी टिप्पण/आलेखन में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उनके रोजमर्रा के कार्य में हिंदी प्रयोग के संकोच को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशाला के 5 सत्रों का आयोजन किया गया। इन सत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों ने काफी अच्छी संख्या में भाग लिया।

19.1.1.15. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों (क, ख व ग) के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की संवीक्षा करने के लिए मंत्रालय के हिंदी प्रभारी अधिकारियों ने 13 अनुभागों/अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया तथा कमियों को दूर करने के उपाय सुझाए।

19.1.1.16. केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु राजभाषा सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने भाग लिया और संबंधित मुद्दों पर आयुष मंत्रालय द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराया।

19.1.1.17. राजभाषा प्रयोग के क्षेत्र में देश की शीर्ष निरीक्षण समिति-संसदीय राजभाषा समिति ने 01 जनवरी 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान इस मंत्रालय के 08 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया। आयुष मंत्रालय ने पूरे मनोयोग से अपने प्रयासों का प्रदर्शन करते हुए प्रगति प्रदर्शित की और समिति द्वारा यथानिर्देशित कार्रवाई का शत प्रतिशत अनुपालन करने का आश्वासन दिया।

19.1.1.18. गत वर्षों की भांति मंत्रालय में 04 सितंबर से 18 सितंबर, 2018 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसके दौरान सात प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राजभाषा के प्रयोग में रुचि रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव द्वारा 42 पुरस्कार प्रदान किए गए।

19.1.1.19. आयुष विभाग को एक पूर्ण मंत्रालय के उन्नयन की अगली कड़ी के रूप में मंत्रालय के कार्यभार के साथ-साथ इस अनुभाग ने उल्लेखनीय वृद्धि की है। मौजूदा जनशक्ति अपने अथक प्रयासों से इस अवसर पर पहुंची और कार्यभार को संभाला।

19.1.1.20. उपर्युक्त राजभाषा गतिविधियों के अतिरिक्त इस मंत्रालय के हिंदी अनुभाग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों के निष्पादन में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है:-

i) गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिंदी अनुभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के आयोजन में योगदान किया।

ii) मंत्रालय में स्वच्छता सप्ताह के आयोजन के दौरान भारत सरकार द्वारा यथानिर्देशित निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया तथा पात्र व्यक्तियों को पुरस्कारों की सिफारिश की।

अध्याय 20

20. स्वच्छ भारत आभियान

20.1.1.1. **मंत्रालय में स्वच्छ भारत अभियान पूरी ईमानदारी के साथ चल रहा है।**

20.1.1.2. **साफ-सफाई में जागरूकता पैदा करने एवं कार्यस्थल के माहौल को बढ़ाने के लिए दिनांक 16-30 अक्तूबर, 2018 के दौरान पीसीआईएम एंड एच और पीएमआईएल में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया।**

20.1.1.3. **होम्योपैथी फार्माकोपिया लैब ने दिनांक 15 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2018 तक □स्वच्छता ही सेवा- 2018 पखवाड़ा□ आयोजित किया। पखवाड़ा के दौरान एचपीएल के अधिकारियों और आसपास की आबादी में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है।**

20.1.1.4.**सरकार के निर्देशानुसार** *स्वच्छ भारत अभियान* **को पीसीआईएम एंड एच परिसर में समय-समय पर आयोजित किया गया। आवधिक सफाई अभियान के छह दौर आयोजित किए गए। आयोग ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान पर एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।**

आयुष मंत्रालय

स्वीकृत संख्या और कार्यभार स्थिति (31.03.2019 को)

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	वर्तमान पदस्थ पद	रिक्त पद
I.	**प्रशासनिक**			
1	सचिव	1	1	0
2	एएस/संयुक्त सचिव	3	3	0
3	निदेशक/उप सचिव	4	4	0
4	निदेशक/उप सचिव- केंद्रीय कर्मचारी योजना के अधीन	2	2	0
5	अवर सचिव	7	6	1
6	अनुभाग अधिकारी	16	6	10
7	सहायक अनुभाग अधिकारी	24	28	-4
8	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	11	1	10
9	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	1	0	1
10	एमटीएस	6	6	0
11	चालक	2	0	2
	उप-योग (I)	**77**	**57**	**28**
II.	**वैयक्तिक स्टाफ**			
1	पीएसओ/वरि. पीपीएस	1	0	1
3	पीपीएस	9	6	3
4	पीएस	15	7	8
5	आशुलिपिक श्रेणी ग	9	2	7
6	आशुलिपिक श्रेणी घ	19	12	7
	उप-योग (II)	**53**	**27**	**26**
III.	**सांख्यिकी स्टाफ**			
1	उप महानिदेशक	1	1	0
2	उप निदेशक (आईएसएस)	1	1	0
3	सहायक निदेशक(आईएसएस)	1	1	0

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	वर्तमान पदस्थ पद	रिक्त पद
4	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएसएस)	2	2	0
5	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएसएस)	2	1	1
	उप-योग (III)	**7**	**6**	**1**
IV.	**हिंदी स्टाफ**			
1	संयुक्त निदेशक	1	0	1
2	सहायक निदेशक	1	1	0
3	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1	0
4	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1	0
	उप-योग (IV)	**4**	**3**	**1**
V.	**तकनीकी***			
1	सलाहकार			
	आयुर्वेद	2	2	-
	होम्योपैथी	1	0	1
	यूनानी	1	1	-
	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	1	0	1
	उप-योग (सलाहकार)	**5**	**3**	**2**
2	संयुक्त सलाहकार			
	आयुर्वेद	0	1	-
	यूनानी	0	1	-
2	**उप-योग (संयुक्त सलाहकार)**	**0**	**2**	**0**
	उप सलाहकार			
	होम्योपैथी	0	2	-
	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	1	0	1
	उप-योग (उप सलाहकार)	**1**	**2**	**1**
4	सहायक सलाहकार			
	आयुर्वेद	0	1	-
	यूनानी	0	1	-
	उप-योग (सहायक सलाहकार)	**0**	**2**	**0**

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	वर्तमान पदस्थ पद	रिक्त पद
5	अनुसंधान अधिकारी			
	आयुर्वेद	0	14	-
	होम्योपैथी	0	5	-
	योग	1	0	1
	प्राकृतिक चिकित्सा	1	0	1
	उप-योग(अनुसंधान अधिकारी)	**2**	**19**	**2**
	उप-योग (V)	**8**	**29^**	**4**
VI.	एनएमपीबी			
1	सीईओ	1	1	0
2	उप सीईओ	1	1	0
3	वित्त एवं प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
4	उप निदेशक	1	1	0
5	प्रबंधक (विपणन एवं व्यापार)	1	1	0
6	सहायक सलाहकार (वनस्पति शास्त्र)	1	1	0
7	अनुसंधान अधिकारी	2	2	0
8	अनुसंधान सहायक	1	1	0
9	प्रलेखीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायक	1	1	0
10	कंप्यूटर संचालक	1	1	0
	उप-योग (VI)	**11**	**10**	**1**
	कुल योग (I से V)	**160**	**130**	**55**

^ मंत्रालय की समग्र संख्या से आधिक्य पदस्थ संख्या

परिशिष्ट -II

31.01.2020 की स्थिति के अनुसार आयुष मंत्रालय का संगठनात्मक ढाँचा

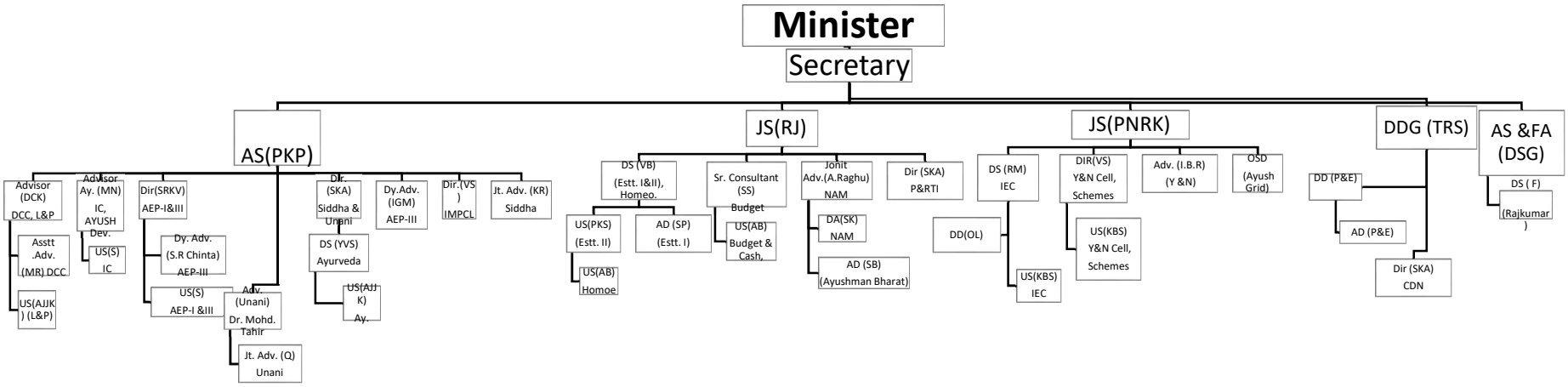

परिशिष्ट III

सीसीआईएम द्वारा लागू किए गए विनियम

मेडिकल कॉलेज विनियम, 2003 (2013 में संशोधित) द्वारा नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करना और प्रवेश क्षमता में वृद्धि।

- **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (वर्तमान कॉलेजों को अनुमति) विनियम, 2006**
- **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (आयुर्वेद कॉलेजों और संलग्न अस्पतालों की न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ) विनियम, 2012, वर्ष 2013 और 2016 में संशोधित।**
- **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सिद्ध कॉलेजों और संलग्न अस्पतालों की न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 अधिसूचना, वर्ष 2016 में संशोधित।**
- **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (यूनानी कॉलेजों और संलग्न अस्पतालों की न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ) विनियम, 2013, 2016 में संशोधित।**
- **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (अंडर-ग्रेजुएट सोवा-रिग्पा कॉलेजों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ) विनियम, 2017**

स्नातकपूर्व

- **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986, वर्ष 1989, 2010, 2012 , 2013, 2016 में संशोधित एवं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2018**

स्नातकोत्तर

- **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 1994, वर्ष 2005, 2012, 2016 में संशोधित एवं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, 2018**

स्नातकोत्तर डिप्लोमा

- **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (आयुर्वेद) विनियम, 2010**

स्नातकपूर्व

- **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम 2006, वर्ष 2013, 2016 में संशोधित एवं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2018**

स्नातकोत्तर

- **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम, (सिद्ध) 1979**
- **सिद्ध चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम नियम 1994 शाखा III सिरप्पू मारुथुवम**

एवं शाखा IV कुझंथाई मारुथुवम।

- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम, (सिद्ध) 2016 एवं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) संशोधन विनियम, 2018

स्नातकोत्तर डिप्लोमा

- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015

स्नातकोत्तर

- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 1986, 2013, 2016 में संशोधित एवं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2018

स्नातकोत्तर

- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007, 2016 में संशोधित एवं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) संशोधन विनियम, 2018

स्नातकोत्तर डिप्लोमा

- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015

स्नातकपूर्व

- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकपूर्व सोवा-रिग्पा चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2017

होम्योपैथी (सीसीएच द्वारा लागू)

(i) होम्योपैथी (बीएचएमएस डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 में 19 जून, 2019 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित।

(ii) होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम्यो.) विनियम, 1989 में 19 जून, 2019 और 2 अगस्त, 2019 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित।

(iii) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (होम्योपैथी कॉलेजों और संलग्न अस्पतालों की न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 में दिनांक 30.04.2019 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित।

परिषद ने निम्नलिखित विनियम भी बनाए हैं :

(i) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (निरीक्षक एवं आगंतुक) विनियम, 1982

(ii) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1982

(iii) होम्योपैथिक चिकित्साभ्यासी (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता) विनियम, 1982 (2018 तक संशोधित)

परिशिष्ट IV

विनियमावली विवरण

i. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकपूर्व आयुर्वेद कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2016;

ii. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकपूर्व सिद्ध कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2016;

iii. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकपूर्व यूनानी कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2016;

iv. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम मानक) संशोधन विनियमावली, 2016 (आयुर्वेद के लिए);

v. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम मानक) संशोधन विनियमावली, 2016 (सिद्ध के लिए);

vi. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम मानक) संशोधन विनियमावली, 2016 (यूनानी के लिए);

vii. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियमावली, 2016;

viii. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) विनियमावली, 2016;

ix. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) विनियमावली, 2016;

x. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) संशोधन विनियमावली, 2013;

xi. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) संशोधन विनियमावली, 2015;

xii. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियमावली, 2015;

xiii. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकपूर्व सोवा-रिग्पा चिकित्सा शिक्षा हेतु न्यूनतम मानक) विनियमावली, 2017; और

xiv. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकपूर्व सोवा-रिग्पा कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2017

परिशिष्ट-V

मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत संस्थानों/केंद्रों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य का नाम	आयुर्वेद	योग और प्राकृतिक चिकित्सा	यूनानी	सिद्ध	होम्योपैथी	सोवा रिग्पा	कुल
आंध्र प्रदेश	1	-	1	-	2		4
अरुणाचल प्रदेश	1	-	-	-	-		1
असम	1	-	1	-	1		3
बिहार	1	-	1	-	1		3
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-		-
दिल्ली	1	1	3	1	-		6
गोवा	-	-	-	-	-		-
गुजरात	1	-	-	-	-		1
हरियाणा	-	1*	-	-	-		1
हिमचाल प्रदेश	1	-	-	-	1		2
जम्मू-कश्मीर	1	-	1	-	-	1	3
झारखंड	-	-	-	-	1		1
कर्नाटक	2	1*	1	1	-		5
केरल	2	-	1	1	1		5
मध्य प्रदेश	1	-	2	-	-		3
महाराष्ट्र	3	-	1	-	1		5
मणिपुर	-	-	1	-	1		2
मेघालय	-	-	-	-	-		-
मिजोरम	-	-	-	-	1		-
तेलंगाना	1	-	-	-	1		3
त्रिपुरा	1	-	-	-	1		2
नागालैंड	1	-	-	-	-		1
ओडिशा	1	-	1	-	1		3

पंजाब	1	-	-	-	-		1
राजस्थान	1	-	-	-	1		2
सिक्किम	1	-	-	-	1		2
तमिल नाडु	2	-	1	3	2		8
उत्तर प्रदेश	2	-	6	-	2		10
उत्तराखंड	1	-	-	-	-		1
पश्चिम बंगाल	1	-	1	-	2		4
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	-	-	-	1		2
चंडीगढ़	-	-	-	-	-		-
दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-	-		-
दमन व दीव	-	-	-	-	-		-
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-		-
पुद्दुचेरी	-	-	-	1	1		2
कुल	**29**	**3**	**22**	**7**	**23**	**1**	**86***

* निर्माणाधीन दो संस्थान शामिल हैं।

परिशिष्ट VI

क्र. सं.	संस्थान का नाम और पता	परियोजना का शीर्षक	संस्थान का प्रकार	जारी की गई किश्त (रू. में)	किश्त
1	सोसायटी फॉर वेल्फेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड पर्सन्स , 27 टैगोर एवेन्यू, दुर्गापुर - 713204, पश्चिम बंगाल	"कुष्ठ रोग के दौरान न्यूरोपैथिक पैर में होने वाले अस्थिमज्जा प्रदाह के उपचार में होम्योपैथिक औषधि की प्रभावकारिता पर अध्ययन"	पंजीकृत सोसायटी (एनजीओ)	रू. 15,03,000/-	दूसरी किश्त
2	डिपार्टमेंट ऑफ सेल एंड मोलिक्युलर बायोलॉजी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी, भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, पुणे-सतारा रोड, धनकवड़ी, पुणे - 411046 (महाराष्ट्र)	"हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा पर कैंसर रोधी प्रभाव के लिए पारंपरिक यूनानी पादप उत्पादों एवं उसके अवयवों का विधिमान्यकरण"	ट्रस्ट	रू. 13,61,800/-	दूसरी किश्त
3	डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी (केएमआईओ), बैंगलोर- कर्नाटक - 560029	" कार्सिनोमा सर्विक्स में कीमो-रेडिएशन पाने वाले रोगियों पर योग का प्रभाव- एक यादृच्छिक अध्ययन	स्थानीय निकाय	रू. 13,86,400/-	दूसरी किश्त
4	श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च (एसएसआईएआर), वेद विज्ञान महा विद्या पीठ (वीवीएमवीपी), बैंगलोर	"कैंसर कोशिकाओं पर प्राकृतिक मारक (एनके) कोशिकाओं एवं उनकी साइटोटॉक्सीसिटी पर योगाभ्यास का प्रभाव"	पंजीकृत सोसायटी (एनजीओ)	रू. 11,26,800/-	पहली किश्त
6	इंस्टीट्यूट ऑफ	" सहायक कीमोथैरेपी	प्राइवेट	रू.	दूसरी

	ट्रांसडिसिप्लिनरी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, बैंगलोर - 560064 (कर्नाटक)	पाने वाले स्तन कैंसर रोगियों में संज्ञानात्मक क्रियाओं पर आयुर्वेद न्यूट्रॉपिक्स का प्रभाव- एक यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण”	सेक्टर कंपनी	15,43,600/-	किश्त
7	अस्थगिरी हर्बल रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई	"सूत्रीकरण में सिद्ध अवधारणाओं के साथ ऑन्कोलॉजी परिचर्या- एक नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण"	पंजीकृत सोसायटी (एनजीओ)	रू. 15,61,538/-	तीसरी किश्त
8	डिपार्टमेंट ऑफ कौमार भृत्य, भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ आयुर्वेद, धनकवड़ी, पुणे (महाराष्ट्र)	"बच्चों में ऐंठन संबंधी मस्तिष्क पक्षाघात होने पर कल्याणकघृतम् खिलाने का प्रभाव"	ट्रस्ट	रू. 14,69,050/-	पहली किश्त

परिशिष्ट VII

जन स्वास्थ्य पहलों (पीएचआई) में आयुष उपचारों के संवर्धन हेतु केंद्रीय स्कीम के अधीन सहायता प्राप्तकर्ता संगठनों की सूची

जारी प्रस्ताव

1. **बी.एम. कंकनवाड़ी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेलगवी, कर्नाटक**
2. **राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु**
3. **गौतमी फाउंडेशन, आंध्र प्रदेश**
4. **आयुष निदेशालय, महाराष्ट्र**
5. **दत्ता मेघन चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अधीन महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, वर्धा, महाराष्ट्र**

नए प्रस्ताव

1. **श्रीनाथ मानव सेवामंडल, पर्ली, बीड़, महाराष्ट्र**
2. **सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेज, भोपाल, मध्य प्रदेश**
3. **मोलिक्युलर डाइग्नोस्टिक्स, काउंसलिंग, केयर एंड रिसर्च सेंटर (एमडीसीआरसी), तमिल नाडु**
4. **पंडित दीन दयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान, नांदेड़, महाराष्ट्र**
5. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली**
6. **राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर, राजस्थान**
7. **तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र**
8. **केरल आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान सोसाइटी, कोट्टाकल, केरल**
9. **कर्मवीर वैंकटराव तानाजी रणधीर आयुर्वेद कॉलेज (केवीटीआर), महाराष्ट्र**

परिशिष्ट VIII

सोसाइटी/निजी/स्वयंसेवी संगठनों के लिए जारी किए गए सहायता अनुदानों का विवरण

क. <u>10 लाख से 50 लाख के बीच सहायता अनुदान</u>

स्कीम का नाम	उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में उन्नयन के लिए गैर लाभकारी/गैर-सरकारी आयुष संगठनों/संस्थाओं को सहायता-अनुदान हेतु केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम		
क्र. सं.	निजी स्वयंसेवी संगठन का नाम और पूरा पता	अनुदान का उद्देश्य	एक बार में 10 लाख से 50 लाख की सहायता प्राप्त करने वाली सोसायटी को जारी अनुदान का विवरण
1.	**नियामत साइंस एकेडमी, चेन्नई, तमिलनाडु**	यूनानी इलाज बित तदबीर में उत्कृष्टता केंद्र	रू. 10.00 लाख
2.	**आर्य वैद्य शाला, कोट्टक्कल, केरल**	**'औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र**	रू. 5.00 लाख
3.	**भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट का एकीकृत कैंसर उपचार और अनुसंधान केंद्र, वाघोली, पुणे**	एकीकृत कैंसर उपचार और अनुसंधान केंद्र	रू. 5.00 लाख

क. <u>50 लाख से अधिक का एक बार में सहायता अनुदान</u>

सोसाइटी/निजी/स्वयंसेवी संगठनों के लिए जारी किए गए सहायता अनुदान (ऐड-इन-ग्रांट) का विवरण

स्कीम का नाम	**उत्कृष्टता केन्द्रों के उन्नयन के लिए गैर लाभकारी/गैर-सरकारी आयुष संगठनों/संस्थाओं को सहायता अनुदान हेतु केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम**		
क्र. सं.	निजी स्वयंसेवी संगठन का नाम और पूरा पता	अनुदान का उद्देश्य	एक बार में 50 लाख से अधिक की सहायता प्राप्त करने वाली सोसायटी को जारी अनुदान का विवरण
1.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, एसवीवाईएएसए, बैंगलोर	योग में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन	रू. 200.00 लाख